षष्ठम् माला, खंड 4; अंक 21, मंगलवार, 5 जुलाई, 1977/14 आषाढ़, 1899 (शक)

Sixth Series, Vol. IV, No. 21, Tuesday, July 5, 1977/ Asada 14, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
Received 1-9-92
Parliament Library

[दूसरा सत्र / Second Session]

[खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं / Vol. IV contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची /CONTENTS

अंक 21, मंगलवार 5 जुलाई, 1977/14 आषाढ़, 1899 (शक)

No. 21, Tuesday, July 5, 1977/Asadha 14, 1899 (S k)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 329, 333, 334 और 337	Starred Questions Nos. 329, 333, 334 and 337	1—13
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 11	Short Notice Question No. 11 .	14—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 128, 324 से 328, 330, से 332, 335, 336 और 339 से 342	Starred Questions Nos. 128, 324 to 328, 330 to 332, 335, 336 and 339 to 342 .	15—25
अतारांकित प्रश्न संख्या 2527 से 2631	Unstarred Questions Nos. 2527 to 2631 .	25—27
सभा पटल पर रखे गए पत्र—	Paper laid on the Table— . . .	78
पाकिस्तान में सेना द्वारा सत्ता सभांलने के बारे में वक्तव्य	Statement re. Reported taking over of power by Army in Pakistan . . .	78
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Behari Vajpayee	78
अनुदानों की मांगें—1977–78	Demands for Grants, 1977-78.	78—104
रक्षा मंत्रालय	Ministry of Defence	78—82
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram .	78—82
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग	Ministry of Education and social Welfare and Department of Culture . .	82—104
श्री हीतेन्द्र देसाई	Shri Hitendra Desai	82—83
प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना	Prof. Shibban Lal Saksena	93
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi .	93-94
श्री ओ० पी० अलगेसन	Shri O.V. Alagesan .	94-95
श्रीमती मृणाल गोरे	Shrimati Mrinal Gore .	95-96
श्री भगत राम	Shri Bhagat Ram .	96
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Mishra . . .	96—97

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पुछा था।

The Sign + mared above the name of a Member indicated that the question was acutally aske on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री वी० अरुणाचलम	Shri V. Arunachalam	97-68
श्री मनोहर लाल	Shri Manohar Lal .	98-99
श्री ए० ई० टी बैरो	Shri A.E.T. Barrow	99-100
श्री कल्याण जैन	Shri Kalyan Jain .	100
श्री गेव एम अवारी	Shri Gev M. Avari . .	100-101
श्री राम प्रकाश त्रिपाठी	Shri Ram Prakash Tripathi	101
श्री नाथू सिंह	Shri Nathu Singh . .	101-102
श्री डी० जी० गवई	Shri D.G. Gawai .	102
श्री धीरेन्द्र नाथ बसु	Shri Dhirendranath Basu.	102
श्री आर० मोहनरंगम	Shri R. Mohanarangam . .	102-103
श्री राजे विशवेश्वर राव	Shri Raje Vishveshvar Rao .	103-104
श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी	Shri Shambhu Nath Chaturvedi	104
श्री डी० बी० पाटिल	Shri D.B. Patil . .	104

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 5 जुलाई, 1977/14 आषाढ़, 1899 (शक)

Tuesday, July 5, 1977/Asadha 14, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

परभनी–मुडखेड़–अदिलाबाद–धुगास लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

*329. **डा० बापू कालदते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार परभनी-मुडखेड़-अदिलाबाद-धुगास मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन (ब्राडगेज) में बदलने के लिये सर्वेक्षण कार्य करा रही थी;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है; और

(ग) इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) (क) से (ग): हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध तथा उनकी लागत पर दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा परभनी-मुडखेड-अदिलाबाद मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने और अदिलाबाद से धुगुस तक एक नयी बड़ी लाइन के निर्माण के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया है । सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 245.18 कि० मी० लम्बी लाइन के आमान-परिवर्तन और 73.65 कि० मी० नयी लाइन के निर्माण से सम्बन्धित इस परियोजना पर अनुमानत: 39.17 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और इससे डी० सी० एफ० द्वारा 4.2 प्रतिशत की वित्तीय प्राप्ति होगी ।

Dr. Bapu Kaldaty : In fact the work of carrying the line upto Adilabad-Ghugus relates to three most backward areas of Maharashtra namely Chandrapur, Nander and Bir. We can carry coal from Ghugus coal mines to thermal power stations in Marathwara particularly for Parli Thermal Station, the capacity of which has been doubled. It will expose the entire area to economic and industrial development. Considering this fact, does the hon. Minister intend to take up that line in the ne r future ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : We have also got this information and that is why we want to give priority to this line. Survey has also been undertaken. But according to the report which we have received the financial returns will be only 4·2 per cent. A railway line can not be considered viable economically unless its returns are at least 10 per cent. So there is no economic viability. However, we will reconsider the matter on the basis of information furnished by him but this scheme will be taken up only when financial resources are available.

Dr. Bapu Kaldaty ; During discussion on the Railway Budget I had said that the financial return on Kolhapur-Miraj line has exceeded many times the amount visualized by the Minister. Similarly if this area is exposed to development, you will get much more return. So will you reconsider the issue from this point of view.

Prof. Madhu Dandavate : Generally anticipated returns are mentioned. So returns from the developed areas have no relevance here. In the light of information given by the hon. Member we will look into this aspect if the returns can be increased. It has been our policy to give priority to the backward areas.

श्री बसन्त साठे : महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चन्दुपुर क्षेत्र से कोयला, चूना तथा वन सम्पदा को इस मीटर गेज लाइन से ले जाने के स्थान पर लम्बे मार्ग से ले जाया जाता है । यह मार्ग 150 मील लम्बा पड़ता है । यदि मीटर गेज लाइन प्रयोग में लाई जाये तो यह मार्ग कम हो कर 48 मील रह जायेगा ।

क्या इस आर्थिक पहलू पर भी विचार किया जायेगा । क्या निवेश पर आय का प्रतिशत निकालते समय इस पर विचार किया गया था ?

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, सदस्य महोदय द्वारा उल्लिखित पहलु पर पहले ही ध्यान दिया गया है । न केवल इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाएं हैं बल्कि यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ भी है । और कोई भी कार्यवाही करते समय उनके सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा ।

श्री सोनु सिंह पाटिल: क्या सरकार आदिवासी तथा हरिजन लोगों के पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही करते समय आर्थिक पहलु के इस पुराने ढंग में परिवर्तन करने पर विचार करेगी ?

प्रो० मधु दंडवते : कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारे सोचने का ढंग वही पुराना न रहेगा । हम भी आधुनिक आवश्यकताओं पर आधुनिक ढंग से विचार करेंगे ? हम देखेंगे कि क्षेत्रीय विकास से क्या अतिरिक्त आय हो सकेगी और उसी आधार पर अनुमान लगाया जायेगा ।

श्री आर० के० अमीन : प्रश्न यह नहीं है कि हमारी मान्यताएं पुरानी हैं या आधुनिक । हमारे देश में बहु मीटर गेज लाइनें हैं इस लिए माल ढोना अमितव्ययी रहता है। इसलिए एक ही मीटर गेज लाइन होना जरूरी है । यदि नई लाइन बिछानी हो . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप तो पूरी व्याख्या देने लगे हैं ।

श्री आर० के० अमीन : महोदय, इनकी मान्यताओं की आवश्यकता नई लाइनों के निर्माण के समय है न कि मीटर गेज को चौड़ी गेज में बदलने के समय । हमें तो उस पर सामान्य विकास की दृष्टि से सोचना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने इस बात को ध्यान में रखा है ।

श्री आर० के० अमीन : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या समस्त मीटर गेज लाईनों को चौड़ी लाइनों में बदलने की कोई सामान्य नीति नियत की गई है ?

श्री आर० के० महालगी : रेल लाइन के निर्माण के लिए मानदंड क्या है ?

प्रो० मधु दंडवते : इसके दो पहलू हैं । गेज को बदलने के लिए प्राथमिकता उन क्षेत्रों को दी जाती हैं जिनमें विकास की सम्भावनाएं हों या जो क्षेत्र पहले ही विकसित हों और यातायात सुविधाओं की कमी के कारण उत्पादन पर प्रभाव पड़ता हो । पिछड़े क्षेत्रों के बारे में मैंने बजट में पहले ही मानदंड निर्धारित कर दिये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हम तो एक विशेष मार्ग के बारे में प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं । सामान्य मामलों के बारे में तो बजट पर चर्चा के दौरान चर्चा हो चुकी है । इस प्रश्न से सम्बन्धित कोई बात पूछने पर मुझे आपत्ति नहीं और किसी बात के लिए मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री जी तो प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा यह अनुभव है कि प्रश्न काल में नीति सम्बन्धी मामलों पर चर्चा नहीं होनी चाहिये ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री जी ने अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे दिया है । मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या बांकुरा एक पिछड़ा जिला है, क्या वहां बांकुरा-दामोदर लाइन का निर्माण किया जायेगा ? इस समय वहां छोटी लाइन हैं । क्या उसे चौड़ी लाइन में बदला जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं ।

रेलवे वर्कशापों और कार्यालयों के प्रशिक्षुओं की छंटनी

***333. श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न रेलवे वर्कशापों और कार्यालयों से प्रशिक्षुओं की छंटनी रोकने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) उनको खपाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) अप्रैंटिस अधिनियम, 1961 की व्यवस्थाओं के अनुसार, रेलवे का सांविधिक उत्तरदायित्व कुछ ट्रेडों में अप्रैंटिसों को निर्धारित अनुपात में नियुक्त करने और उन्हें केवल प्रशिक्षण देने का है । प्रशिक्षण की समाप्ति पर इन अप्रैंटिसों को नौकरी देने की जिम्मेदारी रेलों की नहीं है । तदनुसार, प्रशिक्षण की समाप्ति पर रेलों के साथ उनकी अप्रैंटिस शिप समाप्त हो जाती है और इसलिए, उनकी छंटनी का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) रेल मंत्रालय ने, विशेष मामले के रूप में, विनिश्चय किया है कि लिपिकों की कोटियों में जिन अप्रेंटिसों ने पहले ही अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, उन्हें वर्तमान खाली पड़े हुए तथा 31-3-1978 तक प्रत्याशित रिक्त स्थानों में से 50 प्रतिशत पदों में समाहित करने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा । कारीगरों की कोटियों में, अप्रेंटिसो को कुशल संवर्ग में समाहित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

Shrimati Ahilya P. Rangnekar : The hon. Minister has not given complete reply. Even those apprentices who were provided with employment are being victimised. I have received a telegram containing names of many persons from the Research Department who have been victimised. Will he enquire into the matter ?

Prof. Madhu Dandavate : No body has been ousted simply because he was an apprentice If the hon. Member gives me those names then I shall enquire as to why their services have been terminated. In this connection we have formulated a policy and they will be employed accordingly. But the policy regarding the apprentices is very clear.

Shri Ramdhari Shastri : What is the number of trained apprentices who have not been given any work ?

Prof. Madhu Dandavate : I have a table running into 4 pages which contains details about artisans, commercial and clerical personnel. With your permission I shall lay it on the Table of the House.

Shri Chhabi Ram Argal : What is the number of trained persons belonging to scheduled castes and Scheduled tribes and if their quota has not been filled, will they be given priority in the matter of employment ?

Prof. Madhu Dandavate : It will be our policy to fulfil the reserved percentage quota of scheduled castes and scheduled tribes in each category. Even if qualified apprentices are not available the vacancies will be filled up to complete the quota.

Shri Chhabi Ram Argal : I had asked about)the number of trained apprentices belonging to scheduled castes and scheduled tribes and if the reserved quota has not been fulfilled. Will they be given employment on the priority basis ?

Prof. Madhu Dandavate : I have not complete information in this regard at present but I want to assure the hon. Member that all such people will be given priority and efforts will be made to fulfil the quota.

श्री एम० कल्याणसुन्दरम: मंत्री जी के उत्तर से लगता है कि उन्हें समस्या के बारे में पूरी जानकारी नहीं है । हजारों युवा कर्मचारी प्रशिक्षु के रूप में भर्ती किये जाते हैं और प्रशिक्षण के बाद उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है । रेलवे विभाग उन्हें काम देने के लिए बाध्य नहीं परन्तु देश में बेरोजगारी की समस्या इतनी गम्भीर है कि उन युवकों को कहीं काम नहीं मिल पाता । पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद न तो सरकारी क्षेत्र में और न ही गैर-सरकारी क्षेत्र में उन्हें कोई काम मिल पाता है । ये कर्मचारी तो खलासी के रूप में काम करने को भी तैयार हैं । क्या मंत्री जी उन्हें अकुशल कर्मचारियों के रूप में ही रखने को तैयार हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : सदस्य महोदय ने प्रश्न को बहुत विस्तृत कर दिया है । मैं फिर भी उत्तर दूंगा । जो 14000 प्रशिक्षु प्रशिक्षण ले रहे थे उनमें से 1500 कर्लक सेवा में थे । कठिनाई यह है कि कार्मिक संघों ने एक मांग कर रखी है । जहां तक वाणिज्यिक सेवा और क्लर्क सेवा का सम्बन्ध है, हम ने प्रशिक्षुओं के प्रतिनिधियों से बात की थी और यह समझौता होने के बाद आदेश जारी किये गये कि कलर्क सेवा में रिक्त स्थानों में से 50 प्रतिशत स्थानों पर प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया जाये और 50 प्रतिशत बाहर से भरे जायें । लेकिन कठिनाई कारीगरों के ग्रुप की है । कार्मिक संघों का कहना है कि प्रशिक्षुओं और कारीगरों को कुशल सेवाओं के लिए न लिया जाये । चूंकि वे अकुशल श्रमिक हैं और चाहते हैं कि कुछ समय बाद उन्हें कुशल श्रमिक के रूप में पदोन्नत किया जाये । उनकी मांग है कि उन्हें प्राथमिकता दी जाये । अत: कार्मिक संघ के साथ कारीगरों के बारे में समझौता किये बगैर अंन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिया जा सकता ।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम : मेरा प्रश्न यह है कि क्या ये लोग अकुशल कर्मचारियों के रूप में रखे जायेंगे ?

प्रो० मधु दंडवते : जहां तक इन श्रमिकों का सम्बन्ध है, जिन्होंने कुशल काम के लिए आवेदन दिया है, वे अकुशल श्रमिक नहीं बनना चाहते । लेकिन यदि वे चाहते हों तो उन के आवेदन पर विचार किया जावेगा ।

श्री समर मुखर्जी : मुझे से कई प्रशिक्षुओं ने शिकायत की है कि वे पिछले कई वर्षों से प्रशिक्षु के रूप में कार्य कर रहे हैं । मुझे पता नहीं कि ठीक स्थिति क्या है । मैं गार्डन रीच वर्कशाप का उदाहरण

दे सकता हूं। उनकी शिकायत यह है कि यदि उन्हें अब मौका न मिला तो उनकी आयु बड़ी हो जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस गम्भीर मामले पर विचार किया जायेगा क्योंकि वे कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं और भविष्य में और किसी पदोन्नति की उन्हें आशा नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने स्पष्ट आश्वासन दिया है और कलर्क सेवा के लिए लिखित आदेश दिया है कि उन्हें इस समय रिक्त और रिक्त होने वाले 50 प्रतिशत स्थानों के लिए चुना जाये और यदि हम 100 प्रतिशत स्थान उन्हें दे दें तो बाकी कोई रिक्त स्थान नहीं रहेगा। कार्मिक संघ स्वयं भी इसे पसंद नहीं करेंगे। इस 50 प्रतिशत रिक्त स्थानों के लिए हम उन प्रशिक्षुओं को लेंगे जो कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

विशेष श्रेणी रेलवे प्रशिक्षु परीक्षा का लिया जाना

*334. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :**
श्री अरविन्द बाला पजनौर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष श्रेणी रेलवे प्रशिक्षु परीक्षा लेने का उद्देश्य क्या है,

(ख) क्या 1976 में हुई परीक्षा के आधार पर अन्तिम रूप से चुने गये उम्मीदवारों की संख्या इससे पहले के वर्षों में चुने गये उम्मीदवारों की तुलना में बहुत कम थी, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस योजना बीस वर्ष से कम आयु के लड़कों को रेलवे कारखानों में गहन व्यावहारिक प्रशिक्षण और जमालपुर के इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट आफ मेकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कारखाने में सैद्धांतिक प्रशिक्षण देने के लिए बनायी गयी है। इस प्रकार दिया गया प्रशिक्षण रेलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता है।

(ख) 1976 की परीक्षा के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों की संख्या पिछले दो वर्षों की संख्या से कम थी।

(ग) भर्ती वर्षानुवर्ष में कूती गयी रिक्तियों की संख्या के अनुसार की जाती है।

श्री अरविन्द बाला पजनौर : माननीय सदस्य ने अपने उत्तर में बताया है कि स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस योजना का उद्देश्य 20 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भर्ती करना है। किन्तु मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या प्रशिक्षण के बाद उन्हें नौकरी दे दी गई है ?

प्रो० मधु दंडवते : जहां तक 1976 में उनकी संख्या का सम्बन्ध है स्पेशल क्लास अप्रेंटिसों की संख्या 10 थी तथा स्नातकों की संख्या 18 थी। यदि अधिक अभ्यार्थियों की जरुरत होती है और उनका चयन किया जाता है तो हम उन्हें भी नौकरी देंगे।

Shri Nakam Chand Kachwai : Mr. Speaker, I want to know through you as to what is the percentage of special class Apprentices who are absorbed after the completion of their training and those who are not absorbed. How many Apprentices get this special training in the country every year ? Do you feel that the number of such candidates is less and their number should be increased ?

Prof. Madhu Dandavate : It is our experience that the number of special class Apprentices goes up and down from time to time. The figures in this regard from 1966 to 1976 are as under :—

1966	12
1967	14
1968	11
1969	10
1970	9
1971	10
1972	10
1973	17
1974	17
1975	23
1976	10

Efforts are made to absorb these people after the completion of their training.

Shri Tej Pratap Singh : I would like to know from the Hon. Minister whether some seats were reserved for the weaker sections and the Harijans while making selections.

Prof. Madhu Dandavate : So far as reservation for the candidates belonging to scheduled castes and scheduled tribes is concerned, certain percentage has been fixed at every level for them. If they are available, they are given preference and in future they will certainly be given preference.

श्री सौगत राय : भारतीय रेलवे भारतीय इंजीनियरी रेल सेवा में इंजीनियरों की भी सीधी भर्ती करता है। ब्रिटिश शासन के दौरान जब इंजीनियरिंग कालेज से काफी इंजीनियर उपलब्ध नहीं होते थे तो उनकी पूर्ति करने के लिए उस समय यह स्पेशल क्लास अप्रेंटिस योजना चालू की गई थी। इस संदर्भ में क्या रेल मंत्री इस योजना को समाप्त करने पर विचार कर रहे है ताकि भारतीय इंजीनियरी कालेजों से उर्तीण होने वाले स्नातक इंजीनियरों की भारतीय रेलवे में सीधी भर्ती की जा सके?

प्रो० मधु दंडवते : जहां तक मैकेनिकल इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा में सीधी भर्ती का सम्बन्ध है, यह दो तरीकों से की जाती है। पहला तारीका स्पेशल अप्रेंटिसों के रूप में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से समेकित भर्ती और दूसरा तरीका संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई संयुक्त इंजीनियरी सेवा परीक्षा में उर्तीण होने वाले स्नातक इंजीनियरों की भर्ती। माननीय सदस्य ने इस प्रक्रिया में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है और कहा है कि वर्तमान प्रक्रिया पुरानी हो चुकी है। इस मामले पर सम्बन्धित संगठनों तथा संघों से विचार विमर्श किया जायेगा और यदि उनकी इस बात में एक राय होती है तो फिर हम विचार करेंगे कि क्या इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर : इतने लोगों को अप्रेंटिस का प्रशिक्षण देने का क्या लाभ है, यदि उन्हें नौकरी नहीं दी जा सकी है ? कई ऐसे लोग है जिन्हें अप्रेंटिस का प्रशिक्षण दिया गया है किन्तु उन्हें भारतीय रेल में नौकरी नहीं दी गई है। उत्तर रेलवे में ऐसे कई मामले है, जिनकी मुझे जानकारी है।

प्रो० मधु दंडवते : अपने अनुभव के आधार पर हमने पहले ही श्रम मंत्रालय को सिफारिश की है कि श्रम मंत्रालय द्वारा जो परीक्षा ली जाती है तथा अप्रेंटिस की प्रणाली को समाप्त कर दिया जाना चाहिये क्योंकि हम सबको नौकरी नहीं दे पाते । इस से अप्रेंटिसों के मन में निराशा उत्पन्न हो जायेगी इस समय हम अप्रेंटिसों का का बिलकुल भी दाखिला नहीं कर रहे है ।

श्री आर० मोहनरंगम : मैं जानना चाहता हूं कि रेलवे अप्रेंटिस परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हरता क्या है ।

प्रो० मधु दंडवते : जहां तक क्लर्क अप्रेंटिसों का सम्बन्ध है यदि वह मैट्रिक है तो वह अप्रेंटिस का प्रशिक्षण ले सकता है । इसके पश्चात् दो प्रकार की परिक्षाएं होती है ।

पहले श्रम मंत्रालय परीक्षा लेता था । रेल कर्मशालाओं में कार्य कर रहे कुछ अप्रेंटिसों ने हमें बताया है कि हमारे लिए उस परीक्षा में बैठना संभव नहीं है । अत: हमने उनकी विभागीय परीक्षा करने का लाभ दिया है । जब उनकी परीक्षा होती है तो उनमें से 50 प्रतिशत को नौकरी दे दी जाती हैं । निस्ससंदेह इस मामले का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Sari Phirangi Prasad : In many departments including Railway department discrimination is done with the candidates belonging to scheduled castes and scheduled tribes. They are declared inefficient, I want to know whether the Hon. Minister would do away with such discrimination from the Ministry of Railways ?

Prof. Madhu Dandavate : A notice should be given to me in this regard.

Shri Ugra Sen : Many apprentices do not get jobs even after getting training. perhaps Hon. Minister is thinking that no apprentice training should be given in future. I want to know whether those apprentices would be given unemployment allowance who have not been absorbed.

Prof. Madhu Dandavate : The Question of apprentice is entirely a different question. My reply is about a special category. I was expecting that you will stop me but I have already replied to wrong question.

श्री सोनू सिंह पाटिल : स्पेशल क्लास की विशेषता क्या है ?

प्रो० मधु दंडवते : जैसा कि मैंने बताया है इंजीनियरों तथा टेक्नीशियनों की भर्ती दो स्त्रोतों से की जाती है । और उन्हें पुन: विद्यमान रिक्त स्थानों पर नियुक्त किया जाता है । चूंकि उन्हें एक विशेष टेक्नीकल तथा इंजीनियरिंग वर्ग से लिया जाता है, इसलिए उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है और तत्पश्चात् उनकी नियुक्ति की जाती है ,

लोक सभा तथा विधान सभा के विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में विषमता

***337. श्री दुर्गा चन्द :** क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में लोक सभा और विधान सभा के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में बहुत विषमता है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या के बारे में समान पद्धति अपनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोक सभा तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र दूर-दूर तक फैले हुए है ; और

(घ) क्या पर्वतीय क्षेत्रों में लोक सभा और विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पृथक पद्धति अपनाने का विचार है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) अलग अलग राज्यों में प्रत्येक संसदीय सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों की औसत संख्या में कुछ भिन्नता है ।

(ख) केवल यही कार्यवाही की जा सकती है कि निर्वाचकों की गिनती यथा संभव पूर्णत: की जाए ।

(ग) जी हां, । कुछ निर्वाचन क्षेत्र दूर-दूर तक फैले हुए है ।

(घ) जी नहीं ।

श्री दुर्गा चन्द : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसी निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के लिए क्या आधार तथा सिद्धान्त है ।

श्री शांति भूषण : संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि किसी राज्य को दिए जाने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का नियतन उस राज्य की जनसंख्या में अनुपात से होगा । यहां मैं यह स्पष्ट कर दू कि किसी भी राज्य में केवल मतदाता ही नहीं होते अपितु ऐसे लोग भी होते है जिनकी आयु मतदान की नहीं होती । किन्तु चूकि किसी भी संसदीय निर्वचन क्षेत्र का वितरण वहां की कुछ जनसंख्या के आधार पर होता है, अत: कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उस राज्य में मतदाताओं का अनुपात समान न हो । अत: ऐसा होता है कि चूकि किसी भी राज्य में कुछ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होते है अत: मतदाताओं की कुल संख्या को निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में विभाजित करना पड़ता है इसका परिणाम यह होता है कि कुछ राज्यों में मतदाताओं की औसत संख्या अधिक होती है तो कुछ में कम इसके अतिरिक्त किसी भी निर्वाचन क्षेत्र को अखंडित रुप में होना पड़ता है और उसका विखडंन नहीं होना चाहिए ताकि सुविधा आदि के लिए राज्य में 10 प्रतिशत अंतर रखा जा सके ।

श्री दुर्गा चन्द : क्या मैं जान सकता हूं कि किसी निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करते समय उय क्षेत्र के भौगोलिक पहलू को भी ध्यान में रखा जाता है क्योंकि कई निर्वाचन क्षेत्रों का क्षेत्रफल 300 से 500 किलोमीटर तक फैले होते है जबकि कुछ निर्वाचन क्षेत्र केवल 10 किलोमीटर तक होते है ।

श्री शांति भूषण : चूंकि एक ही राज्य में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या अनुमानत लगभग बराबर सी होती है इसमें 10 प्रतिशत तक कमी-अधिकता होती है । कई निर्वाचक क्षेत्रों में जन-संख्या बिखरी होती है, ऐसे निर्वाचक क्षेत्रों का क्षेत्रफल सदैव बढ़ा होता है । ऐसा केवल उन राज्यों में होता है जहां निर्वाचन क्षेत्र विस्तृत होते हैं क्योंकि वे राज्य बड़े होते हैं जबकि उनकी जनसंख्या अधिक नहीं होती ।

श्री के० लकप्पा : सबसे महत्वपूर्ण पहलू मतदाताओं की परिगणना का है । हमारा संसदीय तथा विधान सभाओं के चुनावों का अनुभव यह है कि अधिकांश मतदाताओं की समुचित ढंग से परिगणना नहीं की गई है । जो लोग परिगणना के लिए जाते हैं वे मतदाताओं की समुचित ढंग से परिगणना नहीं करते । फलस्वरूप बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाताओं की सूची में सम्मिलित नहीं किए गए । सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि संसदीय तथा विधान सभाओं की चुनावों के लिए देश में मतदाताओं की परिगणना समुचित ढंग मे हो ।

श्री शांति भूषण : यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरती जायेगी कि परिगणना की प्रक्रिया यथासंभव सही हो । यदि कोई सुझाव दिए जायेंगे तो उन पर विचार किया जायेगा और कमियों को दूर किया जायेगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Hon. Minister has just stated that there might be minor variations up to 10 per cent. But at the same time the Hon. Minister knows that there is variation from 30 to 40 per cent in the same State. Delimitation is done after 10 years on the basis of Census report. Delimitation should be done after every five years and that too on the basis of voters' strength. Because a number of people shift from one place to another place and that causes a difference of 40 to 50 per cent.

Shri Shanti Bhushan : There is provision in the Constitution under which a Delimitation Commission is set up. This Commission comprises of a Supreme Court Judge, a High Court Judge and the Chief Election Commissioner. This Commission performs the work relating to delimitation. Every care is taken to see that there should not be much variation, but if sometimes on the eve of elections population on the large scale shifts from one place to other place, then it so happens.

Shri Nathu Singh : The previous Government delimited the Constituencies to protect their interests. They had expanded the area of several Constituencies. Whereas some constituencies were made small. As a result of it, some parts of one Constituency were included in another Constituency. I want to know from the Minister whether the area as well as the population of a Constituency will be kept in view while improving that constituency. What steps are being taken in this regard ?

Shri Shanti Bhushan : That is why the provision for setting up a Delimitation Commission has been made in the Act. The Speaker of the Lok Sabha nominates 10 members and the Speaker of the legislative Assembly of that State in which the Delimitation is to be done nominates to 10 members and the work of delimitation is done under their supervision.

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने यह नहीं माना कि लोक सभा तथा विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में बहुत असमानता है । यहां तक कि लोक सभा के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में ही मतदाताओं की संख्या में बहुत असमानता है । उदाहरण के लिए मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में मेरा निर्वाचन क्षेत्र बहुत बढ़ा है, जिसमें 6,20,000 मतदाता हैं जबकि अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 5 से $5\frac{1}{2}$ लाख तक है । इस तरह यह लगभग 70,000 का अंतर है । इसके अतिरिक्त जनसंख्या के इधर से उधर जाने के फलस्वरूप लगभग 25000 मतदाताओं का सूची में नाम नहीं है । क्या मंत्री महोदय निर्वाचन आयोग को कहेंगे कि वे नियमित रूपसे समय समय पर मतदाताओं की सूची की जांच करें ताकि इस तरह की असमानताओं को दूर किया जा सके ।

Shri Shanti Bhushan : If we receive any such complaint from the Election Commission as the Hon. member has said that there is margin up to 70,000, we would certainyl look into it. As I have already said that maximum margin of 10 per cent is kept there for the convenience of delimitation. But if the margin is much higher than this, then the attention of the Election Commission would be drawn to it.

श्री श्याम नन्दन मिश्र : ऐसा लगता है कि वर्तमान स्थिति संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं है । संविधान के अनुच्छेद 81(2) में यह उपबन्ध है कि सीटों की संख्या तथा जनसंख्या के बीच कुछ निर्धारित अनुपात होगा जो कि समूचे देश में समान रूप से होगा । संवैधानिक स्थिति तो यह है । किसी निर्वाचन क्षेत्र में इस समय यदि एक मतदाता है तो दूसरे में तीन अर्थात् दूसरे में उनकी संख्या तिगुनी है । संविधान के उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए ऐसा कब तक चल सकता है । क्या वह इस असमानता को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री शांति भूषण : जैसा कि मैंने बताया कि जहां तक बड़े-बड़े राज्यों का सम्बन्ध है उनमें यह संवैधानिक उपबन्ध वहां की कुल जनसंख्या पर निर्भर करता है न कि उस राज्य में मतदाताओं की संख्या

पर से यह अंतर हो सकता है कि किसी राज्य में मतदाताओं की अधिक प्रतिशतता अधिक हो जबकि दूसरे राज्य में कम। जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, इनके लिए एक विशेष उपबन्ध है। क्योंकि उनके लिए उपबन्ध करना ही पड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई संघ राज्य क्षेत्र बहुत छोटा है और उसकी जनसंख्या भी बहुत कम हो तो भी उसके लिए एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसका परिणाम यह होता है कि वहां मतदाताओं की संख्या बहुत कम होती है।

श्री विनोद भाई शेठ : मध्यम वर्ग के परिवारों के हजारों मतदाताओं का नाम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। क्या यह भूतपूर्व सरकार की चालाकी नही है। क्या सरकार प्रक्रिया को आसान बनाने पर विचार कर रही है ताकि मतदाता अपने नाम सूची में सम्मिलिति करवा सकें।

श्री शांति भूषण : चुनावों से पहले एक अधिसूचना निकली जाती है जो कि मतदाताओं की सूची में शुद्धि करने के लिए होती है ताकि कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में न हो वह अपना नाम सूची में सम्मिलित करन के लिए प्रार्थना पत्र भेज सके और उसके प्रार्थना पत्र को निपटाया जा सके। यदि लोगों के इधर जाने से बड़ी मात्रा में इस तरह की भूल चूक हों तो उन्हें तदनुसार ही निपटाया जा सकता है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : इस समय मतदान केन्द्र जनसंख्या तथा किसी क्षेत्र में मतदाताओं के आधार पर स्थापित किये जाते हैं। किन्तु कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में जहां जनसंख्या बिखरी हुई है, मतदान केन्द्र तथा निवासों के बीच बहुत दूरी होती है और लोगों को मतदान के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। इसके फवस्लरुप लोग वहां मतदान के लिए नहीं जाते। क्या सरकार इसके लिए कुछ व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ताकि लोगों को 10–15 मील पैदल न चलना पड़े ?

श्री शांति भूषण : पहले भी ऐसे स्थानों पर मतदान केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रयास किए गए हैं ताकि मतदाताओं को इतनी कठिनाई न हो। किन्तु यदि अभी भी कुछ स्थानों से कुछ शिकायतें आती है, तो उन पर ध्यान दिया जायेगा।

Shri Ram Kanwar Berwa : Favour is done in the polling booths and constituencies. In the past from my Constituency always opposition member was elected. Now that Constituency has been given another shape. The Hon. Minister has not accepted my suggestion. In my Constituency there are 8 constituencies of Legislative Assembly. It is difficult for a Harijan candidate to win the election from there. Favouritism should be done away with from there.

Shri Shanti Bhushan : I have no knowledge about any such incident taking place in the past. If a notice is given to me, I would collect information in this regard. Care will be taken to avoid such incidents in future.

Shri Manohar Lal : From the very inception of Democracy in India some constituencies in some states are being treated as reserved Constituencies. I want to know whether there are some politieal reasons for this or there is any such procedure under which they are kept reserved.

Shri Shanti Bhushan : The reason for keeping some constituencies reserved is to avoid concentration thereof. Secondly reserved seats are mostly kept in those areas where the population of Harijans and other such castes is bigger than other castes.

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या सरकार को पता है कि एक मतदान केन्द्र में रहने वाले लोगों को दूसरे मतदान केन्द्र से जोड़ दिया जाता है। यदि हां, तो क्या सरकार ऐसा नहीं होने देगी ?

अध्यक्ष महोदय : यदि सूचना दी गई तो इस गल्ती में स्वतः ही सुधार हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि इससे संसद का कोई सम्बन्ध है। कहीं कुछ गलती के कारण ऐसा हो गया होगा कि एक गांव दूसरे गांव से मिल गया होगा।

Shri Shivnarain Sarsunia: So f r as delimitation is concerned, the number of reserved seats is being slowly reduced. The population of Scheduled Cast s is increasing but the numb r of their seats is reducing. Will the Minister pay his attention to it ?

Shri Shanti Bhushan : I don't think that the number has gone down. If the Hon. Member gives me notice, I would try to collect information in this regard.

Shri Shivnarain Sarsunia : In the Lok Sabha their seats have come down from 86 to 85.

Shri Bhanu Kumar Shastri : Provision has been made to include the names of those persons in the list of voters on the b sis of applications whose names are not already there. There are so many places where nobody is educated. For example in my Constituency there are 10 lakhs Adivasis and none of them is educated. It means they would be deprived of including their)names in the list of voters because they are not educated and they cannot write applications. I want to know whether Government would make some arrangements to facilitate such persons to get their names included in Voter's list.

Shri Shanti Bhushan : The Election Commission conducts surveys from time to time and improvements are made in the list. Besides this the voters list is revised by Election Commission from time to time. The second notice is issued to see that nobody is left from including his name in that list.

Shri Raj Vishwashwar Rao : Area restrictions have been removed for Adivasis and scheduled areas have been finished as a result the number of Adivasis has increased. I want to know whether the number of seats for them would be increased keeping in view the increase in their number ?

Shri Shanti Bhushan : So far as reserved seats are concerned, they are regulated by the Constitution and the law. The allotment of Seats has been done accordingly. If I am informed about any omission, that would be looked into.

Shri Ram Lal Rahi : No doubt many people cannot cast their votes because their names are not in the list of voters. Unfortunately the voters' list are prepared by the Revenue Department. I want to know whether any legal action would be taken against the officer responsible for not including of the name of any person in the list of voters ?

Shri Shanti Bhushan : This duty is performed by the Election Commission. They use efficient machinery to perform this d ty. If it is found that any body has delibrately done some wrong, we would certainly take action against him.

श्री एल० के० डोले : हमारा यह अनुभव रहा है कि निर्वाचन क्षेत्रों का आकार जनसंख्या के घनत्व के अनुसार होता है। जिस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, वहां के निर्वाचन क्षेत्र का आकार छोटा होता है जहां घनत्व कम होता है, वहां निर्वाचन क्षेत्र का आकार अनावश्यक रुप से बड़ा कर दिया जाता है। उम्मीदवारों को इतने बड़े क्षेत्र में जाना पड़ता है जिससे कि उसका खर्चा बढ़ जाता है और कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पहुंचा भी नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में वित्त के लिए अत्यधिक प्रयास करने पड़ते हैं। अत : निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में व्याप्त विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार चुनावों पर होने वाले व्यय के मामले में कुछ राहत देने पर विचार करने के लिए तैयार है?

श्री शांति भूषण : जब मतदान सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तो चुनाव में वित्तीय पहलू के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। उस समय सभी दलों से विचार विमर्श किया जायगा और जो भी सभंव होगा, किया जायेगा ?

Dr. Sushila Nayar : It is our experience that in every election thousands of voters are deprived of their franchise. Every time voters lists are prepared. Sometimes these lists are prepared at home. I want to know whether the Hon. Minister would consider to prepare a permanent voters list ? When any voter dies his name should be removed from that list and those who become eligible for franchise, their names should be included there.

Today we see that the name of a regular voter is sometimes missing from the list, The names of many voters whose names were in the list during the Lok Sabha elections, were not found during the elections for local bodies. Some arrangements should be made to avoid such situation.

In England and other countries, there are permanent Constituencies, but in our country the process of delimitation always goes on. If any candidate finds that some part of his Constituency is ag inst him, he gets it separated from his Constituency and it is linked with another Constituency. I want to know whether the Hon. Minister would consider to have permanent Constituencies in our country ?

Shri Shanti Bhushan : We cannot have a permanent voter's list because old voters will die and new voters will come up. Sometimes some voters shift from one place to another. Therefore we cannot have permanent voters list. The old voters list can be kept in view while preparing new lists.

So far as permanent delimitation is concerned. that too is not possible, because the population increases and decreases. For example if at some place any big industry is set up, a large number of people will shift there. Therefore, permanent delimitation is not possible. We will have to make some changes in it from time to time.

श्री जी० एस० रेड्डी : क्या चलते-फिरते मतदान-केन्द्रों की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है ताकि लोगों को चलना न पड़े ?

श्री शान्ति भूषण : उनके सुझाव पर पूरा ध्यान दिया जायेगा ।

श्री चरण नरजरी : आम तौर पर अनुसूचित जनजाति के लोग संहत क्षेत्रों में रहते हैं । गत 30 वर्षों में हमने देखा है कि अनुसूचित जनजाति निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन इस ढंग से किया जाता है कि आदिवासी आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्रों में गैर-आदिवासी लोग बहुसंख्या में हो जाते हैं और इसी कारण अनुसूचित जनजाति के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कानून क्या है? क्या सरकार भविष्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्रों का इस प्रकार से परिसीमन करने के लिए ठोस कदम उठाने का विचार कर रही है ताकि आदिवासी सभी अनुसूचित जनजातियों के निर्वाचन क्षेत्रों में आदिवासियों की बहुसंख्या हो ?

श्री शान्ति भूषण : चूंकि निर्वाचन-क्षेत्र भूगोलिक संहत यूनिट में होते हैं और यदि किसी भूगोलिक क्षेत्र में आदिवासी बहुसंख्या में हैं, तो निश्चय ही वह एक ऐसा निर्वाचन-क्षेत्र होगा जिसमें आदिवासियों की बहुसंख्या होगी । परन्तु अन्यथा किसी भूगोलिक यूनिट में यदि वे अल्पसंख्या में हैं तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता ।

Shri Hukamdeo Narain Yadav : There is likelyhood of bogus voting at a polling booth in the absence of any genuine identity card with the voters. Whether there is any proposal to issue identity card with photo to voters to check it ? This card will indicate his serial number of the electoral list and of the Polling Booth number and these numbers will not be changed till he is alive.

Shri Shanti Bhushan : This suggestion is very good but it involves huge expenditure. Its burden will be on poor people who may not be able to bear it.

Shri Dhanna Singh Gulshan : Are you aware that some reserve constituencies remain reserved for 15 years as a result of which the people of upper classes feel depressed as they do not get opportunity to elect their representative ?

Shri Shanti Bhushan : They get opportunity because they can stand from any constituency. There is no necessity to change the reserve constituency.

Shri Krishan Kumar Goyal : The delimitation process is completed after every ten years and these are formed on political basis. Whether keeping in view all these things Government propose to complete the work of delimitation within a period of 5 years ?

Shri Shanti Bhushan : It is not that this work of delimitation takes a period of ten years. Delimitation Act was passed in 1972 and then a Delimitation Commission was set up and it has completed this job. Now the constitution has been so amended that constituencies will be changed on the basis of census after 2000 A.D.

श्री अमर राय प्रधान : पश्चिम बंगाल प्रान्त में एंग्लो इन्डियन इन्कलेव जैसे कुछ क्षेत्र है जहां पर गणना सम्बन्धी कोई व्यवस्था नहीं है और गत कुछ चनावों में इन दोनों के लोगो ने चुनावों भाग नहीं लिया । मेरा प्रश्न यह है : इन लोगों के नाम शमिल करने और चुनावों में भाग लेने में उनका सहायता करने के लियेसरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री शान्ति भूषण : यदि माननीय सदस्य विस्तार में कोई विशेष प्रश्न भेजते हैं तो इसकी जांच की जायेगी ।

Shri Shiv Narain : No action is taken on the applications submitted before the Returning Officer for registration of names. Moreover some constituencies are very big and great difficulties are experienced in casting votes. Will you provide for electrol reforms so as to remove all these difficulties ?

Shri Shanti Bhushan : There is provision for everything in law. If everyone of us do his work properly, then all these things will not happen.

अध्यक्ष महोदय : अब हम अल्प सूचना प्रश्न संख्या 11 को लेंगे ।

श्री सौगत राय : यह प्रश्न किस अल्प सूचना प्रश्न के रूप में आया है ?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : गत सप्ताह एक प्रश्न खाद्य तेल के बारे में पूछा गया था । मंत्री महोदय आपको बता सकते थे कि इसे अल्प सूचना प्रश्न के रूप में नहीं लिया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, तो मंत्री महोदय को उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा । कृपया उनको सुनिये **(व्यवधान)**

श्री शान्ति भूषण : उत्तर चाहे कुछ भी हो, मंत्री का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब अल्प सूचना प्रश्न को लिया जायगा ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

बम्बई में कम्पनी विधि बोर्ड की बैठकें

11. **श्री आर० के० अमीन :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी और फरवरी, 1977 के महीनों के दौरान बम्बई में कम्पनी विधि बोर्ड की बैठकें हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो कितनी बैठकें हुई थीं और क्या भूतपूर्व विधि मंत्री, श्री गोखले के दामाद अनेक कम्पनियों के लिए सलाहकार (कौंसल) के रूप में पेश हुए थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी काय मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) जनवरी, 1977 में, बम्बई में कम्पनी विधि बोर्ड बेन्च की पांच बैठकें तथा फरवरी, 1977 में पांच बैठकें हुई थीं।

इन बैठकों में सुनवाई किये गये मामलों में से किसी में भी भूतपुर्व विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री श्री एच० आर० गोखले के दामादों में से कोई पेश नहीं हुआ था।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

प्रो० आर० के० अमीन : इस मामले में कुछ गड़बड़ी है। आमतौर पर कम्पनी कानून बोर्ड की बैठक दिल्ली के बाहर होती हैं, अब ये दिल्ली में हो रही हैं। आमतौर पर वे एक महीने में 5 बैठकें करने की स्थिति में नहीं हैं। इसके अलावा ये बैठकें लोक सभा भंग किये जाने के बाद 17 जनवरी के तुरन्त बाद आयोजित की गईं। इन दो महीनों के अन्दर ही कम्पनी कानून बोर्ड ने मुख्य निर्णय लिए। क्या कार्यवाहक सरकार इतने महत्वपूर्ण निर्णय इतनी जल्दी ले सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक महीन में कम्पनी कानून बोर्ड की इतनी अधिक बैठकें आयोजित करने की परम्परा है। दूसरे क्या इन्हें दिल्ली से बाहर आयोजित करना इतना आवश्यक है और क्या ऐसा पहले भी किया गया है और तीसरे, लोक सभा के भंग होने के तुरन्त बाद दो महीनों के बीच इतने महत्वपूर्ण निर्णय क्यों लिए गये ?

श्री शान्ति भूषण : पश्चिमी क्षेत्र में मामलों की सुनवाई के लिये बोर्ड ने दो दो-सदस्यीय पीठ और एक-एक-सदस्यीय पीठ का गठन किया। दो-सदस्यीय पीठ 28 दिसम्बर, 1976 से गठित किए गए और श्री राजगोपालन का एक-सदस्यीय पीठ 6 जनवरी, 1977 को बनाया गया। इस एक सदस्यीय पीठ ने जनवरी, 1977 में 10 मामले निपटाये और फरवरी, 1977 में 8 मामले निपटाये। दो-सदस्यीय पीठ ने जनवरी, 1977 में 15 मामले और फरवरी, 1977 में 8 मामले निपटाये।

प्रो० आर० के० अमीन : जब कतिपय कम्पनियों के वकील के रूप में दामाद के पेश होने के बारे में पूछा था तो विचार सरकारी भुगतान के बारे में नहीं था, हवाला उस फीस का था जो कतिपय कम्पनियों ने उनकी सहायता हेतु--सरकारी तौर पर वकील के रूप

में न होकर अप्रत्यक्ष रूप में—दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन कम्पनियों ने, जिनके मामले जनवरी–फरवरी में निपटाये गये, कुछ फीस दी है ?

श्री शान्ति भूषण : मुझे इस बारे में कोई जानगारी नहीं है कि जिन मामलों में वे पेश नहीं हुए उनके लिए भी उन्हें कोई फीस दी गई। परन्तु एवरो इन्डस्ट्रीस के मामले में दामाद ने नहीं बल्कि श्री गोखले की पुत्रवधु, श्रीमती सुनन्दा भण्डारे ने वकालत नामा भरा था। यह मामला नई दिल्ली में सितम्बर, 1975 में दाखल किया गया था, परन्तु बम्बई में पीठ बनने के कारण इसे बम्बई हस्तान्तरित कर दिया गया। परन्तु वह बम्बई में उपस्थित नहीं हुई।

श्री के० सूयनारायण : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा नियम है कि दिल्ली के अलावा किसी और स्थान पर बैठकें नहीं की जा सकतीं, क्या पिछली सरकार को बम्बई या किसी और स्थान पर ऐसी बैठकें आयोजित करने का कोई अधिकार नहीं था ?

श्री शान्ति भूषण : जी नहीं। बैठकें कम्पनी कानून बोर्ड पीठों द्वारा बम्बई में आयोजित की जा सकती थीं।

Shri Ugrasen : Why the former Minister of Law, when he was all in all of the company Law Board, held so many meetings in his constituency during process of elections ?

Shri Shanti Bhushan : Sitting of regular benches are held in Delhi, Calcutta, Madras and Bombay in respect of bench cases.

Shri Ugrasen : This is not the reply to my question.

Shri Shanti Bhushan : I cannot say anything about it.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हम जानना चाहते हैं कि प्रति माह आयोजित की जाने वाली बैठकों की औसत संख्या क्या है, और फरवरी के महीने में आयोजित की गई बैठकों की संख्या क्या थी और फरवरी में बोर्ड द्वारा क्या महत्वपूर्ण बातें तय की गई ?

Shri Shanti Bhushan : If the hon. Member gives notice in this regard I can give information after collecting the same.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Broad Gauge Line from Rampur to Kathgodam (U.P.)

***128. Dr. Murli Manohar Joshi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether foundation stone for the construction of a broad gauge railway line from Rampur to Kathgodam (U.P.) was laid in 1974 by the then Prime Minister ;

(b) if so, the progress made so far in this work ; and

(c) the time by which this scheme is proposed to be taken up for implementation ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) to (c). Yes, Sir, the foundation stone for the project was slaid by the then Prime Minister in 1974. The Project is included in the Railway Budget. The Final Location Survey is nearing completion and construction work on the project has also been started.

रेल इंडिया टैक्नीकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज का गठन

*324. **श्री आर० कोलनथाइवेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनामिक सर्विसेज के संगठन एवं गठन की स्थिति क्या

(ख) संगठन की अब तक की उपलब्धियां क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) (क) और (ग) : रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकोनामिक सर्विसेज लिमिटेड (संक्षेप में राइट्स) रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी क्षेत्र का एक रजिस्टर्ड औद्योगिक संस्थान है, जिसका प्रधान कार्यालय नयी दिल्ली में है । इस कम्पनी की वर्तमान प्राधिकृत हिस्सा पूंजी एक करोड़ रुपये और अभिदत्त हिस्सा पूंजी 10 लाख रूपये है । इस कम्पनी की प्रबन्ध व्यवस्था के लिये एक पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक और 2 पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक हैं । अध्यक्ष रेलवे बोर्ड इस कम्पनी के अंशकालिक अध्यक्ष हैं और कम्पनी के प्रबन्धक बोर्ड में तीन और अंशकालि निदेशक भी हैं ।

2 यह कम्पनी प्राथमिक रुप में भारत से बाहर के देशों में रेलवे लाइनों के निर्माण, संचलान तथा प्रबंध के सभी क्षेत्रों में परामर्श देने संबंधी सेवाओं की भारी मांग की पूर्ति के लिए 1974 में स्थापित की गयी थी ।

3 रेल इंडिया टेक्नीकल एवं इकोनोमिक सर्विसेज लिमिटेड ने विदेशों में निम्नलिखत परियोजनाएं सफलतापूर्वक सम्पन्न की हैं :—

(i) सीरिया में तीन नयी लाइनों का (450 कि०मी०) आर्थिक अध्ययन सहित व्यावहारिक एवं लागत अध्ययन ।

(ii) ईरान में एक नयी लाइन (325 कि० मी०) के लिए प्राथमिक व्यावहारिक एवं लागत अध्ययन ।

(iii) घाना रेलवे में विशेष रुप से चल स्टाक के अनुरक्षण मानक में, तथा सामान्य रुप से रेलवे प्रणाली में सुधार के लिए प्रणाली अध्ययन ।

4 इस समय यह कम्पनी विदेशों के निम्नलिखित कार्यों में संलग्न है :—

(i) रेलवे की कार्य प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में निपुर्ण कार्मिकों की जायरे की राष्ट्रीय रेलव में काम करने के लिए प्रति नियुक्ति और साथ ही स्वदेश स्थित कार्यालयों से अपेक्षित सेवाओं की व्यवस्था ।

(ii) फिलीपीन राष्ट्रीय रेलवे की 474 कि० मी० लम्बी मनीला लेगापी लाइन को मजबूत करने तथा फिर से बिछाने के सम्बन्ध में परामर्श देना ।

(iii) घाना रेलवे पर चल स्टाक तथा डीजल रेल इंजनों के अनुरक्षण में सुधार करने के लिए ट्रेनिग सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में परामर्श ।

(iv) नाइजेरियन रेलवे कार्पोरेशन के लिए लाइन के अमान परिवर्तन और /या नयी लाइनों के मानक निर्धारित करने के सन्दर्भ में अल्पवधि या दीर्घावधि उपायों को सूत्र बद्ध करने के लिये वर्तमान रेल प्रणाली के अध्ययन के लिए परामर्श की व्यवस्था ।

5. यह कम्पनी देश के भीतर निम्नलिखित कार्य भी हाथ में लिए हुए हैं :—

(i) ब्रह्मपुत्र नदी पर सड़क पुल के निर्माण के लिए सर्वेक्षण ।

(ii) उपर्युक्त पुल के लिए अपेक्षित अधिकतम उर्वरक तथा कच्चे माल के परिवहन की व्यवस्था ।

(iii) पूर्वी भारत में सुपर थर्मल पावर प्लांट के लिए इसके निकट लूप रेलवे सेवा के निर्माण हेतु परामर्श सेवा ।

(iV) दक्षिण भारत में एक भारी इस्पात कारखाने के लिए रेल संबंधी सुविधाओं के बारे में परामर्श ।

(V) भारत के पूर्वोत्तरी क्षेत्र में आंतरिक जल परिवहन के लिए परामर्श सेवा ।

6. 1976 में इस कम्पनी ने जो कार्य किए उनके सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा 12 % का लाभांश घोषित किया गया । आशा है, इस वर्ष भी यह कम्पनी भारी लाभ अर्जित करेगी ।

गुरुवायूर-कुट्टीपुरम रेलवे लाइन के लिए उच्च प्राथमिकता

*325. **श्री के० ए० राजन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल राज्य में गुरुवायर– कुट्टीपुरम रेलवे लाइन के निर्माण को उच्च प्राथमिकता देने का है; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) गुरुवायुर के रास्ते कुट्टीपुरम से त्रिचूर तक रेल सम्पर्क के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया है । प्रस्तावित लाइन 60 किलोमीटर लम्बी होगी और अनुमान है कि इस पर लगभग 11 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसमें 1.4 प्रतिशत वित्तीय प्रतिफल मिलेगा । रिपोर्ट की जांच पूरी हो जाने पर इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय किया जाएगा । लेकिन यह काम संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

त्रिवेणी एक्सप्रैस रेलगाड़ी के यात्रियों का लूटा जाना

*326. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जून, 1977 को अतरमपुर स्टेशन के निकट त्रिवेणी एक्सप्रैस रेलगाड़ी के यात्रियों के लूटे जाने के समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार का भविष्य में यात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) (क) और (ख): जी हां । 8–6–1977 को 70 डाउन लखनउ-चोपन एक्सप्रेस में सशस्त्र डकती की घटना घटी । जब यह गाड़ी लाल गोपालगंज और रामचोरा रोड रेलवे स्टेशनों के बीच जा रही थी, तब तीन उपद्रवियों ने छ·

यात्रियों को लूट लिया और दो संदूक, एक अटेची केस तथा एक ब्रीफ केस दूसरे दर्जे के डिब्बा नं० 9068 से नीचे फेंक दिए। यात्रियों के विरोध करने पर उन्होंने दो यात्रियों को चाक् से घायल कर दिया और एक अन्य यात्रि पर एक देशी पिस्तौल चला दी जिससे उसका बाजू घायल हो गया। उपद्रवियों ने होसपाइप स्टापर को ढीला कर दिया और वक्यूम न रहने के कारण जब गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई, तब वे गाड़ी से कूद गए। घायलों में से दो को अस्पताल में भर्ती कराया गया ? जो सुराग मिले उनके अनुसार कार्यवाही करके दो अभियुक्तों अर्थात (1) मुख्तार अहमद, , पुत्र शहजाद हुसैन, (2) अबूल हुसैन पुत्र बशीर अहमद, को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों व्यक्ति कस्बा लाल गोपाल गंज, थाना नवाबगंज, जिला इलाहाबाद के निवासी थे। उन्होंने अपने इस अपराध को स्वीकार कर लिया तथा उनसे 40 साड़ियां तथा कुछ कपड़े बरामद किए गए। बाद में एक अन्य व्यक्ति मोहीउद्दीन उर्फ अल्लू को, जो लाल गोपालगज का निवासी था गिरफ्तार कर लिया गया और उससे लूटी हुई कलाई घड़ी तथा एक देशी पिस्तौल बरामद हुई। चुराई गई सम्पत्ति की कुल कीमत 15,000– रुपए है जिसमें जसे लगभग 4,627–रू० की सम्पत्ति और एक कलाई घड़ी पहले ही बरामद की जा चुकी है। सरकारी रेलवे पुलिस, इलाहाबाद ने भारतीय दंड संहिता की धारा 394/412 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया है। अभी मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। तीनों दोषी व्यक्तियों को जेल भेज दिया गया है।

(ग) चूंकि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों का काम है, इसलिए यात्रियों की जान-माल की रक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। गश्त लगाने का काम तेज करने के लिए रेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है और राज्य सरकारों ने रात को महत्व-पूर्ण गाड़ियों में मार्ग-रक्षियों की व्यवस्था करके, स्टेशन प्लेट फार्मों और दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों में नियमित गश्त लगाने के लिए कर्मचारी तनात करके अपराधियों पर नजर रखक इस प्रकार के अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की है।

पर्यटकों के लिए विशेष अनुभाग

*327. **श्री सरत कुमार कार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में पर्यटकों के लिए एक विशेष अनुभाग खोलने तथा भारतीय रेलों को पर्यटकों के लिए आकर्षक बानने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी नहीं।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है, जिसमें विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए की गई कार्यवाही का उल्लेख किया गया है।

विवरण

विदेशी पर्यटकों एवं विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए, 1–6–77 से इन्डरेल पास टिकटों की एक योजना प्रारम्भ की गई है जिसमें उन टिकटों की वैधता की अवधि के

भीतर, भारतीय रेलों पर असीमित यात्रा की अनुमति दी गई है। ये टिकट 7 से 90 दिन तक की विभिन्न वैधता अवधियों के लिए जारी किए जाते हैं और उनके किराए नीचे लिखे अनुसार हैं :—

वैधता की सीमा	किराया (अमरीकन डालर में)		
	वातानुकूलित दर्जा	पहला दर्जा/वातानुकूलित कुर्सीयान	दूसरा दर्जा
7 दिन	70	35	12
15 दिन	100	50	17
21 दिन	125	63	21
30 दिन	150	75	25
60 दिन	220	110	37
90 दिन	260	130	45

3 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए आधा किराया लिया जाता है जो निकटतम डालर तक पूर्णांकित होता है।

2. इन टिकटों को केवल विदेशी नागरिकों तथा विदेशों में रहने वाले उन भारतीयों को बेचा जा रहा है जिनके पास वैध पार-पत्र होते हैं। भुगतान विदेशी मुद्रा में करना होता है। बिक्री के लिए ये टिकट निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध हैं :—

1. रेलवे पर्यटक गाइड, पश्चिम रेलवे, चर्च गेट, बम्बई।
2. रेलवे पर्यटक गाइड, मध्य रेलवे, बम्बई वी० टी०।
3. रेलवे पर्यटक गाइड, पूर्व रेलवे, फेयरली प्लेस, कलकत्ता।
4. केन्द्रीय आरक्षण कार्यालय, दक्षिण पूर्व रेलवे, एसप्लेनेड मन्शन्स, कलकत्ता।
5. केन्द्रीय आरक्षण कार्यालय, दक्षिण रेलवे, मद्रास सेन्ट्रल, मद्रास।
6. रेलवे पर्यटक गाइड, उत्तर रेलवे, बडौदा हाउस, नई दिल्ली।

इसके अलावा, ये टिकट ऐसे मान्यताप्राप्त रेलवे ट्रेवल एजेन्टों द्वारा भी बेचे जा सकते हैं जिनके पास रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से प्रतिबन्धित मुद्रा विनिमय करने का लाइसेंस हो।

3. "इन्डरेल पास" धारी को पास की वैधता की अवधि में राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों सहित सभी गाड़ियों से अपनी इच्छानुसार यात्रा करने का अधिकार होगा। चूंकि राजधानी एक्सप्रेस के किराए में भोजन प्रभार शामिल होते हैं, अतएव राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में भोजन के लिए अलग कोई प्रभार नहीं देना पड़ता। इसके अलावा, 'इन्डरेल पास' पर यात्रा करने वालों को शयन अधिप्रभार अथवा सुपर फास्ट गाड़ियों द्वारा यात्रा के लिए पूरक प्रभार का भुगतान नहीं करना पड़ता। वैधता की अवधि की गणना प्रथम यात्रा की तिथि से वैधता समाप्ति की तिथि की मध्य रात्रि तक की जाती है। 'इन्डरेल पास' का आंशिक रूप से उपयोग किए जाने अथवा निचले दर्जे में यात्रा के लिए किराए की वापसी नहीं की जाती है।

4. इन्डरेल पास खरीदने के लिए रेलवे कार्यलयों में केवल अमरीकन डालर अथवा पाउण्ड स्टर्लिंग में ही भुगतान स्वीकार किया जाता है । अन्य विदेशी मुद्राएं पर्यटकों को प्राधिकृत डालर से अपेक्षित मात्रा में रुपयों में परिवर्तित करानी होती हैं और तब 'नगदी प्रमाण पत्र' के साथ रुपयों में भुगतान किया जाता है।

5. विदेशी पर्यटकों को गाड़ी छूटने की तारीख से एक वर्ष पहले अग्रिम आरक्षण कराने की अनुमति है जबकि अन्य यात्रियों को छः माह की अनुमति है। महत्वपूर्ण स्टेशनों पर चुनी हुई गाड़ियों में विदेशी पर्यटकों के लिए आरक्षण का कोटा निर्धारित है। बम्बई वी० टी०, चर्च गेट बम्बई, फेयरली प्लेस (कलकत्ता), बडौदा हाउस (नई दिल्ली) तथा काठगोदाम स्टेशन पर पर्यटकों के मार्ग-दर्शन के लिए रेलवे के टूरिस्ट गाइड रखे गए हैं। इसके अलावा, इस आशय के आदेश भी जारी किए गए हैं कि जहां व्यावहारिक हो, आरक्षण के अनुप्रयुक्त मुख्यालय कोटे से विदेशी पर्यटकों को स्थान आरक्षित कर दिया जाए। उपर्यक्त सुविधाएं विदेशों में रहने वाले उन भारतीयों को भी उपलब्ध हैं जो विदेशी मुद्रा में भुगतान करें ।

6. रेलवे की तार लाइनों का इस्तेमाल कर सकने के अलावा, रेलवे के मान्यता प्राप्त पर्यटन एजेन्टों को यह सुविधा दी गई है कि वे विदेशी पर्यटक दलों के आरक्षण के लिए एक वर्ष पहले सम्बद्ध आरक्षण कार्यालयों को सीधे भुगतान किए गए जवाबी तार भेज सकते हैं। इस तार में केवल बर्थ/सीटों की कुल संख्या और टिकटों के नम्बर देने की आवश्यकता होती है। आरक्षण कार्यलयों द्वारा तार की प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर उसका जवाब दिया जाना चाहिए। पर्यटकों का अलग-अलग नाम, राष्ट्रीयता आदि का ब्यौरा यात्रा आरम्भ होने के 10 दिन पहले तक बताया जा सकता है।

इंडिया टोबैको कम्पनी लिमिटेड

*328. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि इंडिया टोबैकों कम्पनी लिमिटेड (जो पहले एक ब्रिटिश नियंत्रित कम्पनी इम्पिरिल टोबेको कम्पनी लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) का गुप्त रूप से निम्न कम्पनियों पर वित्तीय नियंत्रण है (एक) माइमेक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (दो) सी० पी० ए० (तीन) समिट इन्वेस्टमेंट इंडिया (चार) दिल्ली एंटरप्राइजिज (पांच) कार्ड बोर्ड कन्टेनर मेकिंग कम्पनी (छः) नीलाम्बुर प्लान्ट एण्ड ट्रोलरस कम्पनी और (सात) समिट फिल्म्स ; और

(ख) क्या भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने इंडिया टोबैकों कम्पनी लिमिटड और वजीर सुलतान कम्पनी लिमिटेड द्वारा स्वामित्व नियंत्रित सब अन्तर्सम्बद्ध कम्पनियों के रजिट्रेस्शन सम्बन्धी अपने निष्कर्षों को उलट दिया था ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) (1) प्रश्न के भाग (क) में नामित नीलाम्बुर प्लान्ट एक ट्रोलरस कम्पनी तथा सुमित फिल्मस का कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत संयुक्त स्कन्ध कम्पनियां होना प्रतीत नहीं होता अतः इन दोनों की बाबत सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(2) आई० टी० सी० लिमिटेड (भूतपूर्व इन्डिया टोबैको कम्पनी) के पास मिमेक इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड के 10 रु० की दर के 105,000 साधारण हिस्सों में से 17,500 हिस्से हैं। इन दोनों कम्पनियों का निदेशक मंडल साझा नहीं है। अतः साम्य अथवा प्रबन्ध की दृष्टि से एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 2(छ) के अनुसरण में ये उपक्रम एक दूसरे से अन्तः सम्बन्धित नहीं हैं। ये कम्पनियां कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 370(1ख) के सीमान्तर्गत एक ही प्रबन्ध के अन्तर्गत भी नहीं हैं।

(3) प्रश्न में निदेशित सी० पी० ए० का सी० पी० ए० कन्सल्टेन्सी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड होने की धारणा है। यह कम्पनी आई० टी० सी० लिमिटेड की रजिस्ट्रार तथा शेयर हस्तांतरण अभिकर्त्ता अप्रैल 1976 से पांच वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त हुई थी। ये दोनों कम्पनियां न तो अन्तःसम्बन्धित हैं और ना ही एक ही प्रबन्ध के अन्तर्गत हैं।

(4) शेष तीन कम्पनियां, जिनके सही नाम ये प्रतीत होते हैं (1) दिल्ली इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (2) सुमित इन्वैस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, तथा (3) कार्ड बोर्ड कन्टेनर्स लिमिटेड भी न तो अन्तः सम्बन्धित और ना एक ही प्रबन्ध के अन्तर्गत पाई गई हैं।

(5) उन निगम निकायों, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 370(1ख) के अनुसरण में एक ही प्रबन्ध के अन्तर्गत नहीं हों, के लिये, दिये गये ऋणों को तुलन-पत्रों में प्रकट करना अपेक्षित नहीं है। अतः इस बाबत सूचना उपलब्ध नहीं है।

भाग (ख) ऐसी धारणा है कि प्रश्न के भाग (ख) में दिये गये पंजीकरणों का निर्देश, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 26 से सम्बन्धित है। प्रश्न में वर्णित कम्पनियों की बाबत भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा इस विषय में कोई निष्कर्ष नहीं दिये गये थे, अतः निष्कर्षों को उलटने के लिये कोई अवसर नहीं था।

रेलवे में समाज-विरोधी तत्वों का सक्रिय होना

*330. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 मई, 1977 के 'फाइनेन्शियल एक्सप्रेस' में 'एन्टी सोशल एलीमेंट्स अगन एक्टिव इनरेलवेज (रेलवे में समाज-विरोधी तत्व फिर से सक्रिय) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख). यह सच है कि जिन घटनाओं का ऊपर उल्लेख किया गया है वे हुई हैं। पुलिस ने सभी मामले दर्ज कर लिये हैं और उनकी जांच-पड़ताल की जा रही है। पुलिस की चौकसी में कड़ायी लायी गयी है।

समान की बुकिंग के लिए ग्राहकोन्मुख योजना

*331. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे ने एक नई ग्राहकोन्मुख योजना लागू की है, जिसके अन्तर्गत आसानी से बुकिंग होती है और सामान की ढुलाई में विलम्ब भी समाप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर रेलवे ने अक्तूबर, 1976 से चुने हुए 12 स्टेशनों (जिन्हें बढ़ाकर अब 18 कर दिया गया है) से भारतीय रेलों के 74 स्टेशनों (जो अब बढ़कर 80 हो गये हैं) तक 'फुटकर' यातायात (माल-डिब्बा भार से कम) की निकासी के लिए एक नयी युक्तियुक्त योजना आरम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत माल स्वीकार किए जाने के दिन ही, इन सभी 18 स्टेशनों से सीलबन्द यान अन्य 79 स्टेशनों को सीधे रवाना कर दिये जाते हैं, भले ही सीधा भेजे जाने वाले सीलबन्द यानों की न्यूनतम भार सम्बन्धी निर्धारित शर्तें पूरी न होती हों। ऐसे यानों को चुनी हुई सुपर एक्सप्रेस मालगाड़ियों द्वारा भेजा जाता है।

पूर्वोत्तर रेलवे में तीसरे और चौथे ग्रेड के पदों के लिए चयन समिति

*332. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में तीसरे और चौथे ग्रेड के पदों के लिए व्यक्तियों का चुनाव करने के लिए चयन समिति है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) पूर्वोत्तर रेलवे में तीसरी श्रेणी के लिए नियुक्ति रेल सेवा आयोग, मुजफ्फरपुर के जरिये होती है। चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियां सामान्यतः अधिकारियों की एक समिति द्वारा सेवारत नैमित्तिक श्रमिकों की जांच करके भरी जाती हैं।

(ख) रेल सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और एक सदस्य सचिव होते हैं। फिलहाल, सदस्य सचिव का पद रिक्त है।

रुपसा-तालबन्द छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

*335. **श्री एस० कुन्डु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में रुपसा–तालबन्द छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में नये सिरे से सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और सर्वेक्षण कब तक पूरा होगा; और

(ग) क्या उक्त लाइन पर माल तथा सवारी गाड़ियों के चलने में सुधार करने के बारे में हाल ही में कोई कार्यवाही की गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख). रुपसा–तालबन्द छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए एक सर्वेक्षण 1972–73 में पूरा किया गया था।

(ग) उड़ीसा सरकार से अनुरोध किया गया है कि इस लाइन द्वारा सेवित क्षेत्र में उनके द्वारा स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित उद्योगों के ब्यौरे तथा बन एवं खनिज सम्पदा के दोहन के लिए अन्य विकास योजनाएं प्रस्तुत करें। इस लाइन पर और अधिक निवेश के सम्बन्ध में विनिश्चय

राज्य सरकार से मांगे गये ब्यौरे प्राप्त होने तथा परियोजना का नये सिरे से मूल्यांकन करने के पश्चात किया जाएगा।

विशेष श्रेणी रेलवे प्रशिक्षु परीक्षा के माध्यम से प्रशिक्षुओं का चुनाव

*336. **श्री पी० त्यागराजन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष श्रेणी रेलवे प्रशिक्षु परीक्षा के आधार पर वर्ष 1974 से 1977 तक की अवधि में प्रत्येक वर्ष कितने प्रशिक्षुओं का चयन किया गया; और

(ख) वर्ष 1974 से आज तक भर्ती किये गये व्यक्तियों के प्रत्येक बैच में से कितने व्यक्तियों ने पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) वर्ष 1974 से 1977 तक की अवधि के दौरान आयोजित परीक्षा के आधार पर विशेष श्रेणी के जो प्रशिक्षु भर्ती किये गये हैं, उनकी संख्या नीचे दी गयी है :—

(1)	1974 . . .	17
(2)	1975 . . .	23
(3)	1976 . . .	10
(4)	1977	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवरण का काम पूरा नहीं किया गया है। 10 उम्मीदवारों को रखने का विचार है।]

(ख) उपर्युक्त विशेष श्रेणी के प्रशिक्षुओं में से किसी ने भी 4 वर्ष की अप्रैंटिसशिप अभी पूरी नहीं की है, क्योंकि उन्होंने फरवरी, 1975 में या उसके बाद कार्य-भार सम्हाला है।

निर्वाचनों में मतदाताओं के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान प्राप्त करने की परिपाटी

*339 **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मतपत्रों के प्रतिपर्णों पर मतदाताओं के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान प्राप्त करने की परिपाटी पुनः लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्वाचनों को नितान्त निर्बाध और निष्पक्ष बनाने के लिये और क्या उपाय सोचे जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख). यह प्रश्न सरकार के सामने विचार के लिए आया है। इस विषय पर अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

(ग) सरकार निर्वाचन तंत्र में सुधार के लिए आवश्यक कार्यवाही पर निर्वाचन संबंधी विचाराधीन सुधारों के भाग के रूप में विचार करेगी।

भारतीय उर्वरक निगम, दुर्गापुर के प्रबंधकों द्वारा कार्मिक संघ के सभी अधिकारों पर रोक लगाया जाना

*340. **श्री रेणु पद दास :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि भारतीय उर्वरक निगम के दुर्गापुर एकक के प्रबन्धक श्रमिक वर्ग के कार्मिक संघ सम्बन्धी अधिकारों पर रोक लगाने के लिए ज्यादतियां कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम कर्मचारी संघ, दुर्गापुर द्वारा लगाये गये आरोपों के बारे में कोई जांच की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) इसका कोई प्रमाण नहीं है कि दुर्गापुर एकक के प्रबन्धक श्रमिक वर्ग के कार्मिक संघ सम्बन्धी अधिकारों पर रोक लगाने के लिए ज्यादतियां कर रहे हैं ;

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल कम्पनियों का कार्यकरण सुधारने के लिए कार्यवाही

*341. **श्री के० लकप्पा :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय तेल कम्पनियों के कार्यकरण में सुधार करने और मितव्ययिता लाने के लिए कोई कार्यवाही कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) और (ख) मंत्रालय ने कच्चे तेल के अनुकूलतम, उत्पादन पद्धति में सुधार, सुविधाओं का समेकन, कच्चे तेल के आयातों के परिवहन सम्बन्धी प्रबन्धों, और शोधनशाला ईंधन तथा हनि और डाउन टाइम में कमी करने से उपकरणों और संस्थापनों के प्रयोग में अनुकूलतम जैसे विषयों का अध्ययन कर लिया है । इन अध्ययनों के परिणाम तेल कम्पनियों को भेज दिये गये थे और अनेक मामलों में मितव्ययता की जा चुकी है तथा उपरोक्त अध्ययनों में निहित सिफारिशों को कार्यान्वित करने के परिणामस्वरूप इनकी कार्यकुशलता में सुधार हुआ है । इस प्रकार के कदम निरन्तर उठाये जाते हैं ।

कुछ उपक्रमों द्वारा किराये पर लिए गए स्थान

*342. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मंत्रालयधीन सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा राजधानी में कार्यालय तथा गोदाम बनाने के उद्देश्य से किराये पर स्थान लेने के बारे में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये हैं; यदि हां, तो क्या ;

(ख) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड जैसे कुछ उपक्रमों ने अत्यधिक किराये पर स्थान ले रखा है, यदि हां, तो किराया किस प्रकार तथा किस स्तर पर तय किया गया था ; पदे की अवधि क्या है और प्रत्येक फ्लैट अथवा फ्लैटों के लिये कितना अग्रिम किराया अदा किया गया था ;

(ग) इन उपक्रमों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के नेहरू प्लेस वाणिज्यिक कम्पलैक्स में अथवा राजधानी में दिल्ली विकास प्राधिकरण के किसी अन्य काम्पलैक्स में किराये पर स्थान लेने के रास्ते में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(घ) किराये को युक्तिसंगत करने और सस्ती दर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण का स्थान लेने की संभावना का पता लगाने के लिये अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा): (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । इस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र की उपक्रमों द्वारा दिल्ली में लिये गये स्थानों के लिए अदा किये जा रहे किराय अत्यधिक नहीं समझे जाते हैं ।

(ग) इस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र को दी उपक्रमों अर्थात् फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया तथा नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० पहले से ही डी० डी० ए०—स्वीकृत वाणिज्यिक उद्योग समूह में है । अन्य उपक्रमों ने दूसरे क्षेत्रों में स्थान लिए हुए थे और इन स्थानों में ही रह रहे हैं क्योंकि या तो डी० डी० ए० काम्पलैक्स में उचित समय पर उपयुक्त तथा पर्याप्त स्थान सुलभता से उपलब्ध नहीं थे अथवा वर्तमान समय में उनके अधिकार में जो स्थान हैं सस्ते हैं या उनमें से कुछ के दिल्ली में केवल छोटे छोटे सम्पर्क कार्यालय हैं ।

बम्बई हाई में उत्पादित प्राकृतिक गैस के उपयोग के बारे में अन्तर्मंत्रालयीय समिति

2527. **श्री के० मालन्ना :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई तटदूर क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में भारी मात्रा में उत्पादित होने वाली अतिरिक्त प्राकृतिक गैस के परिवहन और उपयोग की योजना बनाने के लिये अन्तर्मंत्रालयीय समिति बनाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) से (ख). कच्चे तेल और बम्बई हाई क्षेत्र की सहयोजित गैस की इष्टतम उपयोगिता का प्रश्न तभी से सरकार के विचाराधीन है जब से इस बात की जानकारी हो गई कि उपरोक्त उत्पाद वाणिज्यिक महत्व के हैं । फरवरी 1975 में, सरकार ने बम्बई हाई के तेल तथा गैस का इष्टतम प्रयोग करने हेतु उपाय सुझाने के लिए उद्योग के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों सहित एक कार्यकारी ग्रुप की नियुक्ति की । उक्त कार्यकारी ग्रुप की सिफारिशों की जब जांच की जा रही थी, तभी बम्बई हाई की सहयोजित गैस उपयोगिता के कुछ पहलुओं के सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार और गुजरात सरकार से प्रत्यावेदन प्राप्त हुए थे । इस सारे मामले पर अनेक अन्तः सचिवालीय बैठकों में और गुजरात तथा महाराष्ट्र के के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर लिया गया है तथा तत्पश्चात् तकनीकी-आर्थिक विचार-

धाराओं पर इस आशय का निर्णय लिया गया था कि तेल और सहयोजित गैस को लाने-लेजाने के लिए बम्बई हाई क्षेत्र से बरास्ता उरान से ट्राम्बे तक पाइपलाइन बिछायी जानी चाहिये जहां पर तटीय टर्मिनल स्थापित किया जायेगा । सहयोजित गैस को विखंडित किया जायेगा और इसमें से तरल पेट्रोलियम गैस को निकाल कर उपभोक्ताओं को मुहैया की जायेगी । गैस के भारी विखंडित भागों को क्रूड स्ट्रीम में मिला दिया जायेगा और हल्के विखंडित भाग को उर्वरक के निर्माण के लिए प्रयोग में किया जायेगा । हल्के विखंडित भागों की, जब तक नये उर्वरक यूनिटों को आरम्भ नहीं किया जाता, तब तक विद्युत उत्पादन के लिए शार्ट-रन (कमी के समय) में उपयोग करने की सम्भावना भी विचाराधीन है ।

2. बम्बई हाई की सहयोजित गैस के उपयोग से उत्पन्न नयी परियोजनाओं की स्वीकृति और कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए एक विशेष सचिवालीय समिति का गठन किया गया है । इस विशेष समिति में पेट्रोलियम मंत्रालय, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय व्यय विभाग, योजना आयोग तथा अन्य विभागों के सचिव शामिल होंगे ।

3. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि दक्षिण-सिन क्षेत्र से गुजरात तक एक समुचित पाइपलाइन से मुक्त गैस को लाने-ले-जाने के सम्भावी अध्ययन की शुरूआत की जानी चाहिये ।

Closure of Barauni Refinery

2528. Shri Yuvraj : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether a loss of rupees 15 crores was suffered as a result of Barauni (Bihar) refinery remaining closed during the rainy season last year ;

(b) whether there was considerable water logging in the said refinery which could not be drained out due to mismanagement ; and

(c) if so, the time by which action would be taken against the officers responsible therefor indicating the action to be taken ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) to (c) The Barauni Refinery experienced an unprecedented heavy downpour on 18/19th Sept. 1976. The rain water accumulated within the refinery compound could not drain out since the water built up in the surrounding area was also very high. This blockage to the free flow of drainage by gravity from the refinery resulted in rainwater entering the cable trenches, some electrical installations etc. on account of which the refinery had to be closed down on 19th Sept., 1976' After the accumulated water had cleared, the sub-merged motors were opened up and dried/ repaired as necessary. Some cable lines were also rectified. The production could recommence only after 15 days.

2. The shortfall in crude processing due to this shutdown was almost made up in the subsequent months and the actual throughput achieved by Barauni refinery for the year 1976-77 was 2·882 million tonnes as against the budgeted figure of 2·9 to million tonnes. However, a substantial portion of even this marginal shortfall in Barauni Refinery's throughput was made up by processing additional crude at Gauhati Refinery where the actual crude throughput was 0·841 million tonnes as against the budgeted figure of 0·83 million tonnes for the year. The cost of the repair works to the sub merged electrical installations was approximately Rupees one lakh only and there was no other damage or loss to the refinery installations. This calamity was as a direct result of the unprecedented rainfall,and was not attributable to any carelessness or negligence on the part of any refinery personnel.

The State Government is actively considering measures to ensure adequate drainage in the Barauni-Begusarai Industrial Complex area.

लातूर-पंढरपुर मिराज सैक्शन पर बड़ी लाइन

2529. श्री आर० के० महालगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने लातूर-पंढरपुर-मिराज सैक्शन पर बड़ी लाइन के निर्माण का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी हां ।

(ख) 1960 से ।

(ग) मिरज-पंढरपुर कुरडुवाड़ी---लातूर छोटी लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन करने के लिए सर्वेक्षण कराया गया है । लेकिन, धन की कमी के कारण इस परियोजना का प्रारम्भ करना संभव नहीं हो पाया है ।

Agreement for Import of Crude Oil

2530. Shri Meetha Lal Patel : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Government have signed recently any agreement with any country for import of crude oil ; and

(b) if so, the details in this regard ?

The Minister for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) and (b). Indian Oil Corporation have recently entered into an agreement with PETROMIN, the National Oil Company of Saudi Arabia, for the supply of 1·1 million tonnes of Arabian Light crude oil during the calendar year 1977. It would not be in the commercial interest of the Indian Oil Corporation to disclose further details.

Railway Link for Cement Factory at Neem Ka Thana

2531. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Ministry has refused to link with a railway line the cement factory proposed to be set up at Neem Ka Thana (District Sikar, Rajasthan) as a result of which the work of the factory has come to a standstill ; and

(b) if so, the facts in this regard ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) and (b) While examining the proposal for setting up a cement factory at Neem Ka Thana the saturated line capacity position on the Ahmedabad-Delhi Metre Gauge Route, and the difficulties that arise out of transhipment problems were pointed to the Industries, Ministry and the part, who subsequently shifted the proposed cement plant to Morak near Kota on the Broad Gauge. This alternative site has been cleared by Railway Ministry.

नासिक में रेलवे द्वारा ट्रेक्शन उपकरण संयंत्र (ट्रेक्शन इक्विपमैंट प्लांट) की स्थापना

2532. **श्री बसन्त साठे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा महाराष्ट्र राज्य में नासिक के स्थान पर एक ट्रेक्शन उपकरण संयंत्र (ट्रेक्शन इक्विपमेंट प्लांट) स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में नई लाईनों के निर्माण/वर्तमान लाईनों में सुधार के लिये प्रस्ताव पेश किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) यह विनिश्चय किया गया है कि महाराष्ट्र में नासिक रोड में 'बिजलीचल स्टाक के लिए एक कर्षण मोटर पुनर्वेष्ठन/भारी मरम्मत कारखाना' स्थापित कर दिया जाये ।

(ख) आशा है कि यह परियोजना, जिस पर लगभग 3.87 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, 1980 तक पूरी हो जायेगी । इस कारखाने में लगभग 500 आदमी नियोजित किये जायेंगे और इसमें प्रति मास 30 कर्षण मोटरों की पुनर्वेष्ठन/मरम्मत होगी ।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार समय-समय पर निम्नलिखित नई रेलवे लाइनों के निर्माण की सिफारिश की है :

1. आष्टा-खरपदा-दासगांव-गोआ ।
2. शोलापुर-उसमानाबाद-बीड़-पैठन-औरंगाबाद-चालिसगांव और धूलिया से नरधना ।
3. बल्हारशाह-अष्टी-अल्लापल्ली-गुरुपल्ली-सूरजगढ़ भमरागढ़ से गीदम जगदापुर को मिलाने वाली बड़ी रेलवे लाइन ।
4. कालुम्ना खापरखेड़ा (रेलवे साइडिंग) ।
5. कुर्ला-पनवेल (कुर्ला-करजन का भाग) ।
6. मिरज-पंढ़रपुर-बार्सी-लातूर खण्ड का छोटी लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन ।
7. नोमिनाबाद के रास्ते लातूर-परली---बैजनाथ ।
8. धुगुस के रास्ते आदिलाबाद-चान्दा ।
9. कोल्हापुर-रत्नागिरि ।
10. कराड़-चापलुन ।
11. दरवहा-पुसाद ।
12. बडनेरा-अमरावती-नरखेड ।
13. चिखली के रास्ते खामगांव-जालना ।
14. चिमूर-उमरेर ।
15. गंगाखेड-से बोधन और नांदेड से लातूर रेलवे लाइन ।
16. मनमाड मालेगांव-धूलिया-नरधना ।
17. कुरडुवाडी-करमाला-नागर-करमाला-औरंगाबाद और कुरडुवाड़ी-शिगनापुर रेलवे लाइन ।
18. धुगुस से सिन्डोला रेलवे लाइन ।
19. कोल्हापुर-नागपुर रेलवे लाइन ।
20. चनाका बोरी के रास्ते भीमकुण्ड तक और इसे वाणी अथवा धुगुस से मिलाना ।
21. दिवा-बेसिन रेलवे लाइन (तारापुर वनगांव से दिवा) ।
22. बम्बई-अहमदनगर-परली (दरियाघाट रेलवे लाइन) ।

23. पुणे-नासिक रेलवे लाइन ।

24. नागपुर-रामटेक-काटंगी ।

25. नागपुर-रामटेक-जबलपुर ।

26. अमरावती-अचलपुर-धरणी-खण्डवा ।

27. पंढ़रपुर से लोनन्द ।

वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, फिलहाल केवल निम्नलिखित लाइनें निर्माणाधीन/विचाराधीन हैं :—

1. 12.75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर दिवा और बेसिन के बीच 42 कि०मी० लम्बी रेल लाइन का निर्माण-कार्य चल रहा है और इसके 1980 तक पूरा हो जाने की आशा है ।

Construction of Rathanpur-Chahan Railway Line

2533. Shri Moti Bhai Chaudhary : Will the Miniser of **Railways** be pleased to state :

(a) the extent to which construction work of Rathanpur-Chahan railway line has been completed ;

(b) when was its survey conducted ; and

(c) the time by which the construction work of this railway line would be completed ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) to (c). No survey has been carried out for a new railway line from Rathanpur to Chahan and it is not proposed to take up its construction at present.

गोआ, दमन और दीव के पैट्रोल बेस से प्राप्य राजस्व

2534. **श्री एडुआर्डो फैलीरो:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ, दमन और दीव के पैट्रोल बेस से केन्द्रीय खजाने को वार्षिक आय कितनी होती है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : वर्ष 1976-77 के दौरान, गोआ, दमन और दीव में पैट्रोल की बिक्री से निम्नलिखित कुल शुल्क की वसूली हुई :—

	(रुपये लाखों में) (लगभग)
गोआ	207.36
दमन	3.61
दीव	नगण्य
कुल	210.97

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेता की यात्रा के अवसर पर विशेष गाड़ियां चलाना

2535. **श्री बयालार रवि** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेता, श्री देवरस की मई में यात्रा के दौरान ओलक्कोट मंडल (केरल) में एर्नाकुलम तक दो विशेष गाड़ियां चलाई गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो विशेष गाड़ियां चलाने के लिये क्या शर्तें निर्धारित है और सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा कितनी धनराशि जमा कराई गई ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी हां।

(ख) यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ भाड़ की निकासी के लिए रेलवे की सुविधा हेतु ये विशेष गाड़ियां चलायी गयी थीं। टिकटों की बिक्री द्वारा यात्रियों से कुल 26,861.45 रुपये वसूल किये गये थे।

शिवपुरी-ग्वालियर लाइन को अलाभप्रद लाइन घोषित करना

2536. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विशेष रेलवे लाइन को अलाभप्रद घोषित करने के लिये कुछ दशाब्दियां पूर्व सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति के प्रतिवेदन की समीक्षा करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या जो लाइनें तब अलाभप्रद घोषित की गई थीं उनमें शिवपुरी–ग्वालियर नैरो गेज लाइन भी है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस लाइन पर भारी यात्री यातायात को देखते हुए शिवपुरी–ग्वालियर लाइन को बड़ी लाइन में बदल कर उसे पुन: चालू करने का सरकार का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (ख) अलाभप्रद शाखा लाइन समिति, 1969 की रिपोर्ट की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन अलाभप्रद रेलवे लाइनों के कार्य निष्पादन और कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। ग्वालियर–शिवपुरी लाइन जो अलाभप्रद घोषित की गयी शाखा लाइनों में से एक है, 1–8–1975 से यातायात के लिए बन्द कर दी गयी है। फिलहाल, इस लाइन के पुन:स्थापन अथवा इसे बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Availability of Raw Material for Manufacturing Fertilizers

2537. Shri Bhagirath Bhanwar: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether raw material required for manufacturing fertilizer is available in abundance in the country but the same is not being made use of properly for want of factories ;

(b) whether Government are in favour of formulating a policy that fertilizer factories should be set up in those backward regions where phosphate and other requisite deposits are available ; and;

(c) whether action is being contemplated to set up factories in those regions of Madhya Pradesh and Rajasthan where large deposits of rock phosphate have been discovered ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) to (c) Presently a variety of feedstocks like naphtha, lignite, coke, coke-oven gas, electricity and natural gas are being used for the production of nitrogenous fertilizers. It is Government's policy to maximise the use of indigenously available feedstock/raw material for the production of fertilizers and thereby reduce dependence on imports.

The rockphosphate produced in Rajasthan and Madhya Pradesh is not adequate to meet fully the requirement of rockphosphate in the manufacture of phosphatic fertilizers. The country, therefore, continues to depend on import of rock-phosphate to meet the requirement of the fertilizer industry.

In deciding on the location of fertilizer projects, factors such as proximity to feedstock, availability of infrastructure, proximity to areas of consumption and other relevant techno-economic considerations are taken into account. While planning additional fertilizer capacity due consideration would be given to the possibility of setting up phosphatic fertilizer units in Madhya Pradesh and Rajasthan, keeping in view the relevant techno-economic considerations.

इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को रेलवे पुलिस दल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में खपाना

2538. **श्री के० प्रधानी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इमरजेंसी कमीशन प्राप्त कितने अधिकारियों को रेलवे पुलिस बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में अलग-अलग खपाया गया;

(ख) क्या इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को रेलवे पुलिस बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में और अधिक संख्या में खपाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) 23 मुक्त किये गये आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों की रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप "बी" के पदों पर भर्ती की गयी है। चूंकि सरकारी रेलवे पुलिस के लिए भर्ती राज्य सरकारों द्वारा की जाती है अतः उस संवर्ग में भर्ती किये गये मुक्त कमीशन प्राप्त अधिकारियों की संख्या के संबंध में रेल मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जी नहीं, जहां तक रेलवे सुरक्षा बल का संबंध है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिंदरी आधुनिकीकरण परियोजना में भ्रष्टाचार के बारे में अभ्यावेदन

2539. **श्री ए० के० राय** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर कारपोरेशन कामगर यूनियन के प्रतिनिधि, श्री हरिराम उपाध्याय का दिनांक 16 अप्रैल, 1977 का अभ्यावेदन, जो अधिकारियों में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार के बारे में है जिससे सिंदरी आधुनिकीकरण परियोजना के मामले में लाखों रुपये की हानि हो रही है, प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) और (ख). श्री हरिराम उपाध्याय के दिनांक 2-4-1977 के अभ्यावेदन (ना कि 16-4-1977) प्राप्त हुआ था। अभ्यावेदन में एफ० सी० आई० के सिन्दरी यूनिट के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सामान्य आरोप थे और उसमें कोई विशेष आरोप नहीं थे। तथ्यों की यथासम्भव जांच की जा रही है।

दिल्ली में गैस कनेक्शन देना

2540. **श्री राम कंवर बेरवा** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान दिल्ली में इण्डेन गैस की विभिन्न एजेंसियों के पास कुकिंग गैस के कनेक्शनों के लिए कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हुए थे;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को इस बीच गैस कनेक्शन दे दिये गये हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में उल्लिखित व्यक्तियों को किस तारीख तक गैस कनेक्शन दे दिये जायेंगे ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1972-73 के दौरान दिल्ली में इण्डेन गैस की विभिन्न एजेंसियों के पास कुकिंग गैस के कनेक्शनों के लिए कुल 30,433 व्यक्तियों ने नाम दर्ज कराये थे।

(ख) उपरोक्त संख्या में से सिर्फ 414 व्यक्तियों के नाम अभी तक प्रतीक्षा सूची में हैं।

(ग) अतिरिक्त उत्पाद के सुलभ हो जाने पर नये गैस कनेक्शन सिर्फ उन व्यक्तियों को जारी किये जायेंगे जिनके नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं।

Quota of Berths for Vidisha in 6 UP Train

2541. Shri Raghavji : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the quota of three berths for Vidisha in 6 UP train has been reduced to one after the formation of Janata Party Government ; and

(b) if so, under whose orders this has been done ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) ant (b). Due to inadequate utilization, the Central Railway Administration has reduced the quota, from three second class sleeper berths to one, by 6 Up Punjab Mail, at Vidisha Station, with effect from 1-6-1977. The Central Railway has been asked to review the quota, in the light of the traffic offering and increase the same if justified.

Application for setting up of Fertilizer Factory in Rajasthan

2542. Shri Krishna Kumar Goyal : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the number of applications for setting up new fertilizer factories in Rajasthan pending consideration with Government ;

(b) the names of applicants and when a final decision on their applications is likely to be taken ; and

(c) the names of places where new factories are proposed to be set up ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) to (c) The requisite details of the pending applications for setting up new fertilizer factories in Rajasthan are furnished below :—

Sl. No.	Name of applicant	Location	Present position
1	Shriram Chemical Industries, Kota	Kota	A letter of intent had been issued to the party for expansion of their existing unit for additional production of 3·3 lakh tonnes of urea, in January, 74, with validity upto July, 77. The request of the applicant for extension of validity of letter of intent is under examination.
2	Sri S.L. Jalan . .	In backward area of Rajasthan	The application of the party for setting up a unit for manufacture of 50,000 tonnes per annum of granulated fertilizers was *prima facie* rejected by the Licensing Committee. Representation of the applicant against *prima facie* rejection by Licensing Committee is under examination.
3	Sri S.K. Bihani .	Alwar	The application of the party for manufacture of 60,000 tonnes per annum of granulated fertilizers was *prima facie* rejected by the Licensing Committee. Representation of the party against *prima facie* rejection is under examination.

While it would be difficult to indicate any definite date by which final decision would be taken on the pending applications, it would be the endeavour of the Government to expedite the decision on all these cases, to the maximum extent possible.

Location of new fertilizer plants to be set up would be decided keeping in view the proximity to raw material source, availability of necessary infrastructure, proximity to consumption centres, scope for setting up additional capacity for particular varieties and other relevant techno-economic considerations.

संसद् तथा विधान सभाओं के लिए निर्वाचन

2543. श्री धर्मवीर वशिष्ट : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मान्यता प्राप्त प्रत्येक अखिल भारतीय राजनीतिक पार्टी ने (i) मार्च, 1977 में हुए संसदीय निर्वाचन, (ii) जून, 1977 में हुए राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन और (iii) केन्द्र शासित क्षेत्रों में जून, 1977 में हुए निर्वाचन में कितने स्थानों के लिए निर्वाचन लड़ा और मान्यताप्राप्त प्रत्येक अखिल भारतीय पार्टी तथा राज्यों में मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय पार्टियों को कितने प्रतिशत वैध मत प्राप्त हुए ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : जानकारी, निर्वाचन आयोग से इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

स्थायी स्वयंसेवी सहायता समिति और समाज सुधार समिति को भंग किया जाना

2544. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में रेलवे में स्थायी स्वयंसेवी सहायता समिति और समाज सुधार समिति को भंग कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या इन दो समितियों ने अपने अस्तित्व के दौरान कोई उपयोगी तथा ठोस कार्य किया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(घ) उक्त समितियों की कार्यकाल की कुल अवधि कितनी रही, उनके सदस्यों के क्या नाम थे, दोनों समितियों ने अपने अस्तित्व के दौरान कितना व्यय किया तथा यदि रेलवे में इन दो तथाकथित सफेद हाथियों जैसी इन समितियों के सदस्यों को कोई विशेषाधिकार प्राप्त थे, तो वे क्या थे ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी हां।

(ख) इन समितियों के कार्यकाल की अवधि पर पुनर्विचार करते समय सरकार ने उन्हें समाप्त करने का विनिश्चय किया था।

(ग) इन समितियों द्वारा किया गया कार्य प्राय: रेलवे के विभिन्न विभागों द्वारा किये गये कार्य की केवल द्विरावृत्ति मात्र था।

(घ) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी०-620/77]

Contracts for Tea Shops and sale of other articles at Stations around Bombay

2545. Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether in contravention of the rules of the Railway Board, the former Railway Minister had given contracts to his own men for setting up tea shops and sale of other articles on the Railway stations around Bombay.

(b) whether some persons were also given the contract of the tea stall on the Grant Road Station even though a person was already working there ;

(c) the number of new contracts given for the sale of articles on the railway stations within a radius of 100 kilometres from Churchgate Station of Bombay during emergency ; and

(d) ehether Government propose to cancel these contracts and invite fresh applications for giving these contracts to the deserving persons ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Contracts of one tea stall at Ghatkopar station and one at Vikhroli station of Central Railway were allotted under direct orders of former Minister for Railways. Two tea stall contracts at Andheri station and one tea stall at Grant Road station of Western Railway were allotted with the approval of former Minister for Railways after taking into consideration the report of Western Railway. The Government is not aware whether these persons were own men of the former Railway Minister.

(b) At Grant Road Station, four contractors were already functioning and one new tea stall contract was allotted to one of the existing contractors.

(c) Seventeen, eight on Western Railway and nine on Central Railway.

(d) This is under examination.

अशोधित तेल पर रायलटी के भुगतान के बारे में गुजरात से आभ्यावेदन

2546. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोधित तेल पर रायल्टी में वृद्धि करने के लिए गुजरात सरकार का अभ्यावेदन कब से केन्द्रीय सरकार के पास अनिर्णीत पड़ा है ; और

(ख) इस पर कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने मई, 1977 को अशोधित तेल पर रायल्टी की दर में और वृद्धि करने के लिए प्रत्यावेदन दिया था। 8 सितम्बर, 1976 से अशोधित तेल और केसिंग हैड कन्डेंन्सेट पर रायल्टी की दर 15/-रुपये प्रति टन से 42/-रुपये प्रति मी० टन तक बढ़ा दी गई थी। तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत रायल्टी की दर में चार वर्ष में केवल एक बार वृद्धि की जा सकती है। अतः वृद्धि करने के सम्बन्ध में अगला संशोधन 8-9-1980 से पहले नहीं किया जा सकता।

सिकन्दराबाद डिवीजन में 1960 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों का बहाल किया जाना

2547. **श्री दिनेश जोरदर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि सिकन्दराबाद डिवीजन में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की वर्ष 1960 की हड़ताल में जिन 25 रेल कर्मचारियों ने भाग लिया था उनमें से 17 कर्मचारी वर्ष 1972 में सेवा में ले लिये गये थे और 5 कर्मचारी इस तथ्य के बावजूद भी कि सभी कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप समान थे, सेवा में नहीं लिये गये ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें सेवा में लेने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते):(क) से (ग) 1960 की रेल हड़ताल के सम्बन्ध में सिकन्दराबाद मंडल में बरखास्त अथवा सेवा से हटाये गये कर्मचारियों में से 5, जिनके खिलाफ गंभीर आरोप थे, को छोड़कर सभी को नौकरी में वापस लेने का निर्णय लिया गया था। उनमें से एक की मृत्यु हो गयी है, 4 अभी तक सेवा से बाहर हैं। उनके मामले को पुनः चालू करने का प्रस्ताव नहीं है।

बम्बई के निकट उर्वरक कम्पलैक्स की स्थापना

2548. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई हाई और उत्तरी बेसिन के तेल क्षेत्रों से प्राप्त प्राकृतिक गैस पर आधारित एक उर्वरक कम्पलैक्स बम्बई के पास बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो बम्बई हाई और उत्तरी बेसिन से कितनी मात्रा में गैस उपलब्ध होगी ;

(ग) क्या अधिक संख्या में उर्वरक संयंत्र ही नहीं, बल्कि पेट्रो-रसायन संयंत्रों की स्थापना करने के लिए भी कोई गुंजाइस है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) और (ख). बम्बई हाई और उत्तरी थालाओं से उत्पादन के इस्टतम स्तर पर प्रतिदिन 4 मिलियन घन मीटर सम्बद्ध गैस उपलब्ध होने की आशा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गैस का सबसे अधिक लाभप्रद उपयोग नाइट्रोजन मुक्त उर्वरकों के निर्माण में है, बम्बई हाई से उपलब्ध गैस पर आधारित अतिरिक्त उर्वरक क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ). जी हां, अपतटीय सम्बद्ध गैस के उपयुक्त भाग पर आधारित नये पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना की सम्भावना और उसकी आवश्कता का अध्ययन करने के लिये परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है। एक पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना के बारे में परामर्शदाताओं की रिपोर्ट प्राप्त होने और उसका अध्ययन करने के पश्चात निर्णय लिया जा सकता है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र द्वारा कम दरों पर व्हील सैटों का सप्लाई किया जाना

2549. **श्री रोबिन सेन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जबकि रेलवे लगभग 27 करोड़ रुपए की लागत से प्रति वर्ष लगभग 26,000 व्हील सैटों का आयात कर रहा है,दूसरी ओर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र अपने द्वारा सप्लाई किये जाने वाले सामान पर प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपए से अधिक की रियायत रेलवे को दे रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) :(क) जी नहीं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र रेलों को आर्थिक सहायता नहीं दे रहा है। इस्पात विभाग द्वारा मंत्री परिषद् को दिये गये प्रस्तावों के आधार पर सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्य इस्पात संयंत्रों को दिया जाता है।

(क) प्रश्न नहीं उठता।

गुण्टकल में खलासियों को वेतन और भत्तों का भुगतान न किया जाना

2550. **डा० सरदीश राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुण्टकल स्थित कैरिज और वैगन विभाग, यातायात विभाग, डीजल मकेनिकल और इलेक्ट्रिक डीजल लोको शेड के खलासियों के पक्ष में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद, खलासियों को उनकी सेवा समाप्ति की अवधि के लिए अभी तक वेतन और भत्तों की पूरी राशि नहीं दी गई है,

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सम्बद्ध अधिकारियों को उन्हें देय राशि का भुगतान करने के बारे में आदेश दे दिये गये है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जिस अवधि में आवेदक बेरोजगार थे उस अवधि की मजदूरी के भुगतान के लिए आन्ध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कोई उल्लेख नहीं किया था।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई हाई गैस की गुजरात को सप्लाई

2551. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बम्बई हाई गैस का एक अंश गुजरात राज्य को देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो बम्बई हाई की गैस में से कुल कितना हिस्सा गुजरात राज्य को दिया जायेगा ;

(ग) क्या गुजरात राज्य की मांग को पूरा करने के लिए बम्बई हाई से गुजरात को गैस का कुछ अंश ले जाने के लिए पाइप लाइन बिछाने के बारे में सरकार ने निर्णय किया था ;

(घ) यदि हां, तो उक्त पाइप लाइन के कब तक बिछाये जाने की सम्भावना है ;

(ङ) इस पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ) कच्चे तेल और बम्बई हाई क्षेत्र की सहयोजित गैस की इष्टतम उपयोगिता का प्रश्न तभी से सरकार के विचाराधीन है जब से इस बात की जानकारी हो गई कि उपरोक्त उत्पाद वाणिज्यिक महत्ता के है। फरवरी, 1975 में सरकार ने बम्बई हाई के तेल तथा गैस का इष्टतम प्रयोग करने हेतु उपाय सुझाने के लिये उद्योग के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों सहित एक कार्याकारी ग्रुप की नियुक्ति की। उक्त कार्यकारी ग्रुप की सिफारिशों की जब जांच की जा रही थी, तभी बम्बई हाई की सहयोजित गैस की उपयोगिता के कुछ पहलुओं के सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार और गुजरात सरकार से प्रत्यावेदन हुए थे। इस सारे मामले पर अनेक अन्तः सचिवालीय बैठकों में और गुजरात तथा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर लिया गया है तथा तत्पश्चात् तकनीकी-आर्थिक विचार-धाराओं पर इस आशय का निर्णय लिया गया था कि तेल और सहयोजित गैस को लाने ले जाने के लिए बम्बई हाई क्षेत्र से बरास्त उरान से ट्राम्बे तक पाइप लाइन बिछाई जानी चाहिये जहां पर तटीय टर्मिनल स्थापित किया जायेगा। सहयोजित गैस को विखंडित किया जायेगा और इसमें से तरल पेट्रोलियम गैस को निकाल कर उपभोक्ताओं को मुहैया की जायेगी। गैस के भारी विखंडित भागों को क्रूड स्ट्रीम में मिला दिया जायेगा और हल्के विखंडित भाग को उर्वरक के निर्माण के लिये प्रयोग किया जायेगा। हल्के विखंडित भागों की, जब तक नये उर्वरक यूनिटों को आरम्भ नहीं किया जाता, तब तक विद्युत उत्पादन के लिए शार्ट-रन (कमी के समय) में उपयोग करने की सम्भावना भी विचाराधीन है।

2. बम्बई हाई की सहयोजित गैस के उपयोग से उत्पन्न नई परियोजनाओं की स्वीकृति और कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए एक विशेष सचिवालीय समिति का गठन किया गया है। इस विशेष समिति में पेट्रोलियम मंत्रालय, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, व्यय विभाग, योजना आयोग तथा अन्य विभागों के सविच शामिल होंगे।

3. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि दक्षिण बेसिन क्षेत्र से गुजरात तक एक समुचित पाइप लाइन से मुक्त गैस को लाने ले जाने के सम्भावी अध्ययन की शुरुआत की जानी चाहिये।

निर्वाचनों में धन का प्रभाव

2552. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :**
श्री एम० कल्याण सुन्दरम :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचनों में धन की ताकत की समस्या पर सरकार ने कोई विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्वाचनों में धन के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख). निर्वाचन व्ययों में कमी करने के प्रश्न पर **अन्य बातों के साथ** निर्वाचन विधि में सुधार के लिए विचाराधीन प्रस्तावों के भाग के रूप में विचार किया जाएगा ।

Extension of Tanda-Akbarpur Shuttle upto Jaunpur

2553. Shri Yadvendra Dutt : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Tanda-Akbarpur shuttle is proposed to be extended upto Jaunpur ; and

(b) if so, the time by which it would be implemented ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) No.

(b) Does not arise.

वी० आई० पी० विशेषाधिकारों का समाप्त किया जाना

2554. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय ने वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बों में यात्रा के, गैर-सरकारी उपयोग के लिए सरकारी कारों के उपयोग के और अन्य सुविधाओं जैसे कुछ वी०आई०पी० विशेषाधिकारों को समाप्त करके अपने मंत्रालय में मितव्ययता करने के लिए कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख). अब केवल कनिष्ठ प्रशासी और उसके ऊपर ग्रेड में 1800 रुपये और उससे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी जब ड्यूटी पर हों, तब वे वातानुकूल दर्जे में यात्रा करने के पात्र हैं । जहां तक सरकारी कार के उपयोग का प्रश्न है, वे भुगतान किये बिना निजी प्रयोजनों के इसका उपयोग नहीं कर सकते, और वह भी तब जब कि इन कारों की उस विशेष अवधि के दौरान सरकारी प्रयोजनों के लिए आवश्यकता न हो ।

उर्वरकों के मूल्यों सम्बन्धी मराठे समिति का प्रतिवेदन

2555. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के मूल्यों सम्बन्धी मराठे समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) इन सिफारिशों को कहां तक स्वीकार किया गया है ; और

(घ) क्या उन्होंने भिन्न-भिन्न उर्वरकों के धारण (रिटेन्शंस) मूल्यों की प्रणाली की सिफारिश की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा):(क)श्री एस० एस० मराठे की अध्यक्षता में स्थापित उर्वरक मूल्यों पर समिति ने सीधे नाइट्रोजन उर्वरकों के बारे में रिपोर्ट का खण्ड प्रस्तुत किया है । फास्फेटिक उर्वरक से सम्बन्धित रिपोर्ट का खण्ड-ii अभी तक समिति द्वारा प्रस्तुत किया जाना है ।

(ख) से (घ). मूल्यों के लिए समिति ने सिफारिश की है कि यूरिया का उत्पादन करने वाले संयंत्रों को अग्रूरी (विटेंज) प्रौद्योगिकी, संभरण सामग्री आदि के आधार पर एक ग्रुप में रखा जाए और प्रत्येक समूह के लिए धारित मूल्य की सिफारिश की है जिससे समूह में प्रत्येक एकक निवेश पर उचित लाभ अर्जित करने में समर्थ हो जाएगा बशर्ते कि वे अभीष्ट खपत निपूषण के साथ क्षमता के 80 प्रतिशत तक कार्य करेंगे। अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम नीट्रेट के बारे में समिति ने प्रत्येक एकक के लिए धारित मूल्यों की सिफारिश की है। समिति ने भावी उर्वरक संयंत्र के लिए उत्पादन में लागत को कम करने के विचार से उर्वरक प्रायोजनाओं की पूंजीगत लागत में कमी के लिए उपायों की भी सिफारिश की है। समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

गुण्टाकल डिवीजन में अस्थाई मजदूरों का बहाल किया जाना

2556. **श्री पी० राजगोपाल नायडु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एक वर्ष पूर्व रेलवे के गुण्टाकल डिवीजन में लगभग एक हजार अस्थाई मजदूरों को निकाल दिया गया था ; और

(ख) क्या इस बीच उन्हें बहाल कर दिया गया है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) :(क) काम पूरा हो जाने, काम की मात्रा में कमी आदि के परिणामस्वरूप दिसम्बर 1976 में गुन्तकल्लु मंडल में मासिक दर पर वेतन पाने वालों 76 एवजियों और 381 नैमित्तिक मजदूरों और दैनिक मजदूरी पाने वाले 734 नमित्तिक मजदूरों की छंटनी की गयी है ।

(ख) 76 एवजियों में से अब तक 54 व्यक्तियों को काम पर वापिस ले लिया गया है । इस क्षेत्र में नये काम की स्वीकृति मिलते ही अन्य मजदूरों को भी जहां तक व्यावहारिक होगा काम पर फिर से लगा दिया जायेगा ।

Requirements and Production of Petroleum Products

2557. **Shri Dharamsinhbhai Patel :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the present requirement of all kinds of petroleum products of the country in tonnage ;

(b) their quantity produced in the country from different oil wells along with the names of places ;

(c) when and how the country is likely to achieve self-sufficiency in petroleum ; and

(d) the quantity of oil exploited daily at present from different resources ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) The requirements for consumption of all kinds of petroleum products for the year 1977-78 are estimated at about 26 million tonnes.

(b) The details are as under :

Name of Oil Field	Crude production during 1976-77	Estimated crude production during 1977-78
	(Figures in 000' tonnes)	
(i) *Oil & Natural Gas Commission*		
Assam Oil Fields	1158	1420
Gujarat Oil Fields	4187	4200
Bombay Offshore	406	2500
(ii) Oil India Limited's Oil Fields		
(Nahorkatiya and Moran)	3084	3130
(iii) Assam Oil Company	62	60
TOTAL	8897	11310

(c) It is not possible at this stage to say as to when the country would be self-sufficient in crude oil production. However, with a view to achieving this objective, oil exploration effort has been intensified both in on-shore and off-shore fields.

(d) The average daily crude production from the various oil fields is as follows :

ONGC's : Assam Oil fields 3750 tonnes—Gujarat oil fields 11500 tonnes—Bombay Off-shore 4600 tonnes ; Oil India fields 8450 tonnes and Assam Oil Company 165 tonnes.

औषधियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल लि० द्वारा सहायता मांगा जाना

2558. श्री रामानन्द तिवारी : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लि० ने देश में औषधियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) देश में औषधों का उत्पादन बढ़ाने के लिये आई० डी० पी० एल० ने निम्नलिखित विस्तार योजनाओं के लिये प्रस्ताव रखे थे और इन प्रस्तावों को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है : —

(i) 21.79 करोड़ रुपये के निवेश से सिन्थेटिक ड्रग प्लांट हैदराबाद का विस्तार, जिससे उत्पादन क्षमता में 1968 मी० टन से 3886 मी० टन तक की वृद्धि होगी ।

(ii) 8.58 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत परिव्यय से बिहार में निकोटिनामाइड प्लांट की स्थापना ।

(iii) 6.93 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजीगत लागत से गुड़गांव, हरियाणा में एक नये सूत्रयोग एकक की स्थापना ।

(iv) 15.31 करोड़ रुपये के निवेश से एन्टीबायोटिक्स प्लांट ऋषिकेश का विस्तार ।

सरकार ने औषध सूत्रयोगों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश के प्रदेशीय औद्योगिक निवेश निगम द्वारा स्थापित की जाने वाली एक कम्पनी में 32.69 लाख रुपये तक के निवेश और डेक्सट्रोज स्टार्च, ग्लुकोस आदि के निर्माण के लिये पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्थापित की जाने वाली एक कम्पनी में 89.17 लाख रुपये के निवेश के लिये आई० डी० पी० एल० के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दे दी है ।

Judges Compulsorily Retired during the last two years

2559. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of judges retired compulsorily during the last two years; and

(b) the reasons for retiring them in this way and whether Government propose to review their cases ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs Shri (Shanti Bhushan): (a) and (b) There is no provision in the Constitution for compulsory retirement of Judges of the Supreme Court or the High Court. Possibly, the member has in mind the case of two Judges, namely, Shri U.R. Lalit of the Bombay High Court and Shri R.N. Aggarwal of the Delhi High Court who were not made permanent and whose terms as Additional Judges on expiry were not extended. A final decision has since been taken regarding Shri R.N. Aggarwal and a warrant appointing him a Judge of the Delhi High Court has issued.

R.P.F. Quarters in Motia Khan Area

2560. Shri Shiv Narain Sarsonia : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of R.P.F. quarters in the Motia Khan area and when were these constructed ;

(b) when were the repairs carried out and the number of families living therein ;

(c) whether any promises were made to these families to settle them permanently ; and

(d) the reasons for which these promises were not fulfilled ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Presumably the reference is to quarters existing in Delhi Sadar Colony which is close to Motia Khan area. 23 Type I and 15 type II quarters in this area are allotted to RPF personnel. These quarters were constructed around 1957. In addition there is one barrack which was constructed before 1950.

(b) Repairs to the quarters and barracks are carried out regularly according to necessity. 38 RPF staff have been provided with family accommodation and about 107 jawans stay in the barrack which provides single accommodation.

(c) No.

(d) Does not arise.

Supply Agents of INSOV Auto Limited Calcutta

2561. Shri Laxman Rao Mankar : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether M/s. Insov Auto Ltd., Calcutta, have not supplied motors to their agents since 1970 ;

(b) the amount deposited at the time of appointing supply agents and thereafter ;

(c) the reasons for not supplying motors to the agents appointed ; and

(d) whether the company refused to refund the deposits of the agents and whether they made a representation to the Government in this regard, if so, the action taken thereon ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) and (c) On an inspection of books of account etc., of M/s. Insov Auto Limited carried out under section 209A of the Companies Act, 1956 during December 1975 to March, 1976, it was revealed, inter alia, that till then the company had not started its manufacturing activities and, therefore, it appears that has not supplied motors to its agents.

(b) From the available information at the time of the above referred inspection of the company's books of account etc. it is see . that the company had collected about Rs. 11·83 lakhs as security deposits from its various dealers.

(d) Yes, Sir. It has been brought to the notice of the Government that the company has not refunded the deposits. An investigation into the affairs of the company ordered under section 237(b) of the Companies Act, 1956 is already in progress.

शेष विधान सभाओं के निर्वाचन

2562. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन मार्च, 1978 से पहले कराने का कोई प्रस्ताव है जिनके निर्वाचन जून, 1977 में नहीं हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन राज्य सरकारों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण): (क) नागालैंड विधान सभा का निर्वाचन 1977 के दौरान वर्षा ऋतु के बाद कराने का विचार है । अन्य किसी राज्य की विधान सभा का निर्वाचन मार्च, 1978 के पूर्व कराने का कोई विचार नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिलीगुड़ी में उपरि-पुल

2563. **श्री के० बी० चेतरी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिलीगुड़ी के पुराने रेलवे स्टेशन के निकट एक उपरि-पुल के निर्माण का मामला सरकार के विचाराधीन है : और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने सिलीगुड़ी टाऊन रेलवे स्टेशन के समीप वर्तमान समपार के स्थान पर एक फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण और पहुंच मार्ग को चौड़ा करने उसमें सुधार करन का प्रस्ताव किया है । राज्य सरकार द्वारा इस योजना का विस्तृत विवरण तैयार किया जा रहा है । रेलवे द्वारा इस अनंतिम योजना की मुख्य मुख्य बातों की जांच की जा रही है और राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि रेलवे को इस प्रस्ताव में कोई आपत्ति नहीं है । राज्य सरकार के पत्र की प्रतीक्षा है ।

रेल दुर्घटनाएं

2564. **श्री के० टी० कोसलराय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 18 मार्च, 1976 से 17 मार्च, 1977 के बीच कितनी रेल दुर्घटनायें हुईं तथा उनमें हताहतों की संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्र में नई सरकार आने के पश्चात् 18 मार्च, 1977 से अब तक कितनी रेल-दुर्घटनायें हुईं तथा उनमें हताहतों की संख्या कितनी कितनी हैं; और

(ग) इन रेल दुर्घटनाओं के फलस्वरूप हताहतों को 18 मार्च, 1976 से 17 मार्च, 1977 तक तथा 18 मार्च, 1977 के पश्चात् पृथक् पृथक् कितनी कितनी राशि मुआवजे के रूप में दी गई ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क)और(ख). 18–3–1976 से 17–3–1977 और 18–3–1977 से 17–6–1977 तक की अवधि के दौरान गाड़ियों की टक्कर होने, पटरी से उतरने, समपार पर दुर्घटनाएं होने और गाड़ियों में आग लगने आदि की कोटियों में हुई दुर्घटनाओं की संख्या और उनमें हुए हताहत व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गयी है :—

	18–3–1976 से 17–3–1977	18–3–1977 से 17–6–1977
1. गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या	783	222
2. हताहत		
(क) रेलवे कर्मचारी मारे गये	23	14
घायल हुए	133	44
(ख) यात्री मारे गये	66	99
घायल हुए	314	254
(ग) अन्य मारे गये	57	30
घायल हुए	131	77

(ग) भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 के अन्तर्गत 18–3–1976 से 17–3–1977 तक रेल दुर्घटनाओं में शिकार हुए व्यक्तियों को 50,000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया है और 18–3–1977 से 30–6–1977 तक की अवधि के दौरान कोई भुगतान नहीं किया गया है । दावे तदर्थ दावा आयुक्त/पदेन दावा आयुक्त को प्रस्तुत किया जाता है । दावा आयुक्त के न्यायालय द्वारा किये गये फैसले के आधार पर ही रेल प्रशासन भुगतान की व्यवस्था करता है ।

रेल कर्मचारियों के मामले में, जो कि 18-3-1976 से 17-3-1977 की अवधि के दौरान रेल दुर्घटनाओं में मारे गये अथवा घायल हो गये थे उनको कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत कुछ मामलों में 3,19,889 रुपये की राशि का भुगतान किया गया है जबकि अन्य मामलों में मामले की जांच की जा रही है। जो रेल कर्मचारी 18-3-1977 के बाद रेल दुर्घटना में मारे गये थे, उनके मामलों की जांच की जा रही है।

2. 5.3 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर चनाका और वाणी के बीच 76 कि० मी० लम्बी नयी बड़ी लाइन का निर्माण-कार्य चल रहा है। इस काम को पूरा करने के लिए अभी कोई तारीख निर्धारित नहीं की गयी है।

3. लगभग 250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर आप्टा से मंगलूर तक 900 कि० मी० लम्बी नयी बड़ी लाइन का निर्माण। आप्टा-दासगांव खण्ड के लिए अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वेक्षण और यातायात सर्वेक्षण पूरे कर लिये गये हैं और रत्नगिरि से मंगलूर तक पहले किये गये सर्वेक्षणों के सम्बन्ध में मौके पर जांच सहित दासगांव से रत्नगिरि तक अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वेक्षण का काम चल रहा है।

4. आप्टा-दासगांव मार्ग पर 5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर रोहा से मुरुन्ड (जंजीरा) तक 40 कि० मी० लम्बी लाइन का निर्माण। सर्वेक्षण से पता चला था कि यह परियोजना अलाभप्रद है और इसलिए यह निर्माण-कार्य शुरू नहीं किया गया है।

5. 12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर वर्धा से काटोल तक 80 कि० मी० लम्बी नयी बड़ी लाइन का निर्माण, सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

6. 15 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर आदिलाबाद से भुगुस तक 90 कि० मी० लम्बी नयी बड़ी लाइन का निर्माण। सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

7. 5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर लातूर से लातूर रोड तक 33 कि० मी० लम्बी बड़ी रेल लाइन का विस्तार। सर्वेक्षण रिपोर्टों से पता चला था कि यह परियोजना अला प्रद होगी। अतः इस निर्माण-कार्य को शुरू नहीं किया गया है।

आन्ध्र प्रभा प्राइवेट लिमिटेड, इण्डियन न्यूज पेपर्स, बम्बई तथा इण्डियन एक्सप्रैस, मदुरै के विरुद्ध एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की जांच

2565. श्री के० रामामूर्ति : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत 2 दिसम्बर, 1976 को एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को भेजे गये आंध्र प्रभा प्राइवेट लिमिटेड, विजयवाड़ा इण्डियन न्यूज पेपर्स, बम्बई (प्राइवेट) लिमिटेड, इण्डियन एक्सप्रेस, मदुरै (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा (क):—वाणिज्यिक बैंकों की अग्रिम तथा जमा दोनों प्रकार की धन राशियों का पर्याप्त मात्रा में उपयोग गैर समाचार पत्र कारोबार के लिए किया जाने और (ख)

11 करोड़ रुपये की राशि समाचार पत्रों के प्रकाशन से अतिरिक्त उद्देश्यों के लिए उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में आयोग का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तो जांच की क्या स्थिति है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण): (क) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत निदेशन 2 दिसम्बर, 1975 को किया गया था और इसमें एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) आयोग के समक्ष मामले की सुनवाई के लिए 25 जुलाई, 1977 निश्चित की गई है।

खलीलपुर तथा गढ़ी हरसरु (उत्तर रेलवे) के बीच दोहरी रेल लाइन

2566. डा० बसन्तकुमार पंडित : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से रिवाड़ी के बीच मीटरगेज रेल मार्ग पर बहुत पहले ही दोहरी लाइन बिछा दी गई थी और खलीलपुर तथा गढ़ी हरसरु रेल स्टेशनों के बीच थोड़े से टुकड़े में एक ही लाइन छोड़ दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन स्थानों के बीच छः रेलगाड़ियों का क्रास होता है और रेलगाड़ियों को सामान्यतया इस दूरी के बीच ही अधिक समय लग जाने से वे देरी से पहुंचती हैं इस दूरी के बीच दोहरी लाइन न बिछाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस भाग में कब तक दोहरी लाइन बिछायेगी ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी हां ।

(ख) खलीलपुर से गढ़ी हरसरु तक के भाग पर दोहरी लाइन बिछाने के बारे में विचार नहीं किया गया था क्योंकि यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध लाइन क्षमता बिल्कुल पर्याप्त है।

(ग) अहमदाबाद से दिल्ली तक के समूचे मीटर लाइन मार्ग को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव है। इस परियोजना में मीटर आमान और बड़े आमान के सीधे सम्पर्क की व्यवस्था है।

अहमदाबाद तथा दिल्ली के बीच के मार्ग को बड़ी लाइन में बदलना

2567. श्री सतीश अग्रवाल : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर होते हुए दिल्ली-अहमदाबाद के बीच बड़ी लाइन बिछाने का कार्य कब आरम्भ होगा और क्या सरकार ने इसके लिये कोई परिव्यय मंजूर किया है और इस बारे में कार्य की क्या प्रगति है; और

(ख) इस मार्ग पर बड़ी लाइन बिछाने में कितनी लागत आयेगी और इसके कब तक पूरा होने की आशा है; और

(ग) क्या इस मार्ग पर दोहरी लाइन होगी ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख). इस परियोजना को 1977-78 के बजट में शामिल कर लिया गया है। अनुमान है कि इस काम पर 108 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इस काम पर इस वर्ष 10 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। यह काम अभी शुरू किया जाना है।

(ग) जी नहीं।

High Court Bench at Bareilly

2568. Shri Surendra Bikram : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state the action being taken by Government on the recommendation made by Uttar Pradesh Government for setting up a High Court bench at Bareilly and the time by which the bench would be set up there ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : No recommendation has been received from the Uttar Pradesh Government for setting up a High Court bench at Barilly. The question of taking action in this regard, therefore, does not arise.

उत्तर रेलवे में पी० डब्ल्यू० एल० तथा पी० डब्ल्यू० एम० के ग्रेडों में अनुसूचित जाति के कोटे में कमी

2569. श्री आर० एल० कुरील : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में पी० डब्ल्यू० एल० ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तथा पी० डब्ल्यू० एम० सम्वर्गों में अनुसूचित जाति के कोटे में कमी को पूरा करने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या रेलवे में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के कोटे में कमी के बारे में विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों की सत्यता की जांच करने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) उत्तर रेलवे के समस्त लखनऊ डिवीजन में अनुसूचित जाति के केवल दो ए० पी० डब्ल्यू० आई० हैं जबकि ए० पी० डब्ल्यू० आई० की कुल संख्या 50 है और कुल 75 'वे मिस्त्रियों' में अनुसूचित जाति के केवल दो स्थायी 'वे मिस्त्री' हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) उत्तर रेलवे के लखनऊ मण्डल में 1-4-1977 को ग्रेड 3 के रेल पथ निरीक्षकों (पहले इनका पदनाम सहायक रेल पथ निरीक्षक था) और रेल पथ मिस्त्रियों की संख्या निम्नलिखित थी :--

	कुल संख्या	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या
रेल पथ निरीक्षक ग्रेड 3 .	54	1
रेल पथ मिस्त्री	38	कोई नहीं

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के ह्वील और एक्सल यूनिट में निर्मित ह्वील सेट का मूल्य

2570. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के ह्वील और एक्सल यूनिट में निर्मित प्रत्येक ह्वील सेट का मूल्य केवल 2,750 रुपये दे रही है जबकि संयंत्र की इस पर इससे तिगुनी लागत आती है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयातित ह्वील सेट की कीमत जिसका रेलवे आयात कर रही थी, 10,000 रुपये से भी अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) 20.3 मीटरिक टन के प्रति पहिया सेट के लिए रेलों ने 3116 रुपये अदा किये हैं। इसमें कर शामिल नहीं हैं और यह लागत, दोहरी मूल्य नीति के अनुसार इस्पात विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों के आधार पर सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी है।

(ख) और (ग) आयातित पहियों की कीमत में समुद्री भाड़ा, बीमा और सीमाशुल्क शामिल हैं। आयात का आश्रय केवल तभी लिया जाता है जब स्वदेशी उत्पादक मांगों को पूरा कर सकने में असमर्थ हो जाते हैं।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने को अदा की जाने वाली कीमत के संबंध में इस्पात तथा रेल मंत्रालय द्वारा विचार किया गया है और 20.3 मीटरिक टन के प्रत्येक पहिया सेट के लिए 4308 रुपये की अनन्तिम कीमत निर्धारित की गयी है, बशर्ते कि वित्त मंत्रालय के मुख्य लागत लेखा अधिकारी द्वारा इसे प्रमाणित किया जाये और मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाये।

महाराष्ट्र में डीवा-बेसिन रेलवे का निर्माण कार्य

2571. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के थाना जिले में डीवा-बेसिन रेलवे के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) यह परियोजना कब शुरू की गई और मूल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना थी ;

(ग) क्या निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्माण-कार्य हो रहा है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यह परियोजना अब कब तक पूरी हो जायेगी ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) पुल संबंधी और मिट्टी डालने का कार्य चल रहा है। इस कार्य में कुल मिलाकर 32 प्रतिशत प्रगति हुई है।

(ख) यह परियोजना मार्च, 1973 में शुरू की गयी थी। मूल अनुसूची के अनुसार यह काम 1-6-76 तक पूरा किया जाना था।

(ग) धन की कमी के कारण अनुसूची के अनुसार इस परियोजना का काम करना सम्भव नहीं हो पाया है ।

(घ) इस परियोजना को मार्च, 1980 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ।

Laying of Railway Line Between Kansa and Bhildi

2572. Shri Motibhai Chaudhary : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the progress made so far in laying Kansa-Bhildi railway line ;

(b) when was its survey work completed ; and

(c) the time by which the work is likely to be completed ?

The Minister of Railways (Prof Madhu Dandavate) : (a) to (c) : The reference seems to be to Bhildi-Kosa Road line. No survey for laying a railway line from Bhildi to Kosa Road has been undertaken and the project has not been approved for construction.

इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर पार्सल पोर्टरों को परेशान किया जाना

2573. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को 14 अक्टूबर, 1976 और 11 नवम्बर, 1976 के ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनमें रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोओपरेटिव लेबर कांट्रेक्ट लिमिटेड, इलाहाबाद के अन्तर्गत इलाहाबाद रेलवे स्टेशन में कार्य कर रहे पार्सल पोर्टरों को परेशान किये जाने के बारे में शिकायतें की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पार्सल पोर्टरों की शिकायतों के समाधान के लिये कोई कार्यवाही की गई थी ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी हां ।

(ख) सोसाइटी की विफलता के लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई की गयी है तथा प्रशासन द्वारा इस मामले में कार्रवाई की जा रही है ।

माल उतारने-चढ़ाने सम्बन्धी ठेके

2574. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल उतारने-चढाने संबंधी ठेके प्रतिवस्तु के आधार पर श्रम सहकारी समितियों को दिये जाते हैं और ये दरें तीन राजपत्रित अधिकारियों की समिति द्वारा निर्धारित की जाती हैं ;

(ख) क्या निर्धारित वस्तु-सूची की प्रत्येक वस्तु के लिए व्यवहार्य तथा उचित दरों का निर्धारण सुनिश्चित करने के लिये समिति द्वारा अवलोकनार्थ रेलवे बोर्ड ने कोई मानदंड रखे हैं ;

(ग) इलाहाबाद, मिर्जापुर, नैनी, जूही टी० पी० टी०, कानपुर सेन्ट्रल गुड्स शेड्, कूपरगंज (एम० जी०), टूंडला तथा चुनार में माल उतारने-चढ़ाने संबंधी ठेकों के लिये निर्धारित सूची की प्रति वस्तु के लिए निर्धारित दरों का ब्यौरा क्या है और ये दरें कब से लागू की गई थीं; और

(घ) क्या उपरोक्त भाग (ग) में उल्लिखित गुड्स शेड में प्रत्येक वस्तु के कार्य के लिए दरों का निर्धारण करते समय दर निर्धारण समिति ने स्थानीय मजूरी दर तथा अन्य सम्बद्ध तथ्यों तथा बातों को ध्यान में रखा था ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। किन्तु, रेलवे बोर्ड ने मोटे तौर पर मार्गनिर्देशन निर्धारित किया है कि दर समिति स्थानीय स्थितियों, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूर दर, या जहां ये विद्यमान नहीं हैं, वहां मार्केट दर, सांविधिक उत्तरदायित्व जैसे साप्ताहिक छुट्टी, बोनस आदि, काम की मात्रा और अन्य सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दरों का अनुमोदन करें।

(ग) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-621/77]

(घ) जी हां।

कानपुर में साइकिल स्टैंड का ठेका

2575. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1974, 1975 और 1977 के दौरान कानपुर में साइकिल स्टैंड के ठेके के आवंटन के लिये टेंडर प्रस्तुत किये थं और प्रत्येक टेंडरदाता ने कितनी राशि का टेंडर भरा था ;

(ख) उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिनके टेंडर डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1974, 1975 और 1977 में स्वीकार कर लिये गये थे ;

(ग) क्या सफल टेंडरदाता टेंडर स्वीकृति पत्रों में निर्धारित तारीखों से कार्य शुरू करने के लिये नहीं आये थे ; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे प्रशासन के हितों की सुरक्षा के लिये डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट ने क्या कार्यवाही की थी ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) वर्ष 1974, 1975 और 1977 के दौरान कानपुर में साइकिल स्टैंड के ठेके के आवंटन के लिए टेंडर देने वाली पार्टियों के नाम तथा प्रत्येक टेंडरदाता द्वारा निवेदित रकम का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1974

1.	मै० एम० डी० एण्ड कम्पनी	1,34,000 रुपये
2.	मै० रजा एण्ड कम्पनी	1,29,000 रुपये
3.	मोहम्मद फरीद इदरसी	99,939 रुपये
4.	मोहम्मद सबीर	98,700 रुपये
5.	मै० निरंकारी इंजीनियरिंग कारपोरेशन . . .	87,050 रुपये
6.	श्री कुदरत दीन	82,000 रुपये
7.	मे० पाटला ट्रेडर्स	77,701 रुपये

1975

1.	मै० बन्नी एण्ड कम्पनी . . .	1,32,000 रुपये
2.	मै० दिनेश एण्ड कम्पनी .	1,11,000 रुपये
3.	मै० एम० डी० एण्ड कम्पनी . . .	1,10,000 रुपये
4.	श्री कुदरतदीन	83,000 रुपये

1977

1.	मोहम्मद फरीद इदरसी	1,50,000 रुपये
2.	मै० सीमा एण्ड कम्पनी . .	1,46,000 रुपये
3.	मे० आर० एस० वी० एम० एण्ड कम्पनी	1,45,000 रुपये
4.	मे० शकील एण्ड ब्रदर्स	1,35,000 रुपये
5.	मे० रेलवे पार्सलस एण्ड गुड्स पोर्टर्स कोप० लेबर कन्ट्रेक्ट सोसाइटी लि०	96,500 रुपये
6.	मे० फ्रेन्ड्स ट्रेडिंग कारपोरेशन	95,000 रुपये
7.	मे० सलीम एण्ड कम्पनी	78,000 रुपये

1974 और 1975 में उच्चतम टेंडरदाताओं को ठेके नहीं दिये गये थे क्योंकि उनके टेंडरों के साथ शर्तें जुड़ी हुई थीं। 1977 में उच्चतम टेंडरदाता को ठेका इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि उसने पेशगी की रकम जमा नहीं करायी थी।

(ख) वर्ष 1974, 1975 और 1977 में इलाहाबाद के मंडल अधीक्षक द्वारा जिन व्यक्तियों को ठेके दिये गये, उनके नाम नीचे बताये गये हैं :—

1974 . .	मैसर्स रजा एण्ड कम्पनी
1975 . .	मैसर्स दिनेश एण्ड कम्पनी
1977 . . .	मैसर्स सीमा एण्ड कम्पनी

(ग) 1974–75 में सफल टेंडरदाता काम करने नहीं आये थे। 1977 में सफल टेंडरदाता ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 1-2-1977 से काम करना शुरू कर दिया। मध्यवर्ती अन्तराल में पिछले ठेकेदार को काम करने की अनुमति दे दी गयी थी।

(घ) 1974 में ठेकेदार ने प्रलेखों को पूरा करने में बहुत समय लिया। इसके बाद यह मुकर गया। पेशगी की रकम जब्त नहीं की जा सकी क्योंकि इसको जब्त करने की निर्धारित समयावधि समाप्त हो चुकी थी। इस गलती के सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है।

1975 में, मैसर्स दिनेश एण्ड कम्पनी को ठेका दिया गया था लेकिन उन्होंने काम शुरू नहीं किया। उनकी पेशगी की रकम जब्त कर ली गयी थी।

इलाहाबाद में पार्सल उतारने-चढ़ाने सम्बन्धी कार्य

2576. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर पार्सल उतारने-चढ़ाने संबंधी कार्य करने के लिए रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोआपरेटिव लेबर कांट्रेक्ट सोसायटी लिमिटेड, इलाहाबाद को दी गई राजसहायता के निर्धारण का आधार क्या है :

(ख) क्या इस सोसायटी को रेलवे प्रशासन द्वारा निर्धारित किये गये 5.50 रुपये की दैनिक मजूरी दर से भुगतान करना था/करना है ;

(ग) क्या मजदूरों को कम/अपर्याप्त भुगतानों के बारे में रेलवे प्रशासन को शिकायतें मिली थीं; और

(घ) यदि हां, तो इस सोसायटी द्वारा मजदूरों को किये गये कम भुगतानों की वसूली के लिये संविद श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार 'मुख्य नियोजक द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर पार्सल उतारने चढ़ाने के लिए इलाहाबाद की रेलवे स्टेशन पोर्टर्ज कोआपरेटिव लेबर कन्ट्रेक्ट सोसायटी लि० को 110 व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध कराने के लिए दी गयी आर्थिक सहयता 5.50 रु० प्रति व्यक्ति की दर से नियत की गयी है । कामगरों को साप्ताहिक विश्राम के लिए इस रकम में इसके छठे भाग की वृद्धि कर दी गयी है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस सोसायटी की विफलता के लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई की गयी है तथा आगे इस मामले की प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है ।

गोआ, दमन और दीव से राजस्व

2577. श्री एडुआर्डो फैलेरो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ, दमन और दीव में रेलवे से केन्द्रीय खजाने को कितना राजस्व प्राप्त होता है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : आय और व्यय की सूचना रेलवे वार संकलित की जाती है न कि राज्यवार ।

ग्वालियर-शिवपुरी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना और इसका गुना तक विस्तार करना

2578. श्री माधव राव सिंधिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्वालियर-शिवपुरी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए ग्वालियर वाणिज्य तथा उद्योग संगठन से अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) क्या इस संगठन ने इसका गुना तक विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया है; ताकि यह मक्सी होती हुई गुना से जा मिले; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते): (क) ग्वालियर से शिवपुरी तक बड़ी लाइन के निर्माण के संबंध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) जी हां ।

(ग) बहुत कम यातायात होने और काफी हानि उठाने के कारण ग्वालियर-शिवपुरी छोटी लाइन को यातायात के लिए 1-8-75 को बंद कर दिया गया था। संसाधनों की कमी के कारण ग्वालियर से शिवपुरी तक एक नयी लाइन के निर्माण और इसे गुणा तक बढ़ाने के बारे में विचार करना सम्भव नहीं होगा।

मेहसाना रेलवे स्टेशन में छात्रों के ग्रुप को परेशान किया जाना

2579. **श्री वालयार रवि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की यात्रा कर रहे दिल्ली के छात्रों के ग्रुप को मेहसाना रेलवे स्टेशन में रेलवे प्राधिकारियों द्वारा परेशान किया जाता है और उन्हें बहुत सी कठिनाइयों में डाला जाता है ;

(ख) क्या घूस लेने के लिए रेलवे प्राधिकारी पर्यटक ग्रुपों को हमेशा ही इस प्रकार से परेशान करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) दिल्ली के छात्रों के दलों को मेहसाना स्टेशन पर आमतौर पर परेशान किये जाने की कोई घटना नोटिस में नहीं आयी है। एक घटना यह है कि 30-5-77 को 35 अप कीर्ति एक्सप्रेस के दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बा नं० 34213 में गांधी पीस फाउन्डेशन के प्रतिनिधि मेहसाना स्टेशन पर पहुंचे और वह डिब्बा गाड़ी परीक्षक द्वारा जांच करने के बाद खराब घोषित कर दिया गया था लेकिन उस दल के मूल कार्यक्रम के अनुसार 67 अप-द्वारा ले जाने के लिए रेल प्राधिकारियों द्वारा उन प्रतिनिधियों को दूसरी सवारी डिब्बे (मेहसाना-अहमदाबाद शयनयान में यानान्तरित करने का प्रबंध भी किया गया था। लेकिन सवारी डिब्बा नं० 34213 को खराब घोषित करने के निर्णय का प्रतिनिधियों ने विरोध किया और दूसरे डिब्बे में जाने से इन्कार कर दिया।

(ख) जी नहीं।

(ग) जब कभी इस तरह की कोई शिकायत मिलती है, उसकी जांच की जाती है और गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की जाती है। जिस घटना का उल्लेख भाग (क) के उत्तर में किया गया है, रेल अधिकारियों द्वारा जांच की गयी थी। उसी डिब्बे को कार्यक्रमानुसार आगे ले जाने के लिए उसकी मरम्मत में देर करने के दोषी पाये गये गाड़ी परीक्षक और सहायक यार्ड मास्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

वरकला में उपरिपुल

2580. **श्री वयालार रवि :**
श्री के० कुन्हम्बु :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वरकला (केरल) में एक उपरिपुल के निर्माण के लिए बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) निर्माण-कार्य कब शुरू किया जाएगा और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) कि० मी० 786/13–14 के समपार के बदले वर्कला में (वर्कला-कल्लामवालम रोड पर) ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था के लिए रेलवे को दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) समपारों के बदले उपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के लिए प्रस्ताव राज्य सरकारों (सड़क प्राधिकरण) द्वारा प्रायोजित किये जाते हैं जिन्हें वर्तमान नियमानुसार लागत के अपने हिस्से को वहन करने का वचन भी देना होता है। तदनुसार अभ्यावेदकों को सूचित किया गया है कि इस प्रस्ताव को प्रायोजित करने के लिए राज्य सरकार को लिखें । इस संबंध में राज्य सरकार से अभी तक कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

अलाभप्रद रेलवे लाइनों के बदलने के बारे में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया

2581. श्री के० प्रधानी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अलाभप्रद रेलवे लाइनों को सड़क-मार्गों में बदलने के लिए कुछ राज्यों को प्रस्ताव भेजे थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) राज्य सरकारों को ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं भेजे गये हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल उद्योग तथा तेल व्यापार में सरकारी क्षेत्र की भूमिका

2582. श्री के० ए० राजन : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सम्पूर्ण तेल उद्योग तथा तेल व्यापार में सरकारी क्षेत्र की वर्तमान भूमिका क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : आयल इंडिया लिमिटेड को छोड़कर जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश के एक सीमित क्षेत्र में कार्य करती है, देश के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन को सरकारी क्षेत्र द्वारा देखभाल की जाती है । शोधन और विपणन क्षेत्र में केवल असम आयल कम्पनी जिसकी डिगबोई में एक छोटी शोधनशाला है, उसको अभी सरकारी क्षेत्र द्वारा अधिग्रहण किया जाना है । असम आयल कम्पनी और बर्मा आँयल कम्पनी के आयल इंडिया लिमिटेड में शेयरों को अधिग्रहण के सम्बन्ध में बातचीत की जा रही है और आशा की जाती है कि कुछ महीनों में उस पर अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा ।

भारतीय रेलवे के लिए निर्गमित योजना

2583. श्री सरत कुमार कार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के लिए 15 वर्षीय निर्गमित योजना की क्रियान्विति का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य के बारे में क्या विशेष प्रस्ताव किये गये हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख). भारतीय रेलों ने एक समवे [illegible] तैयार की है जिसमें वर्ष 1988–89 तक रेल परिवहन की प्रत्याशित आवश्यकताओं और साथ ही मांग को पूरा करने के लिए अपेक्षित उपायों का उल्लेख है ।

क्षेत्र की आवश्यकताओं और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट परियोजनाओं और प्रस्तावों को समय-समय पर क्षेत्रीय रेलों और योजना आयोग के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है ।

विधान मंडलों और संसद् के निर्वाचनों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति आरम्भ करना

2584. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की विधान मंडलों और संसद के निर्वाचनों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति आरम्भ करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अमृतसर में डिप्टी सी० एम० ई० की सेवा में वृद्धि

2585. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर में डिप्टी सी०एम०ई०, श्री जी० एन० सांजी द्वारा की गई सेवा की अवधि कितनी है;

(ख) उनकी सेवा-अवधि कितनी बार बढ़ाई जा चुकी है;

(ग) क्या वहां के कर्मचारियों में इस अधिकारी के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसकी सेवा-अवधि बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते): (क) स्थानान्तरित होकर भारतीय रेलों पर आये उन्हें 21 वर्ष हो चुके हैं सिवाय इसके कि इसमें दो वर्षों का व्यवधान रहा है ।

(ख) 10–2–76 से 28–2–78 के बीच 3 चरणों में 2 वर्ष की सेवा अवधि बढ़ायी गयी है ।

(ग) जी नहीं।

(घ) जनहित में तथा अमृतसर कारखाने में उन्होंने जो काम किया था उसको देखते हुए तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा उनकी सेवाकाल में वृद्धि की गयी थी।

संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम

2586. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एन० ए० पालखीवाला, विधिवेत्ता ने केन्द्रीय सरकार से अपने इस सुझाव पर विचार करने का आग्रह किया है कि उच्चतम न्यायालय से कहा जाए कि वह संविधान के 42वें संशोधन से हुई क्षति को अविधिमान्य घोषित कर दे; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

शोलापुर से जलगांव तक बड़ी लाइन बिछाने की मांग

2587. **डा० बापू कालदते** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में ओसमानाबाद और भिर से होकर शोलापुर से जलगांव तक नई बड़ी लाइन बिछाने की मांग है; और

(ख) इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) विगत में इस रेल सम्पर्क के संबंध में कोई जांच-पड़ताल नहीं की गयी है। संसाधनों की भारी तंगी के कारण इस समय इस लाइन के निर्माण पर विचार करना सम्भव नहीं हो पायेगा।

कोंकण रेलवे पर सर्वेक्षण कार्य

2588. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित कोंकण रेलवे पर सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सर्वेक्षण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) (क) और (ख). आप्टा दासगांव खण्ड के प्रस्तावित आप्टा मंगलौर (कोंकण रेलवे लाइन) का अंतिम स्थान-निर्धारण सर्वेक्षण और यातायात सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। रत्नागिरी से मंगलौर तक के पहले सर्वेक्षण की मौके पर जांच सहित दासगांव से रत्नगिरी तक अंतिम स्थान-निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य पूरा होने वाला है।

चक्रधरपुर डिविजन में कर्मचारी संघ की मांगें

2589. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि चक्रधरपुर डिवीजन के डिविजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत मांग ज्ञापन पत्र को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख). ऐसा कोई अवसर नहीं आया है जबकि चक्रधरपुर मंडल के मंडल अधीक्षक ने कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत मांग के ज्ञापन को स्वीकार करने से इन्कार किया हो।

आर० डी० एस० ओ० रेलवे मैनों को परेशान किये जाने सम्बन्धी मामले वापस लेना

2590. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आर० डी० एस० ओ० रेलवे मैनों को परेशान किये जाने संबंधी सब मामले वापिस लेने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख). 1974 की रेल हड़ताल के संबंध में अथवा आपातकाल की अवधि के दौरान अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन के किसी कर्मचारी को सेवा से हटाया या बरखास्त नहीं किया गया था।

लेकिन एक मामला श्री एस० एल० श्रीवास्तव, लिपिक का था जो 9–5–1974 से अनाधिकृत रूप से गैर हाजिर था। सिविल पुलिस ने उनके विरुद्ध एक मामला दर्ज किया था और उन्हें 25–5–74 को गिरफ्तार किया था। उन्हें 9–5–74 से 27–5–74 तक हड़ताल पर माना गया था और 28–5–74 से निलम्बित कर दिया गया था। बाद में 18–6–74 के अपराह्न से उनके निलम्बन आदेशों को रद्द कर दिया गया। सेवावधि में अवरोध को माफ करके 9–5–74 से 27–5–74 तक की अवधि को डाइज-नान माना गया है। चूंकि पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हो सके, इसलिए 28–5–74 से 18–6–74 तक उनकी निलम्बन की अवधि को उन्हें ड्यूटी पर मानते हुए नियमित किया जा रहा है।

एक अन्य मामला अस्थाई पद पर तैनात दो नैमित्तिक श्रमिकों सर्वश्री रामधारी और बीनू प्रसाद का था जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान बंदी बना लिया गया था और जिन्हें लगातार 90 दिन तक अनाधिकृत रूप से गैर हाजिर रहने के कारण नियमों के अनुसार बाद में त्याग पत्र दिया हुआ माना गया था। किन्तु 16–2–77 को राज्य सरकार द्वारा उन्हें रिहा कर दिये जाने के बाद 5–5–77 से उन्हें नौकरी पर बहाल कर दिया गया है।

तालचर उर्वरक संयंत्र के निर्माण में विलम्ब

2591. श्री समरेन्द्र कुण्डु: क्या **पेट्रोलियम तथा उर्वरक और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तालचर स्थित उर्वरक संयंत्र के निर्माण में निर्धारित समय सीमा से कितने वर्ष अधिक लगे हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नदन बहुगुणा) : तालचर में एफ० सी० आई० के कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र का जुलाई, 1975 में यांत्रिक रूप से पूरा होना निश्चित था। तथापि, दोनों आयातित और देशी उपकरणों की डिलीवरी में देरी के कारण प्रायोजना के पूरे होने में विलम्ब हो गया और अब प्रायोजना के अक्टूबर, 1977 तक यांत्रिक रूप से पूरे होने की संभावना है।

कार्मिक संघों के कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए विशेष खुफिया दल

2592. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में कार्मिक संघों के कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिये रेलवे द्वारा मई, 1974 में नियुक्त खुफिया दल अभी भी अपना कार्य कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे में सामान्य वातावरण उत्पन्न होने के बाद अभी भी उक्त विशेष ढांचा बनाये रखने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख). जुलाई, 1973 में आसूचना निदेशालय का गठन किया गया था। यह निदेशालय रेल मंत्रालय में कार्यरत है। लेकिन इसका इस्तेमाल रेलों पर ट्रेड यूनियन संबंधी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए नहीं किया जाता। इस निदेशालय को बरकरार रखा गया है क्योंकि जिस कारण से इसका गठन किया गया था, वह कारण अभी भी विद्यमान है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री द्वारा अन्य देशों की यात्रा

2593. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मई और जून, 1977 में अमरीका तथा कुछ अन्य देशों की यात्रायें की थीं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी यात्राओं का उद्देश्य क्या था तथा उन्होंने किन देशों की यात्रा की थी और इन यात्राओं की अवधि कितनी थी; और

(ग) क्या उक्त यात्राओं के परिणामस्वरूप कोई ठोस करार किये गये अथवा पारस्परिक समझौते के लिये विशेष व्यापक क्षेत्र निर्धारित किये गये ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी हां।

(ख) न्यूयार्क में हो रहे समुद्री कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन के छठे सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता के रूप में मैं 28 मई, 1977 से 11 जून, 1977 तक

संयुक्त राज्य अमेरिका में था। न्यूयार्क जाते हुए मैं 25 और 26 मई, 1977 को दो दिन के लिए मास्को में रुका था। संयुक्त राज्य अमेरिका से वापस आते समय मैं 12 जून, 1977 को एक दिन के लिए लन्दन में रुका था। मास्को और लन्दन की यात्राएं गैरसरकारी थीं, फिर भी मैंने इस अवसर का उपयोग समुद्री कानून सम्बन्धी सम्मेलन से सम्बन्धित विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए सोवियत और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ सम्पर्क स्थापित करने में किया।

(ग) समुद्री कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन के छठे सत्र में अभी बातचीत चल रही है।

अहमदाबाद और अमृतसर के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाया जाना

2594. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात और पंजाब राज्यों के व्यक्तियों तथा एसोसिएशनों से कोई अभ्यावेदन, ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें अहमदाबाद तथा अमृतसर के बीच एक नई सीधी एक्सप्रेस अथवा तीव्रगामी रेलगाड़ी चलाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) :(क) और (ख). अहमदाबाद और अमृतसर के बीच सीधी गाड़ी चलाने के लिए अभी हाल में कोई अभ्यावेदन अथवा ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। अहमदाबाद में टर्मिनल की अपेक्षित सुविधाएं न होने तथा रास्ते में पड़ने वाले सन्तृप्त खण्डों पर अतिरिक्त लाइन क्षमता के अभाव के कारण परिचालन की दृष्टि से इस समय अहमदाबाद और अमृतसर के बीच सीधी गाड़ी चलाना सम्भव नहीं है।

सौराष्ट्र और गुजरात में रेल यातायात में सुधार

2595. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात के सौराष्ट्र में प्रायद्वीप क्षेत्र में रेल व्यवस्था बहुत बढ़ेगी और पेचीदा है जिसके कारण मार्ग में अनेक जंकशन हैं और रेलगाड़ी बदलनी पड़ती है, थका देने वाली है और यात्रा में समय बहुत अधिक लगता है, गाड़ियां धीरे चलती हैं, जिसके फलस्वरूप यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सौराष्ट्र और गुजरात में रेल यातायात की उक्त जटिल स्थिति दूर करने तथा उसमें सुधार करने के लिये की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है तथा वह कब तक की जायेंगी ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) (क) और (ख). सौराष्ट्र क्षेत्र में रेलों का घना जाल बिछा है जिसके फलस्वरूप वहां अनेक जंकशन हैं। वीरमगाम-ओखा पोरबन्दर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम जारी है। इससे कुछ हद तक यानान्तरण को कम किया जा सकेगा और यातायात में तेजी लायी जा सकेगी।

Criteria adopted for awarding Contracts for Selling Articles on Stations

2596. Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the criteria adopted by his Ministry for awarding contract for selling articles on stations ;

(b) the names of persons in Maharashtra State who were awarded contract for opening tea stalls and to sell other articles on Western and Central Railways during the emergency together with the names of the stations ;

(c) whether it is a fact that such persons were awarded contract on some stations, applications in respect of which were not received in time and who had no experience of selling aerticles ; and

(d) whether Railway Board propose to terminate contracts given to all these persons for whom orders were issued direct by the Ministry, invite fresh applications and award contracts to honest persons to open stalls on railway stations ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) For the award of Vending Contracts, applications are invited through press notifications and notices desplayed at conspicuous places at Railway Stations. The applications are then scrutinised by a Screening Committee consisting of 2 or more officers, taking into Consideration, the suitability, experience, financial standing etc. of the candidates. The Screening Committee recommends suitable candidates on merit to the competent authority, who after taking into consideration the recommendation of the Screening Committee awards the contract to the most suitable person.

(b) A statement is attached. [Placed in the Library *see* No. LT-622/77]

(c) One tea stall at Ghatkopar and one tea stall at Vikhroli on Central Railway were allotted under direct orders of the former Minister of Railways and no applieations were invited. Both these persons, however, had previous experience. In all other cases applications were invited as per extant rules and the contracts were allotted to persons with previous experience.

(d) This is under examination.

Free Railway Passes to Common People during Emergency Period

***2597. Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of persons who were issued free railway passes during emergency and the criteria thereof ?

(b) the number of persons utilising these passes upto 1st May, 1977 and the benefit to the nation as a result thereof ; and

(c) whether Railways suffered loss of revenue by issuing such passes and it encourages favouritism also ?

The Minister of Railways **(Prof. Madhu Dandavate)** : (a) and (b). 253 complimentary card passes were issued with the approval of Minister to organisations/individuals, out of which 240 complimentary card passes were current on 1-5-77.

(c) It would be difficult to determine the extent of Railway journeys likely to be performed by these persons, if such passes are not given. Hence the loss of Railway revenue cannot be assessed. The criteria for issue of such passes are being reviewed.

महाराष्ट्र में चाय तथा अन्य स्टालों के लिए दिए गए ठेके

2598. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपात स्थिति के दौरान महाराष्ट्र में पश्चिमी तथा मध्य रेलवे के रेलवे स्टेशनों पर चाय तथा अन्य स्टालों के लिए ठेके देते समय सम्बद्ध महा प्रबन्धकों की सिफारिशों को ध्यान में नहीं रखा गया था ; और

(ख) क्या ये ठेके पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन व्यक्तियों को दिए गए जो कि भूतपूर्व रेलवे मंत्री के नीजी व्यक्ति थे ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) चाय और अन्य स्टाल के ठेकों का आवंटन महाप्रबन्धकों के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन भूतपूर्व रेल मंत्री द्वारा किए गए आदेशों के अन्तर्गत मध्य रेलवे के धाटकोपर स्टेशन और बिखरौली स्टेशन पर चाय की एक-एक स्टाल का ठेका आवंटित किया गया था। पश्चिम रेलवे की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए भूतपूर्व रेल मंत्री के अनुमोदन से अन्धेरी स्टेशन पर चाय की दो स्टाल और ग्रान्ट रोड स्टेशन पर चाय की एक स्टाल का ठेका आवंटित किया गया था।

(ख) उत्तर प्रदेश निवासी तीन व्यक्तियों को मध्य और पश्चिम रेलों पर ठेके दिए गए थे। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि ये व्यक्ति भूतपूर्व रेल मंत्री के अपने निजी आदमी थे।

पश्चिमी क्षेत्र में नई लाइनें बिछाना छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

2599. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी क्षेत्र में आगामी पांच वर्षों में नई रेल लाइनें बिछाने अथवा छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के बारे में कोई नए सुझाव दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख) : पश्चिमी क्षेत्र (गुजरात और महाराष्ट्र) में निम्नलिखित योजनाओं पर काम चल रहा है :—

(1) विरमंगाम ओखा पोरबन्दर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना।

(2) दीवा से बेसिन तक नई लाइन।

(3) वानी से चनाका तक नई लाइन।

(4) मनमाड-परभनी-पुरली-बैजनाथ मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना। दिल्ली अहमदाबाद मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के काम को 1977–78 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण अभी हाल में किए गए हैं / किए जा रहे हैं। इनके निर्माण बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है :—

(क) रतलाम-बांसवाड़ा बड़ी लाइन का निर्माण।

(ख) भावनगर-तारापुर बड़ी लाइन का निर्माण।

(ग) आगरा-बंगलौर बड़ी लाइन का निर्माण।

(घ) वर्धा-कटोल बड़ी लाइन का निर्माण।

(ङ) नडियाड़-कपाडवंज छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना और मोडासा तक इसका विस्तार।

(च) मिरज-कुरडुवाड़ी-लातुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना और लातुर रोड़ तक इसका विस्तार ।

छटी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

पी० डब्ल्यू० आई० सेक्शन, जलपाईगुड़ी (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) के छटनीशुदा कर्मचारियों की बहाली

2600. **श्री दिनेश चन्द्र जोरदार** : क्या **रेल** मंत्री चह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अधिकारियों ने पी० डब्ल्यू० आई० सेक्शन, जलपाईगुड़ी के 42 नैमित्तिक कर्मचारियों की छटनी की है जबकि रेलवे विभाग पिछली कांग्रेसी सरकार के श्रमिक विरोधी कार्यों को ठीक करने की नीति अपना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकों बहाल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख) जलपाईगुड़ी के रेलपथ निरीक्षक के अधीन काम करने वाले 42 नैमित्तिक श्रमिक 16-4-1977 से सेवामुक्त कर दिए गए थे। उनमें से सभी को विभिन्न कार्यों पर लगा दिया गया है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने को रेलवे से क्रयादेश न मिलना

2601. **श्री रोबिन सेन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे से क्रयादेश न मिलने के कारण दुर्गापुर इस्पात कारखाने के पहिया तथा धूरी एकक को जिसका निर्माण मुख्यतः रेलवे की आवश्यकता पूरी करने के लिए किया गया था, प्रतिवर्ष हानि हो रही है ;

(ख) क्या संयंत्र के अधिकारी यह शिकायत कर रहे हैं कि रेलवे एकमात्र क्रेता होने के कारण उन्हें अलाभप्रद मूल्य देकर उनका शोषण कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी नहीं। रेलें हमेशा दुर्गापुर इस्पात कारखाने का समूचा उत्पादन खरीदती रही हैं। वास्तव में रेलें दुर्गापुर इस्पात कारखाने को निरन्तर प्रोत्साहन देती रही है कि वे उत्पादन बढ़ाने के लिए अपना उत्पादन बढ़ायें ताकि आयात को कम समाप्त किया जा सके।

(ख) शोषण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। कीमतें, इस्पात विभाग द्वारा मंत्रि-मंडल को प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के आधार पर ही सरकार द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। 1975 में इस्पात कारखानों ने यह प्रतिवेदन किया था कि 1971 में निर्धारित की गई पहली कीमतें अलाभकर थी।

(ग) कीमत के प्रश्न पर विचार करने के लिए 1975 में एक निर्यात समिति का गठन किया गया था। अगस्त, 1975 में इस समिति द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर रेलों ने 1-4-1976 से 20.3 मीटरिक टन भार वाले प्रति पहिया सेट के लिए 4,003 रुपए (ड्यूटी को छोड़कर) कीमत देने की बात कही थी बशर्तेकि उस समय प्रति 20.3

मीटरिक टन भार वाले पहिया सेट (डयूटी को छोड़कर) की 3,116 रुपए की चालू कीमत के बदले मंत्रिमण्डल की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो । उसके बाद रेल मंत्री और इस्पात मंत्री ने इस प्रश्न पर विचार किया है और उनके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप 1-4-76 से रेल मंत्रालय 20.3 मीटरिक टन बड़ी लाइन के पहिया सेटों की कीमतों में पिछले वर्ष में दिए जाने वाली 4003 रुपए (डयूटी अलग) की तुलना में 305/- रुपए प्रति पहिया सेट के हिसाब से बढ़ाने पर सहमत हो गया है। बढ़े हुए मूल्य अन्तिम होंगे बशर्तेकि ये बढ़े हुए मूल्य वित्त मंत्रालय के मुख्य लागत लेखा अधिकारी तथा मंत्रि मण्डल द्वारा सत्यापित किए गए हों।

राष्ट्रीयकृत बैंक से पेंशन का भुगतान

2602. **डा० सरदीश राय :**
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गांवों में रहने वाले रेलवे पेंशन भोगियों को अपनी वृद्धावस्था में दूर दराज के नगरों/कस्बों से पेंशन लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीयकृत बैंकों से उनके द्वारा पेंशन लिए जाने की व्यवस्था करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी हां।

(ख) प्रारम्भ में 1-8-1976 से कुछ चुने हुए स्थानों में रेलवे पेंशन भोगियों को डाकघरों के जरिए पेंशन के भुगतान की एक योजना लागू की गई थी। अब 1-6-1977 से इस योजना को देश भर के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थित सभी प्रधान और उप डाकघरों की मार्फत लागू कर दिया गया है। 100 रुपए प्रति महीने पेंशन पाने वाले पोस्टल मनीआर्डर द्वारा सरकारी खर्च पर अपनी पेंशन ले सकते हैं जहां किसी व्यक्ति की पेंशन की राशि 100 रुपए प्रति मास से अधिक हो, वहां पेंशन भोगी को अपने खर्च पर पोस्टल मनीआर्डर के जरिए पेंशन प्राप्त करने का विकल्प है।

(ग) जी हां। 1-8-1977 से 22 चुने हुए स्थानों में रेलवे पेंशनभोगियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के जरिए पेंशन पाने की सुविधा सुलभ है (अर्थात जूलाई, 1977 के महीने की पेंशन जो 1 अगस्त, 1977 को दी जाएगी)।

भारतीय तेल निगम की पाइपलाइन परियोजना

2603. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम सलाया (जामनगर के उत्तर पश्चिम में) कच्छ की खाड़ी स्थित तट दूर तेल टर्मिनल को भारी मात्रा में तेल ले जाने के लिए सौराष्ट्र में वीरमगांव में

विशाखन (बाइफरकेशन) स्थल से जोड़ने वाली 2000 करोड़ रुपये की लागत की एक पाइप लाइन परियोजना पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) इंडियन आयल कारपोरेशन ने आयातित और अपतटीय देशीय अशोधित तेल को विस्तार की जा रही कोयाली शोधनशाला और मथुरा में निर्माणाधीन नई शोधनशाला तक ले जाने के लिए वीरमगम से कोयाली तक एक शाखा लाइन सहित एक अपतटीय टर्मिनल तथा सलाया-वीरमगम-मथुरा पाइप लाइन के निर्माण कार्य को आरम्भ किया है।

अगस्त, 1973 में सम्भाव्यता स्तर पर संस्वीकृत पाइपलाइन प्रायोजना की लागत 120 करोड़ रुपये थी। उपकरण सामग्री आदि के मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रारम्भिक प्राक्कलन में पर्याप्त वृद्धि हो गई। 1974 में यह अनुमान लगाया गया था कि पाइपलाइन प्रायोजना पर 188 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अद्यतन लागत अनुमान इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा किये जा रहे हैं।

(ख) पाइपलाइन प्रायोजना में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(1) सलाया (बाडीनार गांव) से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर कच्छ की खाड़ी में सिंगल बुआय मूरिंग पद्धति की 87,500 डी० डब्ल्यू० टी० से 300,000 डी० डब्ल्यू० टी० क्षमता वाले बहुत बड़े कच्चे तेल के टैंकरों को लाने ले जाने, के लिए तैयार किया गया है। सिंगल बुआय मूरिंग पद्धति की 11 किलो मीटर लम्बी 42" व्यास मोटर की पाइप लाइन द्वारा बाडीनार स्थित तटीय टर्मिनल टैंक फार्म तक जोड़ी जानी है जिसकी आधी लम्बाई की पाइपलाइन समुद्र के भीतर बिछाई जायेगी और शेष आधी लम्बाई की तटीय पाइप लाइन के रूप में बिछाई जायेगी।

(2) सलाया (बाडीनार गांव) स्थित तटीय टर्मिनल की कुल प्रभावी भंडारण क्षमता 600,000 मी० टन होगी। इस तटीय टर्मिनल से कच्चे तेल को कोयाली स्थित वर्तमान शोधन शाला तथा मथुरा स्थित प्रस्तावित शोधनशाला तक भू-पाइप लाइन प्रणाली के माध्यम से भेजा जायेगा।

(3) भू-पाइप लाइन प्रणाली में सलाया से बोरमगम तक 28" व्यास वाली 275 किलो मीटर लम्बी पाइप लाइन खंड वीरमगम से कोयाली तक 18" व्यास की 141 किलो मीटर लम्बी लाइन पाइप खंड और वीरमगम से मथुरा तक 24" व्यास वाली 804 किलो मीटर लम्बी पाइप लाइन खंड शामिल है। इस पाइप लाइन को शुरू-शुरू में कोयाली से वार्षिक 3 बिलियन मी० टन और मथुरा से 7 मिलियन मी० टन उत्पादन को लाने ले जाने के लिए तैयार किया गया है और भविष्य में इसका और विस्तार किया जायेगा ताकि यह कोयाली से 5 मिलियन मी० टन और मथुरा से 10 मिलियन मी० टन के उत्पादन को ले जा सकें। कोयाली तथा मथुरा शोधनशालाओं तक अशोधित तेल को ले जाने के उद्देश्य के लिए इन शोधन-

शालाओं पर टर्मिनल केन्द्रों के अतिरिक्त इस पाइपलाइन प्रणाली में उपरोक्त अशोधित तेल की मात्राओं को ले जाने के लिए पर्याप्त पंपिंग क्षमता सहित वीरमगम पर एक मध्यवर्ती पम्प केन्द्र सहित विभिन्न स्थानों पर समुचित मध्यवर्ती पम्प केन्द्रों की व्यवस्था होगी।

(ग) विस्तृत कोयाली शोधनशाला जिसका वर्ष 1978 की पहली तिमाही तक यांत्रिक रूप से पूरा हो जाना निश्चित है की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सलाया टर्मिनल से कोयाली शोधनशाला तक सम्पर्क स्थापित करने वाली अपतटीय सुविधाएं और पाइप लाइन खंड समय पर तैयार हो जायेंगे। वीरमगम–मथुरा पाइप लाइन खंड दिसम्बर 1979 तक तैयार हो जायेगा और इस समय तक मथुरा शोधनशाला भी यांत्रिक रूप से तैयार हो जायेगी।

जौनपुर जिले में मानी हाल्ट

2604. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जौनपुर जिले में मानी हाल्ट पर यात्रियों की सुविधा हेतु एक पूर्ण प्लेटफार्म तथा शेड निर्माण करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : मकलाना हाल्ट उत्तर रेलवे के लखनऊ–फैजाबाद–मुगलसराय खंड पर खेता सराय और मेहरावां स्टेशनों के बीच स्थित है। यात्रियों की सुविधा के लिए उपयुक्त लम्बाई वाला रेल पटरी की सतहवाला एक प्लेटफार्म और एक छोटा प्रतीक्षालय शेड एवं बुकिंग कार्यालय पहले से ही मौजूद है यह व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है।

Extension of Railway Line upto Bhadohi from Barsathi Station

2605. Shri Yadvendra Dutt : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the time by which work on the extension of railway line up to Bhadohi from Barsathi Station would be taken up with a view to promote carpet industry of Madiyahoo Tahsil in district Jaunpur ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandvate): No investigations have been carried out for this rail link in the past. Due to severe constraint of resources, it would not be possible to consider the construction of this line at present.

तिरुचेन्दूर पैसेंजर गाड़ी का पटरी से उतरना

2606. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुनेलवेली जाने वाली तिरुचेन्दूर पैसेन्जर गाड़ी के इंजन तथा उसके साथ के दो डिब्बों के सैंटगलूर और पलयीकोटा के बीच पटरी से उतर जाने के कारण 100 यात्रियों को गम्भीर चोटें आई थीं;

(ख) यदि हां तो दुर्घटना सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस दुर्घटना के बारे में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और ख). 6–6–77 को लगभग 19.47 बजे दक्षिण रेलवे के मदुरै मंडल में सेयंदुगनल्लूर और पालयनकोटै स्टेशनों के बीच जब 736 अप तिरुचेन्दूर–तिरुनेलवेली सवारी गाड़ी चल रही थी तो इसके इंजन और उसके साथ के दो सवारी डिब्बे पटरी से उतर गये। इस दुर्घटना के फलस्वरूप 6 व्यक्तियों को चोटें पहुंचीं जिनमें से एक की हालत गंभीर थी।

(ग) और (घ) जी हां। जांच समिति के निष्कर्ष के अनुसार यह दुर्घटना कुछ अनजान व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा तोड़-फोड़ के कारण हुई। पुलिस द्वारा की जा रही जांच-पड़ताल जारी है।

उर्वरक संयंत्र स्थापति करने के लिए शा वैलेस एण्ड कम्पनी द्वारा अनुरोध

2607. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शा वैलेस एण्ड कम्पनी ने सरकार से अनुरोध किया है कि उसे देश में उर्वरक संयंत्र और कीटनाशी औषधियां बनाने वाले संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी जाये;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(ग) ये संयंत्र कब स्थापित किये जायेंगे; और

(घ) उनकी कुल क्षमता कितनी होगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) दिसम्बर 1974 में शा वैलेस द्वारा स्थापित एक कम्पनी मैसर्स नागार्जुन फर्टिलाइजर लि० को निम्नलिखित क्षमताओं से काकीनाडा आन्ध्र प्रदेश में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिये एक आशय पत्र जारी किया गया था।

नाइट्रोजन .	228,000 मी० टन प्रति वर्ष
पी2 ओ5	81,600 मी० टन प्रति वर्ष
के2 ओ	69,700 मी० टन प्रति वर्ष

क्योंकि इस प्रायोजना का कार्यान्वयन अभी आरम्भ नहीं किया गया है अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि संयंत्र कब तक पूरा हो जायेगा।

कम्पनी ने हल्दिया में निम्नलिखित तकनीकी ग्रेड पैस्टीसाइड्स के निर्माण के लिये एक संयंत्र की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र दिया है :

मलेथियन .	300 मी० टन प्रति वर्ष
डिमेपोएट	150 मी० टन प्रति वर्ष
फैनिट्रोथियन . . .	300 मी० टन प्रति वर्ष
एथियन	100 मी० टन प्रति वर्ष

उनका आवेदन पत्र विचाराधीन है।

मथेन (बम्बई) के निकट गाड़ी का पटरी से उतरना

2608. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई से 8 किलोमीटर दूर मथेरन स्थान पर 10 जून 1977 को एक गाड़ी के पांच डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कुछ यात्री घायल हो गये थे;

(ख) यदि हां तो दुर्घटना के कारण क्या थे;

(ग) उसके परिणामस्वरूप रेलवे को कुल कितनी क्षति हुई;

(घ) मरने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में कितनी क्षतिपूर्ति दी गई; और

(ङ) क्या मार्च 1977 से यह 20वीं रेल दुर्घटना थी ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) (क) जी हां।

(ख) रेल संरक्षा के अपर आयुक्त बम्बई के अनन्तिम निष्कर्ष के अनुसार इस दुर्घटना का कारण रेल कर्मचारियों की गलती थी।

(ग) अनुमानतः रेलवे सम्पत्ति को लगभग 34,805 रुपये की क्षति पहुंची है।

(घ) दावा आयुक्त को दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा दुर्घटना की तारीख से तीन मास तक है। भारतीय रेल अधिनियम 1890 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के तीन दावे प्राप्त हुए हैं। दावेदारों को बताया गया है कि वे अपने दावे पदेन दावा आयुक्त को भेजें। दावा आयुक्त के न्यायालय द्वारा किये गये फैसले के अनुसार रेल प्रशासन पार्टियों को भुगतान की व्यवस्था करेगा।

(ङ) जी नहीं।

सदर्न नाइट्रो-केमिकल्स का असन्तोषजनक कार्य निष्पादन

2609. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइट्रिक एसिड और सोडियम नाइट्रेट के उत्पादन के सम्बन्ध में सदर्न नाइट्रो-केमिकल्स का कार्य निष्पादन 1976 के दौरान भी असन्तोषजनक रहा है ;

(ख) क्या कम्पनी ने इन वस्तुओं का उत्पादन अपनी अधिष्ठापित क्षमता का केवल 40 प्रतिशत ही किया है ;

(ग) उत्पादन में इस मन्दता के क्या मुख्य कारण हैं ;

(घ) क्या कम्पनी के प्रबन्धकों ने सरकार से कन्सेंट्रेटिड नाइट्रिक एसिड के उत्पादन हेतु विदेशी सहयोग के लिए अनुमति मांगी है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपनी अनुमति दे दी है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) से (ग) मैसर्स सदर्न नाइट्रो केमीकल्स के कार्य निष्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1976 में सुधार हुआ है। 1975 के दौरान उनकी नाइट्रिक एसिड और सोडियम नाइट्रेट के 1495 मी. टन तथा 151 मी० टन के उत्पादन की तुलना में 1976 में उत्पादन क्रमशः 2287 मी० टन तथा 513 मी० टन था। वर्ष 1975 में नाइट्रक एसिड और सोडियम नाइट्रेट की क्षमता उपयोग क्रमशः 50 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की तुलना में 1976 के दौरान क्रमशः 76 प्रतिशत तथा 17 प्रतिशत थी। कम उत्पादन का मुख्य कारण बिजली की कमी थी।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, हां।

तिरुपति तथा कटपड़ी और पाकाल तथा धर्मावरम के बीच रद्द की गई गाड़ियां

2610. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिरुपति तथा कटपडी के बीच चलने वाली 121 तथा 122 गाड़ियां और पाकाल तथा धर्मावरम के बीच चलने वाली 247 तथा 248 गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं ;

(ख) क्या इन गाड़ियों को फिर से चलाने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उनको फिर से चलाने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) तिरुच्चिराप्पल्ली में 102 101 गंगा—कावेरी (मद्रास—रामेश्वरम) से मेल लेते हुए तिरुपति और रामेश्वरम् के बीच एक सीधी तीव्र सेवा की व्यवस्था करने के लिए 1–10–76 से 121 122 रेणिगुन्टा-तिरुच्चिराप्पल्ली फास्ट पैसेंजर को एक्सप्रेस में बदल दिया गया है और उसका नम्बर बदल कर 199 200 एक्सप्रेस कर दिया गया है। 247 248 पकाला-धर्मवरम् यात्री गाड़ी को 20–5–75 से रद्द कर दिया गया था और 97 98 तिरुपति-सिकन्दराबाद-वेंकटाद्री एक्सप्रेस को 19–5–75 से चलाया गया था।

(ख) जी हां

(ग) पकाला-धर्मवरम खंड पर अतिरिक्त खंडीय सेवा की व्यवस्था करने का प्रस्ताव विचाराधीन है और जैसा व्यावहारिक होगा, कार्रवाई की जाएगी। तिरुपति-काटपाडी खंड के बीच गाड़ी सेवा को तर्कसंगत बनाने का भी प्रस्ताव है।

Memorandum from Gujarat State for supply of Bombay High Oil and Gass

2611. **Shri Dharmsinhnhai Patel** : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers be pleased to state the number of memorandum sent to the Central Government by Gujarat Government for the supply of oil and gas from Bombay High indicating the dtaes and nature thereof ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : The Government of Gujarat on November 26, 1976 submitted a memorandum under the tittle 'A National Perspective on Bombay High'. There has also been some correspondence between the Government of India and the State Government on the subject. The Memorandum questioned the need for an oil pipeline for transporting crude from Bombay High to the shore and suggested that the existing arrangement of loading tankers with the help of Single Buoy Mooring (SBM) system might be adequate. The memorandum pleaded for the separation of associated gas from crude oil to be done offshore; offshore gas to be transported to Tarapur; gas to be fractionated and appropriate fractions to be utilised for setting up petrochemical units, fertilizer plants, for meeting the on-going commitments in Gujarat and for supply as domestic fuel. It was further recommended that gas should also be utilised for power generation and that a super thermal power station should be set up to meet the growing demands of the region.

बिना टिकट सफर के लिए विशेष छापे

2612. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी जोनल रेलों में 1 अप्रैल, 1977 से 30 जून, 1977 तक की अवधि में बिना टिकट सफर को रोकने के लिए कितने विशेष छापे मारे गये ; और

(ख) कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये, उनसे कितना जुर्माना वसूल किया गया और कितने व्यक्तियों को जेल भेजा गया ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख). जून, 1977 महीने के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन 1-4-1977 से 31-5-1977 तक की अवधि में बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए 17,152 विशेष छापे मारे गये थे। इन छापों के दौरान, 53,489 व्यक्तियों पर मुकदमें चलाये गये। इनमें से 35,731 को जेल भेजा गया। न्यायिक जुर्माने के रूप में 2,50,432 रुपये वसूल किये गये थे।

विकसित तथा अल्प-विकसित क्षेत्रों के बीच विषमता दूर करने के लिए नई रेल लाइनें बिछाना

2613. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकसित तथा अल्प-विकसित क्षेत्रों के बीच विषमता को ठीक करने के लिए देश में नई रेल लाइनें बिछाने की कोई नीति अपनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख). लोक लेखा समिति ने 1975-76 की अपनी 191वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि एक सुव्यवस्थित आधार पर नयी लाइनों के निर्माण के लिए लम्बी अवधि वाली एक व्यापक तथा सुस्पष्ट नीति संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाये। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और रेल मंत्रालय द्वारा इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों के परामर्श से इस नीति को अन्तिम रूप दे दिये जाने के बाद विचार-विमर्श के लिए संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

Proposal to make drug Industry more Productive

2614. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizer** : pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal to make drug industry more productive and drugs cheap ; and

(b) if so, the outlines thereof .

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna):

(a) and (b). In its report, a copy of which was laid on the Table of the House on 8th May, 1975, the Committee on Drugs & Pharmaceuticals Industry has identified 117 essential medicines and has recommended that the administrative regulation and licensing should be geared to ensure that greater emphasis is laid on production of such medicines. they have also recommended that it should be ensured that prices are fair and reasonable to the producer and to the consumer. Administrative action to strengthen the production base by ensuring adequate supplies of raw materials, both domestic and imported should also be taken. The production of relevant bulk drugs active ingredients going into the production of 117 essential medicines should be expanded on top priority basis.

This recommendation has already been given effect to and a drug by drug analysis was made and a list of bulk drugs prepared in which items which would generally be reserved for production in the public sector, the Indian Sector and open for all Sectors had been indicated. Government have been encouraging the setting up of additional capacities through the grant of a large number of industrial approvals on a continuous basis. During 1975-76 and 1976-77 as many as 169 licences letters of intent for manufacture of bulk drugs and formulations have been issued. With the implementation of these schemes, both in the public sector and private sector, it is expected that production of bulk drugs and formulations will increase substantially.

In order to ensure availability of imported raw materials for increased production of bulk drugs and formulations, the Import Policy for 1977-78 contains more liberal provisions.

The Committee on Drugs and Pharmaceutical Industry has made a number of recommendations in regard to rationalised control of prices of bulk drugs and formulations. These recommdnations are under active consideration of the Government and a decision is likely to be taken soon.

Production of Petrol

2615. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the year-wise production of petrol during the last three years ;

(b) whether the production of petrol is likely to go up in the coming years ; and

(c) if so, how and the extent thereof and the plans in this regard ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) The year-wise production of petrol (Motor-Spirit) during the last three years is as under :—

Year	Production (Figures in thousand tonnes)
1974-75	1247
1975-76	1274
1976-77	1340

(b) and (c). Following the oil crisis, Government had taken certain fiscal measures to curb the consumption of petrol. As a result thereof, the growth rate of consumption of petrol came down by 16·1 percent in 1974-75 over that of 1973-74, and, in the subsequent years, the growth rate has been marginal. The increase in the demand for petrol is expected to be of the order of 3·5 per cent per annum during the years 1977-78 to 1980-81. Petrol will be produced in the Refineries as per demand in the country.

Compensation paid by Railways

2616. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total amount of compensation paid to the people by the Railways during 1975-76 and 1976-77 ;

(b) whether Government propose to take some precautionary measures in this regard for the next year ; and

(c) if so, the salient features thereof ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Total amount of compensation paid to the claimants by the Railways on account of loss, damage, deteriorati n, non-delivery etc., of bookd consignments during 1975-76 and 1976-77 were Rs. 15·26 crores and Rs. 13·56 crores respectively.

(b) The Government has been taking precautionary measures to minimise the incidence of claims for compensation and these will be continued and intensified.

(c) The important claims prevention measures adopted by the railways are as under:—

(i) Escorting of goods trains carrying iron and steel, foodgrains, sugar, oilseeds etc., by Railway Protection Force armed personnel in vulnerable sections ;

(ii) Patrolling by armed Railway Protection Force personnel in vulnerable yards ;

(iii) Collection of crime intelligence and conducting of surprise raids by the staff of the Crime Intelligence of the Railways as well as Central Crime Bureau, Railway Board, with a view to tracking down criminals and receivers of stolen goods ;

(iv) Guiding and educating the staff to make them more and more conscious of the need to prevent loss of and damage to consignments ;

(v) Insistence on provision of dunnage to protect flap doors in case of wagon load consignments of sugar, grains, pulses, oilseeds, etc ;

(vi) Proper marking, addressing and labelling to prevent the consignment from going astray ;

(vii) Use of nuts and bolts for riveting wagons loaded with valuable goods ;

(viii) Proper maintenance of wagons so that incidence of sickness of wagons resulting in detention and transhipment is minimised, and also damage by wet and pilferage through doors and bodyholes is reduced ;

(ix) Patching of panel-cuts of wagons in sick-lines, yards and goods sheds to reduce the circulation of defective wagons ;

(x) Proper supervision and careful tallying of packages during loading and unloading operations ;

(xi) Intensified supervision at break-of-gauge transhipment points and repacking points ;

(xii) Prompt fixation of staff responsibility ; and

(xiii) Special precautions during monsoon season to prevent damage by wet.

Encouragement to Hindi

2617. Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether new programmes have been undertaken in his Ministry to encouarage Hindi work ;

(b) the expenditure incurred on pay and allowances of the Members of Committees appointed by previous Ministers for Hindi programmes ;

(c) the steps taken to check recurrence of such wastage of expenditure ;

(d) whether it is proposed to seek the cooperation for Hindi work of Central Hindi Directorate which is engaged in preparing various types of terminology ;

(e) whether it is proposed to associate the Chairman of the Central Hindi Directorate and Commissioner for Scientific Terminology with the supervision of Hindi work of the Railway Board ; and

(f) if so, the salient features thereof ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Yes. A number of schemes have been initiated for promoting Hindi work on the Railways. These include All Railways Essay and Elocution Competition in Hindi for the non-Hindi speaking employees, Noting and Drafting Competition in Hindi and Railway Minister's Hindi Essay-writing Competition for all employees and observance of Railway Hindi Weeks on Zonal Railways. Besides, running shields known as Railway Minister's Inter Railway and Inter Divisional Rajbhasha Shields have also been introduced.

(b) No pay was being paid to the members, only daily allowance was being paid to them. Details in this regard are being collected and will be placed on the Table of the House.

(c) The Committees relating to Hindi are being reconstituted to minimise expenditure.

(d) Co-operation of the Central Hindi Directorate is already being taken in finalisation of the Railway technical terms and expressions in Hindi. A glossary of Railway Statistical terms in Hindi has recently been prepared with the approval of the Central Hindi Directorate.

(e) No.

(f) Does not arise.

रेल दुर्घटनाओं के शिकार होने वालों के बारे में प्रतिकर दावे

2618. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन महीनों में रेल दुर्घटनाओं के शिकार होने वालों के आश्रितों से प्रतिकर सम्बन्धी दावे प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न दुर्घटनाओं में मरने वाले तथा घायल होने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुल कितने दावे प्राप्त हुए;

(ग) अब तक कुल कितने दावे निपटा दिए गए हैं; और

(घ) सभी दावों को निपटाने में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) मार्च से मई, 1977 तक की तीन महीने की अवधि के दौरान रेल दुर्घटना में मृत यात्रियों के आश्रितों और जख्मी हुये यात्रियों से अब तक प्राप्त दावों की कुल संख्या 78 है।

(ग) कोई नहीं।

(घ) दावे तद्‌र्थ दावा आयुक्तों/पदेन दावा आयुक्तों को दुर्घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के अन्दर प्रस्तुत किये जा सकते हैं। दावा आयुक्तों के न्यायालय द्वारा दिये गये फैसलों के आधार पर रेल प्रशासन द्वारा भुगतान की व्यवस्था की जाती है।

त्रिवेन्द्रम-मंगलौर और बसबई-कोचीन मार्गों पर यात्री यातायात सम्बन्धी सर्वेक्षण

2619. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में त्रिवेन्द्रम—मंगलौर और बम्बई—कोचीन के बीच यात्री यातायात के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण की मुख्य बात क्या है ; और

(ग) इन क्षेत्रों में यातायात सुविधाओं को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) से (ग). अनुपनगरीय यात्रियों को ले जाने वाली गाड़ियों में स्थानों के भरे जाने की वर्ष में दो बार आवधिक गणना की जाती है। 11/12 और 13/14 एक्सप्रेस गाड़ियों में प्रतिदिन चलने वाले 9 थ्रू सवारी डिब्बों के अतिरिक्त, 26-1-1976 से 81/82 बम्बई—एर्णाकुलम् मेंगलूर जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाड़ी चलायी गयी है तथा 21-6-76 से कोचीन—बम्बई यात्रियों के लिए इसकी बारम्बारता सप्ताह में एक बार से बढ़ाकर सप्ताह में दो बार कर दी गयी है। तिरुवनन्तपुरम्—एर्णाकुलम् बड़ी लाइन के खुल जाने के बाद, 29 30 मेंगलूर—एर्णाकुलम् मलाबार एक्सप्रेस तथा 47 48 कण्णनोर—कोचीन एक्सप्रेस गाड़ियां तिरुवनन्तपुरम् तक बढ़ा दी गयी हैं। फरवरी से अप्रैल, 1977 तक की अवधि में तिरुवनन्तपुरम्—एर्णाकुलम्

खंड के स्टेशनों से शोरवण्णुर--मेंगलूर खंड के स्टेशनों को तथा रायचूर-बम्बई वी० टी० और बम्बई के रास्ते अन्य स्टेशनों के लिए जाने वाले यात्री यातायात के विश्लेषण से पता लगा है कि कुल मिलाकर ये सुविधाएं पर्याप्त हैं। इन खंडों पर यात्री सेवाएं बढ़ाने का ध्यान रखा जायेगा।

रेल श्रमिकों के सम्मेलन के लिए नि:शुल्क गाड़ियां चलाना

2620. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मंत्री द्वारा हाल ही की मद्रास यात्रा के दौरान चुनाव प्रचार के लिए 2 जून 1977 को रेल श्रमिकों के सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले श्रमिकों के लिये नि:शुल्क विशेष गाड़ियां चलाई गई थीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि माल गाड़ियों के साथ लगाए जाने वाले डीजल इंजन 2 जून 1977 को श्रमिकों की इन विशेष गाड़ियों के साथ लगाए गए थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या रेल कर्मचारियों को अपने सम्मेलनों के लिए विशेष नि:शुल्क गाड़ियां देने की सरकार की कोई नीति है ?

रेल मंत्री(प्रो० मधु दंडवते) : (क) 2-6-77 को मद्रास में दक्षिण रेल मजदूर यूनियन द्वारा बुलाये गये ट्रेड यूनियन के सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के आने-जाने के लिए 5 जोड़ी विशेष रेल गाड़ियां चलायी गयी थीं।

(ख) चूंकि इन विशेष गाड़ियां में 18 डिब्बे लगाए गए थे जिन्हें भाप इंजनों द्वारा चलाना सम्भव नहीं था, इसलिए इनमें डीजल रेल इंजन लगाए गए थे।

(ग) जी नहीं। किन्तु रेलों पर परिपाटी यह है कि जब कभी अधिक भीड़-भाड़ होती है, जिसको ग्राम गाड़ियों अथवा नियमित गाड़ियों में नये डिब्बे लगाकर निकासी करना सम्भव नहीं होता, तो यात्रियों की भीड़-भाड़ की निसासी के लिए सुविधानुसार विशेष गाड़ियां चलाने की व्यवस्था की जाती है।

बिना चौकीदार वाले फाटकों की देखभाल के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति

2621. **श्री के० राममूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में बिना चौकीदार वाले फाटकों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या ग्रामीणों को रोजगार देने तथा बिना चौकीदार वाले फाटकों पर रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समेकित वेतन पर ऐसे फाटकों की देखभालों के लिए कुछ लोगों को नियुक्त करने का सरकार का विचार है ?

रेल मंत्री प्रो० मधु दंडवते: (क) 31-3-1976 को बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या 22,449 थी।

(ख) बिना चौकीदार वाल समपारों पर यातायात का घनत्व, दृश्यता, दुर्घटना की सम्भावना आदि विभिन्न बातों को ध्यान में रखकर रेलें वहां कर्मचारी नियुक्त करने की आवश्यकता का पुन-रीक्षण करने के लिए उन समपारों पर होने वाले सड़क और रेल यातायात की आवधिक समीक्षा

करती हैं। इन समीक्षाओं के आधार पर राज्य सरकारों के परामर्श से प्रतिवर्ष कई समपारों पर कर्मचारी तैनात किये जाते हैं। 1971–72 से 1975–76 तक की पांच वर्ष की अवधि में 234 समपारों पर कर्मचारी तैनात किये गये थे।

समपारों पर नियुक्त फाटक वालों की संरक्षा की दृष्टि से सिगनलों का उपयोग, गाड़ी संचालन, आपात स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई आदि का कुछ ज्ञान और अनुभव रखना जरूरी है। उन्हें रेलवे द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त भी होना चाहिए।

इस प्रकार माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि रेल संचालन का उचित प्रशिक्षण और ज्ञान न रखने वाले लोगों को नियुक्त करने से न तो स्थिति में कोई सुधार होगा और न ही बिना चौकीदार वाले समपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं में कोई कमी लाने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे लोग अपनी ड्यूटी प्रभावी ढंग से करते हैं, आवश्यक नियंत्रण रख पाना अत्यन्त कठिन होगा।

अतः ग्रामवासियों को काम देने और रेल दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से बिना चौकीदार वाले फाटकों की देख-भाल के लिए समेकित वेतन पर लोगों को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दार्जिलिंग-हिमालयन रेलवे में नैमित्तिक श्रमिक

2622. **श्री के० बी० चेतरी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दार्जिलिंग––हिमालयन रेलवे में गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार कुल कितने नैमित्तिक श्रमिकों को नियुक्त किया गया ;

(ख) कुल कितने नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी रिक्त स्थानों पर खपाया गया ;

(ग) गत तीन वर्षों में कितने नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी की गई; और

(घ) इस बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क)

वर्ष	नियुक्त किए गए नैमित्तिक मजदूरों की संख्या
1974 . . .	90
1975	56
1976	72

(ख) कोई नहीं।

(ग) 218।

(घ) नैमित्तिक मजदूर अल्प-अवधि, सविरामी और छुट-पुट कामों के लिए लगाये जाते हैं और काम पूरा हो जाने पर उन्हें हटा दिया जाता है। जहां कहीं सम्भव होता है (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर) उपलब्ध रिक्तियों के 50 प्रतिशत पदों पर इन कर्मचारियों की छान-बीन कर लेने के बाद नियमित संवर्ग में समाहित किया जाता है।

Quantity of Fertilizers Imported and Produced in the Country

2623. Shri Surendra Bikram : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state the quantity of fertilizers imported in 1976-77 as also the quantity there of produced in India ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : The requisite details of production and imports of fertilizers during 1976-77 are given below :

(*Quantity in lakh tonnes*)

	Nitrogen	Phosphate	Potash
(i) Indigenous production .	19·00	4·80	There is no indigenous production of potash
(ii) Imports. . .	7·50	0·23	2·78

Derailment in Rauza Loco shed

2624. Shri Surendra Bikram : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the causes of several incidents of derailment during May and June, 1977 in the Rauza Loco Shed on Northern Railway ; and

(b) whether these derailments took place because the A.P.W.I. Rauza, did not discharge his responsibilities properly and the Railways had to suffer big loss as a result thereof ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) There was no detrailment in Rauza Loco Shed during May and June, 1977.

(b) Does not arise.

Katihar Railway Junction

2625. Shri Yuvraj : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether Katihar is the biggest metre gauge railway Junction in the country ;

(b) whether thousands of passengers travel by various trains daily through Katihar junction ;

(c) whether no suitable waiting room has been provided there for II class passengers, though there is an old building of British period which is in a dilapidated condition and where passengers cannot be accommodated ; and

(d) if so, the time by which a II class waiting room would be constructed there with an accommodation for staying of 500 passengers, provision of fans, pure drinking water and mozaic floor ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) to (d) At Katihar Junction a Waiting Hall and two waiti g rooms for gents and ladies have been provided, work for renovation of the station building including modernisation of the facilities, extension of the waiting hall, has already been taken in hand.

Construction of a Gate and a Bridge between Katihar Goshala and M/s R.B.H.M. Jute Mills, Katihar

2626. Shri Yuvraj : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that in the absence of a gate and a bridge between the Katihar Goshala and M/s. R.B.H.M. Jute Mills, Katihar on the Katihar-Manihari Ghat (N.F. Railway) railway line, the people and the mill workers passing from there and the bullock carts coming to the village face great difficulties ;

(b) whether a number of railway lines have been laid between Goshala and the mills during last ten years and this place is very near to the railway yard where the railway trains come for shunting ;

(c) whether a number of accidents have taken place there since the laying of so many railway lines ; and

(d) if so, the time by which a gate and a bridge would be constructed to facilitate the movement of pedestrians passing from there ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) No complaints or representations have been received by the Railways in this regard except one received for the first time in May, 1977.

(b) No extra railway lines have been laid during the last 10 years. The place is however near the railway station yard.

(c) Does not arise.

(d) The need for the provision of a new level crossing or a foot overbridge at this place is presently under examination by the Railway.

विवाह की आयु पर निर्बन्धन

2627. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जन्म-दर कम करने के विचार से विवाह की आयु पर निर्बन्धन लगाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

पश्चिम बंगाल में बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड और इसकी सम्बद्ध यूनिटें

2828. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल में बर्ड एंड कम्पनी तथा इसकी सम्बद्ध यूनिटों को कुछ निदेशक नियुक्त करके और अधिक संकटग्रस्त होने से बचाने के लिये किये गये सभी प्रयत्न निष्फल रहे हैं ;

(ख) क्या इस बारे में सरकार को शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कम्पनी को भारी कुप्रबन्ध और दुर्विनियोजन से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) (क) से (ग) प्रश्न का भाग (क) स्पष्ट नहीं है ।

कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता में प्रारम्भ में 12-5-76 को सरकारी निदेशक नियुक्त किये गये थे । इसके पश्चात, नवम्बर, 1976 में सरकार द्वारा मनोनीत

प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति करके कम्पनी के प्रबन्धक वर्ग को पुनः सशक्त बनाया गया था। पर्याप्त वित्तीय सहायता की व्यवस्था करके इस कम्पनी को एक विकास सक्षम एकक बनाने के पग उठाये जा रहे हैं। मैं० चार्टर्ड बैंक लिमिटेड कलकत्ता, को आवश्यक वित्तीय व्यवस्थायें करने के लिये प्रति-गारन्टी भेजी जा रही है। कम्पनी के पुनः प्रतिष्ठापन के लिये वित्तीय सहायतार्थ, इन्डस्ट्रियल-रिकन्एक्शन कारपोरेशन आफ इन्डिया, कलकत्ता के पास एक आवेदन-पत्र भी अनिर्णीत है। सरकार को, कम्पनी के सरकारी मनोनीत निदेशकों के विरुद्ध सामान्य प्रकृति के कुछ परिवाद भी प्राप्त हुये हैं।

Number of Fertilizer Plants in Public Sector and Private Sector and Taking over of the Plants in Private Sector

2629. Shri Hukamdeo Narain Yadav : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the number of fertilizer plants in public sector and private sector separately ; when and to whom licences for private sector fertilizer plants were given during the last three years and when the term of licences of existing plants is to expire ; and

(b) whether Government propose to take over private sector fertilizer plants and if so, by what time ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna): (a) Out of the 24 units engaged in the production of nitrogenous/complex fertilizers, 14 are in the public sector and 9 in private sector and one in the cooperative sector. In addition, there are 29 small units producing single superphosphate ; 4 of these are in the public sector and 25 in the private sector.

A statement giving requisite details of licences issued during the last three years is attached as 'Annexure'

(b) No, Sir.

Statement

Licences/Letters of intent issued to private sector during the last three years :—

Name of the party	Date of issue of licence/ letter of intent	Valid upto
1. Shri Ram Chemical Industries, Kota. (Letter of Intent) (for 2nd expansion of their existing unit of Kota)	28-1-1974	28-7-1977
2. Nagarjuna Fertilizers Limited (Letter of Intent) . .	30-1-1974	30-7-1977
3. Maharashtra Cooperative Fertilizres and Chemicals (Industrial Licence)	31-12-1975	31-12-1977
4. Gujarat Narmada Valley Fertilizer Company (Industrial Licence)	24-3-1977	24-3-1979
5. Kothari (Madras) Limited (Industrial Licence) .	24-5-1976	24-5-1978
6. Coromandel Fertilizers Limited (Letter of Intent) (for additional ammonia production)	21-5-1977	21-5-1978
7. M.P. Agro-Morarji Fertilizers Limited	20-6-1975	20-6-1978 (request for extension of validity under examination)
8. M.P. State Cooperative Marketing Federation .	7-8-1976	7-8-1978
9. Madhuvan Chemicals and Fertilizers (C.O.B. Licence) .	15-12-1976	This is a carrying-on Business Licence for a unit already in existence)

मैसर्स ब्लेज एडवरटाईजिंग प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई के विरुद्ध शिकायत

2630. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसर्ज ब्लेज एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई के विरुद्ध कोई शिकायत मिली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस एजेंसी ने हाल ही के लोक सभा चुनावों में प्रचार के लिये कांग्रेस को सहायता की थी ; और

(घ) इस कम्पनी के एकाधिकार को समाप्त करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हां, श्रीमान जी ।

(ख) शिकायत की गई थी कि ब्लेज एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया में निरत होने की जांच के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

(ग) यह पाया गया है कि मैसर्स ब्लेज एडवरटाइजिंग (दिल्ली) प्रा० लि०, नई दिल्ली का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नई दिल्ली के साथ देश के विभिन्न सिनेमा घरों में स्लाइडों और लघु फिल्मों और निदर्शन की प्रदर्शनी करने की व्यवस्था करने का करार हुआ था ।

(घ) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने पहले ही जांच गठित की है तथा उसकी कार्यवाहियां अभी अनिर्णीत हैं ।

बुक स्टाल वैंडरों द्वारा मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के मुख्य स्टाल के सामने धरना

2631. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्दर्न रेलवे बुक स्टाल वैंडर्स एसोसियेशन के सदस्यों ने 20 मई, 1977 को मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के मुख्य स्टाल के सामने धरना आरम्भ किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका विवाद निपट गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह धरना व्यापक भूख हड़ताल का रूप ले लेगा; और

(घ) यदि हां, तो विवाद को निपटाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

वर्ष 1977–78 के लिए उद्योग मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : मैं वर्ष 1977–78 के लिए उद्योग मंत्रालय के विस्तृत अनुदानों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 604/77]

पाकिस्तान में सेना द्वारा सत्ता संभालने के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : REPORTED TAKING OVER OF POWER BY ARMY IN PAKISTAN

Shri Yagya Datt Sharma (Gurdaspur) : In our subcontinent certain incident. have taken place in Pakistan and I had submitted an adjournment motion in that regard. which has been later withdrawn by me. However in view of the importance of the matter I would request the hon. Minister to give information to the House in this regard.

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकार इस बारे में वक्तव्य देना चाहे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि सदन में यह प्रश्न उठाया गया है इसलिए मैं इस बात की पुष्टि करना चाहूंगा कि पाकिस्तान रेडियो ने आज एक घोषणा में सैनिक प्रवक्ता द्वारा रावलपिंडी में जारी किए गए एक वक्तव्य को उद्धृत किया है कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेना ने आज सवेरे देश का प्रशासन अपने नियंत्रण में ले लिया है। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के शीर्षस्थ सभी नेता जिसमें भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री भुट्टो भी शामिल हैं और पी० एन० ए० के नेता "अस्थायी सुरक्षात्मक अभिरक्षा" में ले लिए गए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान में स्थिति सामान्य है और सभी जगह अमन-चन है।

यह तो ठीक है कि हम अपने पड़ोसी देश की घटनाओं में रुचि रखते हैं किन्तु मैं पुनः यह कहना चाहूंगा कि ये घटनाएं पाकिस्तान का अन्दरूनी मामला है। भारत ने सदैव ही दूसरे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का अनुसरण किया है । सदन को ज्ञात है कि कार्यभार ग्रहण करने के बाद से इस सरकार ने सार्वजनिक तौर पर इस बात की पुनर्पुष्टि की है कि उसकी नीति इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ अच्छी प्रतिवेशिता के सम्बन्ध बनाए रखने की है जिससे कि इस उपमहाद्वीप में शान्ति और स्थिरता बनी रहे ।

अनुदानों की मांगें, 1977–78
DEMANDS FOR GRANTS, 1977-78

रक्षा मंत्रालय—जारी

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : रक्षा दलों के लिए यह बड़े उत्साह की बात है कि उन्हें इस सभा के सभी वर्गों का पूर्ण समर्थन मिला है। इससे भी उत्साह की बात यह है कि उनकी सेवाओं की सदन में बहुत अधिक सराहना की गई है। हमारे रक्षा दल संसार के सर्वोत्तम

रक्षा दलों में से एक हैं। जब कोई अवसर आया है, तो उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए बड़े से बड़ा बलिदान दे सकते हैं। हमारी रक्षा नीति मुख्यतया हमारी विदेश नीति पर निर्भर है, परन्तु हमारी मूल रक्षा नीति देश के सम्मान और प्रभुसत्ता की रक्षा करना है। रक्षा दलों का लक्ष्य मातृभूमि की स्वतन्त्रता और सम्मान को बनाए रखना है। शायद भारत ही एक ऐसा देश है जिसने किसी को अधिकार में लेने के लिए कभी युद्ध नहीं किया।

पाकिस्तान ने हम पर कई बार आक्रमण किए परन्तु फिर भी हम पाकिस्तान से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। नेपाल के साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं। बर्मा तथा श्रीलंका के साथ हमारे सम्बन्ध मधुर हैं। हम हर देश से मित्रता बनाए रखना चाहते हैं।

बंगलादेश के निर्माण में हमने निर्णायक भूमिका निभाई थी तथा मुझे आशा है कि बंगलादेश के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम रहेंगे।

यह खुशी की बात है कि सभा के सभी वर्गों ने रक्षा मंत्रालय के लिए अधिक आबंटन करने की मांग की है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रक्षा मंत्रालय के आबंटन और व्यय का सम्बन्ध देश के कुल उपलब्ध संसाधनों से होता है।

यह एक गलत धारणा बन गई है कि रक्षा व्यय विकास कार्यों में नहीं लगता। ऐसा नहीं है। रक्षा व्यय का अधिकांश भाग विकास कार्यों में लगता है। जब भी देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक प्रकोप फैलते हैं, सशस्त्र दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसे गैर-विकास व्यय नहीं कहा जा सकता। यद्यपि विधि तथा व्यवस्था बनाए रखने में रक्षा दल सीधा हस्तक्षेप नहीं करते तथापि उन की मौजूदगी से ही विधि और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता मिलती है।

देश के औद्योगिक विकास के क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय के आयुध कारखाने और सरकारी उपक्रम महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। देश के समग्र औद्योगिक विकास के सन्दर्भ में उनके कार्य की समीक्षा की जानी चाहिए और इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आयुध कारखानों या सरकारी उपक्रमों में किया जा रहा काम मूल किस्म का है और इसने देश के उत्पादन में वृद्धि की है।

सशस्त्र सेना के अध्यक्ष को निदेश देने के बारे में प्रश्न उठाया गया है। यह भी सुझाव दिया गया है कि तीनों सेनाध्यक्षों के कार्यों के समन्वय हेतु एक सुपर चीफ होना चाहिए। मेरे विचार में इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने सेनाध्यक्षों की एक समिति बना रखी है और इन में से वरिष्ठतम सेनाध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करता है। इस प्रकार तीनों दलों के कार्य में समन्वय रहता है। इसके अलावा सेनाध्यक्षों की मंत्री के साथ साप्ताहिक बैठक होती है जिसमें मंत्रिमण्डल सचिव, रक्षा मंत्रालय सचिव तथा रक्षा उत्पादन सचिव भाग लेते हैं। सभा को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि निदेश देने का काम चाहे वह राजनीतिक स्तर पर हो या अध्यक्षों के स्तर पर हो, व्यवस्थित है और आपत तथा तात्कालिक स्थितियों में समय की कसौटी पर खरा उतरा है और इसलिए वर्तमान ढांचे में पविर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

[श्री जगजीवन राम]

सुपर चीफ बनाने के प्रश्न पर मंत्रालय में कई बार विचार किया गया है और यह विचार व्यक्त किया गया है कि तीनों अध्यक्षों के उपर सुपर चीफ बनाने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। यह भी हो सकता है कि इससे और पेचिदगियां पैदा हो जायें और निर्णय लेने में विलम्ब होने लगे। अतः सुपर चीफ बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था समय की कसौटी पर खरी उतरी है और उद्देश्य भी पूरा करने वाली है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि अब तक सशस्त्र दलों के सम्बन्ध में कुछ अनावश्यक गुप्तता रखी जाती है। हम इस में ढील देने का प्रयत्न कर रहे हैं और सदस्यों को अधिक सूचना दी जा रही है। यह प्रस्ताव किया गया है कि रक्षा दलों के अनुसंधान और उत्पादन क्षेत्र के कार्यों की सराहना करने के लिए संसद् सदस्यों के दल उत्पादन एककों एवं आयुध कारखानों में ले जाये जायें ताकि वे देख सकें कि वहां क्या हो रहा है। फिर भी हमें कुछ गुप्तता जरूर रखनी होगी। हम संसद् सदस्यों से गुप्तता नहीं रखना चाहते बल्कि जनता से गुप्तता रखना चाहते हैं, क्योंकि एक बार यदि कोई जानकारी जनता में फैल जाती है तो वह विदेशों में भी जा सकती है।

जैसा कि मैंने कहा है हम थल, जल और वायु सेना का आधुनिकीकरण करने का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। हमारी लगभग 57000 किलोमीटर लम्बी समुद्र सीमा है। दिगो गारसिया के कारण हिन्द महासागर का महत्व बढ़ गया है। यह खुशी की बात है कि कई राष्ट्रों ने कहा है कि हिन्द महासागर शान्ति का क्षेत्र होना चाहिए। हालात को देखते हुए हम अपनी नौसेना को मजबूत बना रहे हैं ताकि यह अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभा सके। इसमें सन्देह नहीं कि हमारी नौसेना के पास पुराने जहाज हैं। हम धीरे धीरे उनका प्रतिस्थापन कर रहे हैं। हमने अपनी गोदीयार्ड में कुछ जहाज़ बनाने की क्षमता पैदा की है और हम उन्हें बना रहे हैं।

इसी प्रकार हम इलैक्ट्रोनिक यन्त्र वाले हथियारों से सेना को मजबूत कर रहे हैं। हम वायु सेना को भी आधुनिक बना रहे हैं। लेकिन हमें यह सब काम वित्तीय संसाधनों की सीमा में रह कर करना पड़ता है। हम वायु सेना का भी आधुनिकीकरण कर रहे हैं। परन्तु यह निश्चित बात है कि भारत जैसे विकासशील देश में संसाधनों को रक्षा सेवा में तभी लगाया जाता है, जबकि ऐसा करना आवश्यक है।

पहले हिमालय को अजय समझा जाता था। परन्तु अब स्थिति बदल गई है। मसाइल तथा आधुनिक विमानों के विकास के बाद पहले वाली स्थिति नहीं रही है। इसलिए इस ओर भी हमारा पूरा ध्यान है।

रक्षा वैधशालाओं का युक्तियुक्तकरण किया गया है तथा कुछ सीमा तक उनका पुनर्गठन भी किया गया है। हमारे वैज्ञानिक कई क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं।

हमने थल सेना में विभिन्न स्तरों पर सेवा निवृत्ति की उम्र बढ़ा दी है। जवान की सेवा निवृत्ति की उम्र भी बढ़ा दी गई है। पेंशनों को भी उदार बनाया गया है। जवान के वेतन एवं उपलब्ध सुविधाओं में भी वृद्धि की गई है।

हम रक्षा सेवा से निवृत्त होने वाले सैनिकों के पुनर्वास के लिए भी कार्यवाही कर रहे हैं। हमने एक सरकारी आदेश द्वारा सरकार की तीसरी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में कुछ आरक्षण भी किए हैं। हमने राज्य सरकारों को भी इस प्रकार के आरक्षण करने के लिए कहा है। हमारा विचार सरकारी उपक्रमों में कुछ आरक्षण करने का भी है।

जब मैं इस मन्त्रालय का प्रभारी था तब मैंने एक प्रणाली शुरू की थी और वह यह थी कि जब भी सैनिकों को कार्य निवृत्त किया जाए तो उन्हें किसी कला या शिल्प में प्रशिक्षण दिया जाए ताकि यदि कार्य-निवृत्त होने के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिलती तो वे छोटी मोटी पूंजी लगा कर स्वयं काम शुरू कर सकें ।

सेवा-निवृत्त सैनिकों के लिए आत्म-रोजगार के तथा अन्य अवसर पैदा करने की सम्भाव्यता का पता लगाने के लिए एक अध्ययन दल गठित किया गया था । उसका प्रतिवेदन मिलने पर हमें सेवा निवृत्त सैनिकों के पुनर्वास के लिए आगे कार्यवाही करना सम्भव होगा ।

आपात स्थिति के दौरान सरकारी उपक्रमों और आयुध कारखानों के कई कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी। मैंने अपने मन्त्रालय का कार्यभार सम्भालते ही ये आदेश दिए कि संदेहास्पद मामलों, नौकरी से हटाने या निकालने के मामलों की शीघ्र समीक्षा की जाए और इस दिशा में कार्यवाही शुरू की जा चुकी है ।

जहां तक पेंशन अदायगियों का सम्बन्ध है, यह सही है कि कुछ क्षेत्रों में पेंशन-भोगियों को पेंशन प्राप्त करने के लिए लम्बा सफर तय करना पड़ता है । मैंने सुझाव दिया है कि जो अपनी पेंशन मनीआर्डर द्वारा मंगवाना चाहते हैं उन्हें यह सुविधा दी जाए और 100 रुपये तक के मनीआर्डर पर कमीशन न ली जाए । इसका खर्चा सरकार वहन करेगी ।

जहां तक सैनिक स्कूलों का सम्बन्ध है, उनको ऐसे छात्र तैयार करने के लिए बनाया गया था जो खड़गवासला जा सकें और सशस्त्र दलों में भर्ती हो सकें । ये स्कूल सोसाईटियों द्वारा चलाए जाते हैं और उनके वेतनमान इन सोसाईटियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं । मैं स्वयं यह महसूस करता हूं कि इन वेतनमानों की समीक्षा और इनमें संशोधन करने की आवश्यकता है ।

हमारी सशस्त्र सेना में भर्ती स्वैच्छिक है । सशस्त्र सेना में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता । लड़ाकू जातियों एवं गैर-लड़ाकू जातियों का भेदभाव पहले समाप्त किया जा चुका है । लेकिन ऐतिहासिक कारणों से ऐसी रेजीमेंट है जहां शत प्रतिशत भर्ती विशिष्ट वर्गों एवं जातियों के लिए आरक्षित की जाती है । फिर भी यह आरक्षण केवल थल सेना में है, वायु सेना या नौ सेना में नहीं ।

राष्ट्रीय कैडेट कोर एक महत्वपूर्ण संगठन है । यह स्वैच्छिक है । कुछ समय पूर्व इसे अनिवार्य बनाया गया था और यह पाया गया कि छात्रों ने इसके प्रति विरोध प्रकट किया है । राष्ट्रीय कैडेट कोर का पुनर्गठन करने के लिए पुणे विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० महाजनी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई । उन्होंने अपना प्रतिवेदन दे दिया है जिसमें यह सिफारिश की गई है कि इस कोर को अधिक उपयोगी तथा प्रभावशाली बनाने के लिए इसका पुनर्गठन आवश्यक है और पुनर्गठन की प्रक्रिया के दौरान, कुछ कमी करनी होगी । वस्तुतः जब मैंने मंत्रालय का कार्यभार संभाला तो प्रत्येक राज्य में काफी लोगों की छंटनी करने के आदेश दे दिए जा चुके थे । मैंने स्वयं मामले की जांच करने तक छंटनी का कार्य रुकवा दिया ।

जहां तक 'प्रोजेक्ट' का संबंध है, यह प्रोजेक्ट प्रक्षेपास्त्र प्रणाली में क्षमता का विकास करने के लिए शुरू किया गया था । इस परियोजना की समीक्षा विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के निदेशक, डा० ब्रह्म प्रकाश की अध्यक्षता में हुई समिति द्वारा की गई थी । समिति ने निष्कर्ष में

[श्री जगजीवन राम]

कहा कि चूंकि यह परियोजना तसल्लीबख्श तरीके से तरक्की कर रही है, अतः परियोजना को पूरा होने दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

THE CUT MOTIONS WERE PUT AND NEGATIVED

अध्यक्ष महोदय द्वारा रक्षा मंत्रालय की वर्ष 1977–78 के सम्बन्ध में अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

THE FOLLOWING DEMANDS FOR GRANTS IN RESPECT OF MINISTRY OF DEFENCE WERE PUT AND ADOPTED : —

मांग संख्या शीर्षक	राशि	
	राजस्व रु०	पूंजी रु०
22. रक्षा मंत्रालय	48,69,19,000	28,41,37,000
23. रक्षा सेवाएं—सेना . .	1184,09,95,000	—
24. रक्षा सेवाएं—नौ-सेना . .	124,96,29,000	—
25. रक्षा सेवाएं—वायु सेना . .	374,20,47,000	—
26. रक्षा सेवाएं—पेंशन . .	174,30,03,000	—
27. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय .	—	172,98,02,000

अनुदानों की मांगें, 1977–78

DEMANDS FOR GRANTS, 1977-78

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND DEPARTMENT OF CULTURE

अध्यक्ष महोदय : सभा में अब शिक्षा और समाज कल्याण के सम्बन्ध में मांग संख्या 28 से 30 पर और संस्कृति विभाग के सम्बन्ध में मांग संख्या 102 और 103 पर चर्चा तथा मतदान होगा, जिसके लिये 7 घंटे का समय नियत किया गया है । श्री हितेन्द्र देसाई ।

श्री हितेन्द्र देसाई (गोधरा) : हम शिक्षा को केवल राजनीतिक या पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से नहीं देखते, बल्कि विदेश कार्यों तथा रक्षा की तरह हम इस महत्वपूर्ण विषय से संबंधित व्यापक नीतियों एवं कार्यक्रमों पर मतैक्य चाहते हैं ।

शिक्षा के महत्व को देखते हुए मंत्री महोदय को इसके लिए अधिक आवंटन के लिए जोर देना चाहिए और हम उनकी मांग का पूरा समर्थन करेंगे ।

खेद की बात है कि प्रारंभिक शिक्षा पर बहुत कम धन व्यय किया गया। चौथी योजना में शिक्षा आवंटन का 31 प्रतिशत भाग प्रारंभिक शिक्षा पर व्यय किया गया। सौभाग्यवश पांचवीं योजना में इसे 41 प्रतिशत कर दिया गया। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है और अधिक से अधिक राशि प्रारंभिक शिक्षा पर व्यय की जानी चाहिए।

जहां तक प्रौढ़ शिक्षा का संबंध है, दुर्भाग्यवश स्वतन्त्रता प्राप्ति के 30 वर्ष बाद भी देश में 70 प्रतिशत से अधिक लोग निरक्षर हैं। सरकार प्रयास करे कि युवा लोगों के लिए प्रयास किए जाएं और इस उद्देश्य के लिए हमें प्रारंभिक शिक्षा पर बल देना होगा। व्यस्क शिक्षा अभियान शुरू करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों, अध्यापकों एवं छात्रों को लगाने का वातावरण तैयार करना चाहिए तभी इस समस्या का हल संभव हो सकेगा।

संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि सभी राज्य 10 वर्षों के भीतर 14 वर्ष से कम आयू वाले बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयत्न करेगी। यह अवधि पूरी हो चुकी है। अधिकांश राज्यों ने इस ओर प्रयास किया है और यह भी सच है कि स्कूलों में भर्ती के मामले में काफी प्रगति हुई है। लेकिन हमें भर्ती से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि भर्ती एवं उपस्थिति दोनों एक नहीं हैं। अधिकांश गांवों में उपस्थिति बहुत कम होती है। इसके अतिरिक्त छात्र परीक्षा में भी नहीं बैठते। अतः हमें इस बारे में भी सावधान रहना होगा।

शिक्षा मंत्री ने व्यापक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के बारे में कुछ घोषणाएं की हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री बनते ही 10+2+3 पद्धति पर अपने विचार व्यक्त किये थे। क्या मंत्रालय इस पद्धति में परिवर्तन करने पर विचार कर रहा है या कोई नए सुधार कर रहा है क्योंकि पाठ्यक्रम की जांच करने के लिए एक नई समिति बनाई गई है। शिक्षा मंत्री इस बात को स्पष्ट करें।

जहां तक विश्वविद्यालय शिक्षा का संबंध है, हम जानते हैं कि विश्वविद्यालयों में क्या स्थिति है। विश्वविद्यालय ज्ञान-केन्द्र बनने की बजाए हड़तालों एवं घेरावों के केन्द्र बन गए हैं। विश्वविद्यालयों के प्रशासन के बारे में भी शिकायतें मिली हैं और छात्रों ने भी यह शिकयत की है कि एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय जाने के लिए उन्हें कठिनाई होती है। विश्वविद्यालय प्रशासन की सम्पूर्ण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।

महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए गुजरात विद्यापीठ की स्थापना ब्रिटिश के विरुद्ध शिक्षा की वैकल्पिक पद्धति तैयार करने के लिए की गई थी। लेकिन उस विश्वविद्यालय में कोई नहीं हो रहा। गत 20–25 दिनों से अध्यापकों एवं छात्रों की कुछ गतिविधियां जारी हैं और 3 या 4 दिन पूर्व ही विद्यापीठ के प्रबन्धकों से विद्यापीठ को बन्द कर दिया है। छात्रों एवं अध्यापकों से ऐसी रिपोर्ट मिली है कि विद्यापीठ में पुलिसमैन तैनात कर दिए गए हैं। यह एक गम्भीर मामला है और विश्वविद्यालय के 450 छात्रों का अविष्य खतरे में है। शिक्षा मंत्री यह बताएं की विद्यापीठ के बारे में क्या किया जा रहा है।

यदि सरकार शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना चाहती है तो उसे समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। हम जानते हैं कि कई लोग निर्धनता के स्तर से नीचे रह रहे हैं। अतः शिक्षा मंत्री द्वारा यह घोषणा करना आवश्यक है कि समाज के कमजोर वर्गों एवं निर्धनता के स्तर से नीचे रहने वालों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।

मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह मेरी कुछ बातों का स्पष्टीकरण दें।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुये :

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
29	17	श्री पी० राजगोपाल नायडू	शिक्षा पद्धति में अनावश्यक परिवर्तन करके लोगों को बारबार परेशान करना ।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिए जाए
,,	18	,,	अपर प्राइमरी स्कूलों में तेलुगू तथा हिन्दी पण्डित नियुक्त करने के लिये राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने में असफलता ।	,,
,,	19	,,	विश्वविद्यालयों में काफी समय तक रिक्त पड़े लेक्चरारों के पद भरने में असफलता ।	
,,	20	,,	सस्ती पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करने में असफलता ।	,,
,,	21	,,	गैर-औपचारिक शिक्षा (प्रौढ़ शिक्षा) पर ध्यान देने की आवश्यकता ।	,,
,,	22	,,	आंध्र प्रदेश राज्य में हिन्दी के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
,,	11	श्री शिब्बन लाल सक्सेना	शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत धन की अपर्याप्तता	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए
,,	12	,,	विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध कालेजों में छात्रों के लिए अपर्याप्त अनुदान	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
29	13	श्री जी० एम० बनातवाला	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक स्वरूप पुनः बनाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिए जाए
,,	14	,,	महाराष्ट्र सरकार को राज्य में विश्वविद्यालय शिक्षकों को उसके द्वारा उन पर अमानवीय शर्तें लगाये बिना विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के वेतनक्रम देने के लिये राजी करने में और इस प्रकार शिक्षकों के साथ विवाद हल करने में असफलता ।	,,
,,	23	श्री पी० राजगोपाल नायडू	मैट्रिकोत्तर हिन्दी अध्ययन के लिये गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति बढ़ाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिया जाए
,,	24	,,	आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालयों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
,,	25	,,	आंध्र प्रदेश में एक तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता ।	,,
,,	26	,,	ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों कोमोटरों की री-वाइंडिंग, पम्पसेटों, पावरट्रेशर्स तथा कृषि औजारों की मरम्मत का और अन्य ग्रामीण उद्योगों का प्रशिक्षण देने के लिये औद्योगिक विद्यालय चलाने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौति की राशि
29	27	श्री पी० राजगोपाल नायडू	अनेक नेहरू युवक केन्द्रों में युवा को आर्डीनेटर नियुक्त करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिये जाएं
,,	28	,,	देश में खेलों का विकास करने की आवश्यकता ।	,,
,,	29	,,	अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारी खेल-कूद टीमों की असफलता ।	,,
30	30	,,	नेत्रहीनों, बहरों, मांनसिक रूप से पिछड़े हुए लोगों और विकलांगों की संस्थाओं की संख्या बढ़ाने में सफलता ।	,,
,,	31	,,	कार्यशील महिलाओं के होस्टलों के लिये स्वयंसेवी संगठनों को दी जाने वाली सहायता बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
,,	32	,,	परिवार तथा शिशु कल्याण के लिये अधिक राशि का नियतन करने की आवश्यकता ।	,,
,,	33	,,	बाल-बाड़ी पोषण कार्यक्रम के लिये अनुदान बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
,,	34	,,	विकलांगों को कृत्रिम अंग सप्लाई करने में असफलता ।	,,
,,	35	,,	देश भर में निराश्रित महलिाओं की सहायता करने की आवश्यकता ।	,,
28	36	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	उपनिवेशवाद की देन कुख्यात "पब्लिक स्कूलों" को समाप्त करने के लिये कदम उठाने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
28	37	श्री सी०के० चन्द्रप्पन	गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं में छात्रों और अध्यापकों के हितों की रक्षा करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए
	38	,,	अध्यापकों को पूर्ण शिक्षा सम्बन्धी स्वतन्त्रता और छात्रों को लोकतंत्रात्मक अधिकार देने में असफलता ।	,,
;;	39		परीक्षा प्रणाली में वैज्ञानिक और अर्थपूर्ण सुधार लाने में असफलता ।	,,
,,	40	,	ऐसी पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में असफलता जो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था रखने वाली नयी युवा पीढ़ी के निर्माण में सहायक सिद्ध हो ।	,,
,,	41	,,	हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसी साम्राज्यवादी घुसपैठ को जो हमारी युवा पीढ़ी को वैचारिक और राजनीतिक रूप से प्रभावित करे, रोकने में असफलता ।	,,
,,	42	,,	भारत में विश्वविद्यालयों में सी० आई० ए० की गतिविधियों को रोकने में असफलता ।	,,
,,	43	,,	शिक्षा में निश्चित प्राथमिकताएं निर्धारित करने में असफलता ।	,,
,,	44	,,	हमारे लोगों को साहित्य में हमारी समृद्ध विरासत से अवगत कराने हेतु विभिन्न भारतीय	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
			भाषाओं से पुस्तकों के अनुवाद की व्यवस्था करने में असफलता ।	
28	45	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	हमारे विश्वविद्यालयों के कैम्पसों और अन्य शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की घुसपैठ को रोकने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
,,	46	,,	प्रत्येक राज्य में विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान देने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपये कम कर दिए जाएं ।
,,	47	,,	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में गैर-शिक्षक कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
,,	48	,,	शिक्षकों को "पब्लिक स्कूलों" के प्रबन्धकों के शोषण और उत्पीड़न से बचाने की आवश्यकता ।	,,
,,	49		देश में गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता ।	,,
,,	50		निरक्षरता का मुकाबला करने और उसे समाप्त करने की योजना में लोगों को पूरी तरह शामिल करने की आवश्यकता ।	
30	51		"महिलाओं के स्थान" सम्बन्धी प्रतिवेदन में की गई विभिन्न सिफारिशों को शीघ्र क्रियान्वित करने में असफलता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की रशि
30	52	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	विकलांग छात्रों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिए जांए
28	56	श्री ए० ई० टी० बैरो :	व्यावसायिक दृष्टि को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए शिक्षा की 10+2 प्रणाली की समीक्षा करने की आवश्यकता	,,
28	57	,,	ग्रामीण और शहरी स्कूलों के लिये विभिन्न पाठयचर्या, पाठयक्रम और परीक्षा ।	,,
,,	58	,,	सरकारी पदों पर भर्ती के लिये कम शैक्षिक योग्यतायें और आयु-सीमा निर्धारित करना ।	,,
,,	59	,,	केन्द्रीय सरकार का निर्णय जिसके अनुसार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को अपनी परीक्षा के परिणाम ग्रेडों के स्थान पर अंकों में निकालने के लिये कहा गया है ।	,,
28	68	श्री पी० जी० मावलंकर :	देश में शिक्षा के प्रभावी प्रसार और उचित विकास के लिये बजट तथा योजना के नियतनों में काफी वृद्धि करने की आवश्यकता ।	,,
28	69		शिक्षा मंत्री को मंत्रिमंडल तथा सरकार के सभी निर्णय लेने वाले और प्रमुख नीति निर्धारण प्राधिकरणों में सम्बद्ध करने की आवश्यकता ताकि देश के आर्थिक तथा भौतिक विकास में मानवीय पहलू के पोषण	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
			तथा निर्माण की निरन्तर आवश्यकता को भली प्रकार पूरा किया जा सके।	
28	70	श्री पी० जी० मावलंकर	संवैधानिक आवश्यकता के अनुसार 5 से 14 वर्ष तक के सभी बालक, बालिकाओं को अनिवार्य, निःशुल्क तथा आवश्यक शिक्षा दिलाने की गति तेज करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिये जायें।
,,	71	,,	शिक्षा सम्बन्धी कोठारी आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों की दृष्टि से शैक्षिक प्रयासों तथा गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	72	,,	केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधिकतम वित्तीय समर्थन किन्तु न्यूनतम प्रशासनिक हस्तक्षेप की सहायता से अधिकतम सर्वांगीण शैक्षिक प्रयास को बढ़ावा देने वाली शिक्षा की साहसिक, कल्पनाशील तथा जोरदार राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	73	,,	व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा स्वतः और स्वयंसेवी शैक्षिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता जिससे भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी।	,,
,,	74	,,	देश में प्रत्येक प्राथमिक स्कूल शिक्षक को अच्छा न्यूनतम वेतन देने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
28	75	श्री पी० जी० मावलंकर	माध्यमिक स्कूलों के कार्यकरण का, शिक्षा की किस्म-सुधार के लिये प्रयोगों के उनके कार्यक्रमों सहित, नियमित मूल्यांकन करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रु० कम कर दिये जाये।
,,	76	,,	देश भर में 10+2 स्कूल प्रणाली का बुद्धिमत्तापूर्वक तथा सच्चे मन से क्रियान्वयन करने की आवश्यकता।	तदेव
,,	77	,,	माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिये उचित वेतनमानों की आवश्यकता।	,,
,,	78	,,	कालेजों तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों को सेन समिति के वेतनमान देने की आवश्यकता।	,,
,,	79	,,	देश में स्वस्थ, स्फूर्त, स्वतंत्र, निर्बाध और आलोचनात्मक शैक्षिक विश्वविद्यालयों की आवश्यकता।	,,
,,	80	,,	कालेजों और विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतनमान बढ़ाने की आवश्यकता।	,,
,,	81	,,	देश की उच्चतर तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की तदर्थ प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता।	,,
,,	82	,,	भारत में शैक्षणिक निकायों में सभी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप तथा उनके द्वारा उन संस्थाओं पर नियंत्रण समाप्त करने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
28	83	श्री पी० जी० मावलंकर	मेधावी तथा सामान्य छात्रवृत्तियां बढ़ाने की आवश्यकता ताकि आर्थिक रूप से गरीब किन्तु शैक्षिक रूप से धनी छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई न हो।	राशि में से 100 रु० कम कर दिये जाय।
,,	84	,,	शिक्षकों और छात्रों की शैक्षिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करने की आवश्यकता।	,,
,,	85	,,	शिक्षकों और छात्रों को सख्त और कृत्रिम आचरण संहिता तथा अनुशासन में बांधने के सभी जटिल तथा अनुचित नियमों तथा परम्पराओं को समाप्त करने की आवश्यकता।	,,
,,	86	,,	समाज शिक्षा और लोगों के उत्थान के समग्र विकास में लगी विख्यात स्वयंसेवी एजेन्सियों तथा गतिविधियों को दिये जाने वाली वित्तीय अनुदानों तथा सहायता में काफी वृद्धि करने की आवश्यकता।	,,
,,	87	,,	शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा सुविधाओं की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता।	,,
102	1	श्री सी० के० चन्द्रप्पन :	युवा कलाकारों की प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिये पर्याप्त अवसर प्रदान करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
102	5	श्री पी० जी० मावलंकर	कला और संस्कृति के विकास के लिए कलाकारों और जानी-मानी अच्छी संस्थाओं को ठोस वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपए कम कर दिये जाएं।

प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना : (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि वह 10+2+3 प्रणाली की जगह 10+2+2 प्रणाली चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने सारे विषय पढ़ाने की बजाय अच्छा होगा यदि गणित, विज्ञान आदि विषय पढ़ाए जाएं। आशा है कि शिक्षा मंत्रालय इसका अनुसरण करेगा सोवियत संघ में सातवें वर्ष तक शिक्षा निःशुल्क है। हमें भी अपने पाठयक्रम को बदलना चाहिए। नर्सरी में 3 महीने से लेकर 3 वर्ष तक, किंडरगार्डन में 4 वर्ष से ले कर 7 वर्ष तक और स्कूलों में वर्तमान पद्धति की बजाय 10 वर्ष तक रहना चाहिए। हमें बेकार सामग्री को हटाकर और आधुनिक विषयों का समावेश करके थोड़े वर्षों में अधिक कोर्स करा सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे पाठ्यक्रम में गणित और विज्ञान को उचित महत्व प्राप्त हो। शिक्षा के लिए 180 करोड़ रुपये का आवंटन ऊंट के मूंह में जीरा देने के समान है। यदि सरकार शिक्षा को वास्तव में सार्थक बनाना चाहती हैं तो इसे पुरी वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। 180 करोड़ रुपये की अल्पराशि से यह उद्देश्य हल नही हो सकता। उन्होंने 70 करोड़ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आवंटित किए हैं। सम्बद्ध कालेजों जिनमें 90 प्रतिशत विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं, को केवल 3 अथवा 4 करोड़ रुपया मिलता है और विश्वविद्यालयों को 35 करोड़ रुपये मिलते हैं। अतः उचित वितरण किया जाना चाहिए। सम्बद्ध कालेजों को अधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं तथा उनके विकास के लिए अधिक धन देना चाहिए शिक्षा सम्बन्धी बजट में दस गुनी वृद्धि की जानी चाहिए।

यह बहुत दुःख की बात है कि हमारे विश्वविद्यालय राजनीतिक शत्रुता और राजनीतिक होड़ के केन्द्र बन गए हैं। इस सम्बन्ध में बहुत कड़े उपाय किए जाने चाहिए ताकि विश्वविद्यालय राजनीतिक शत्रुता के केन्द्र न बनें।

सोवियत संघ में शिक्षा के दस वर्षों में, 7वें वर्ष से 16वें वर्ष तक छात्र को जीवन में किसी भी व्यवस्था में जाने के लिए सक्षम बनाया जाता है। उसे आधुनिक विज्ञान, अंकगणित ज्योमिती आदि पढ़ाए जाते हैं। आशा है कि पाठयक्रम में संशोधन किया जाएगा। यह सोचना गलत है कि छात्र इन सब विषयों को समझ नहीं पाते। सत्य तो यह है कि शिक्षक ही उन्हें नहीं पढ़ाना चाहते। मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक विषयों को पढ़ाने के लिए सक्षम शिक्षक नियुक्त किए जाएं।

विश्वविद्यालयों की तुलना में स्कूलों और सम्बद्ध कालेजों में शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। विश्वविद्यालय में शिक्षक छात्र का अनुपात 1:11 है और सम्बद्ध कालेजों में 1:15 है। यह ठीक नहीं है। स्थिति में सुधार करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि अध्यापकों का वितरण युक्तिसंगत हो और धन का अपव्यय न हो।

Shri Om Prakash Tyagi(Bahraich) : So far as our present educational system is concerned, adequate attention has not been paid to build up the charactor of human being as such. Our educational institutions have failed so far in caring out integrated personalities. Our educational system should be so restructured that it contributes to develop human qualities in a man. It should have full scope for spiritual growth along with intellectual development. Emphasis should be laid on the development of human qualities in the students.

The present educational system in our country was started by British authorities to meet their requirements of clerks and other officials. It was without any ideal or goal as such and as a result, there is today an army of unemployed educated youths in the country and it is on the increase. Our educational institutions have not paid adequate attention to this aspect.

In regard to the new educational system of 10+2+3, it appears that Government have not given full thought to it though they have initiated a step in the direction of vocational

[Shri Om Parkash Tyagi]

education. The result is that a student at the level of first examination has been over-burdened with too many subjects. Governments should reduce the number of subjects at this stage.

It appears that in regard to formulation of our educational policy, there is no coordination with other concerned Ministries. A scheme of mass education should be drawn up with a view to making the entire country literate. About 70 per cent of our countrymen are illiterate and nothing has been done during the last thirty years to remove illiteracy from the country.

There are several Commercial educational institutions in the country which exploit students and award bogus certificates. to them. Such institutions should be banned so that they might not indulge in economic exploitation of students.

The institutions of public schools which highlight disparity between rich and poor, should be closed down.

The U.G.C. has been giving financial assistance to such institutions as smacked of narrow communalism Government should make a rule that such institutions will not be given any financial assistance. Government should not even recognise such institutions.

As regards social welfare nothing has been done so far to root out social evils like, untouchability, narrow communalism and the use of intoxicants. The legislation has been enacted with a view to preventing child marriage and dowry systtem, but no action has been taken against anybody so far under this legislation. The Minister of Education should initiated a fresh legislation making these offences cognisable offences.

Prohibition should be made Central subject and the legislation in regard to it should be made uniformly applicable to all States.

श्री ओ० वी० अलगेशन (अर्कोनम) : प्राय: यह कहा जाता है कि जो लोग शिक्षा का कार्यभार संभालते हैं, वे प्राय: शिक्षा प्रणाली में फेर-बदल करते रहते हैं । वे किसी एक प्रणाली को स्थायी रूप से नहीं रहने देते जिसके फलस्वरूप छात्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है । और वे असमंजस में पड़े रहते हैं । शिक्षा स्थिर नहीं हो सकती है । हमें समाज की परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप इसे ढालना पड़ता है । शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा विषयों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना ही पड़ता है । आशा है कि मंत्री महोदय शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के प्रति एक पूर्ण संतुलित दृष्टिकोण अपनायेंगे ।

हम नई सरकार की शिक्षा नीति क्या है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। मंत्री महोदय को बताना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति हैं, क्योंकि इस संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है ।

अतीत में एक अखिल भारतीय शिक्षा सेवा बनाने के लिए कुछ प्रयास किए गए थे। यदि शिक्षा मंत्री देश में एकता लाने के उद्देश्य से एक अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का बनाया जाना आवश्यक समझते हैं तो यह एक स्वागत योग्य कदम होगा । राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तीन सूची फार्मूले का भी उल्लेख किया गया है जो सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकल्प में दिया गया थां । संकल्प में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक पांच वर्षों के बाद कार्य की समीक्षा की जाये । मैं यह जानना चाहता हूं कि इसे व्यावहारिक रूप में कैसे लाया जा रहा है । क्या किसी राज्य में ईमानदारी से इस त्रिसूत्रीय फार्मूले का कार्यान्वयन हुआ है ? मातृभाषा को पूर्ण मान्यता दी गई है और प्रथम भाषा के रूप में यही भाषा सिखाई जाती हैं । फिर अंग्रेजी को दूसरा स्थान दिया गया है । हिन्दी या अन्य भारतीय भाषा को दूसरा स्थान प्राप्त नहीं है । अत: सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए और एक यथार्तवादी फार्मूला बनाया जाना चाहिए ।

जहां तक 10+2+3 पद्धति को आरम्भ करने का संबंध है, इससे पहले इसकी समीक्षा करवा लेना बेहतर होगा। 10+2+3 प्रणाली को लागू करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् ने जो पाठ्यक्रम तैयार किया है, उसकी समीक्षा के लिए एक समिति बनाई गई है, वह स्वागत योग्य काम है। पाठयक्रम के बोझ को हल्का किया जाना चाहिए और शिक्षा के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों तथा अधिक कार्य अनुभव के लिए एक उपबंध किया जाना चाहिए।

शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयास स्वागत योग्य है। यदि बच्चों के माता पिता मिलकर एक संस्थान खोलना चाहते हैं, और अपने बच्चों को स्वयं पढ़ाना चाहते हैं तो सरकार उन्हें ऐसा करने की अनुमति क्यों नहीं देती ? शिक्षा के क्षेत्र उदाहरणार्थ पोलीटेक्निक और इंजीनियरिंग में निजी प्रयास की अनुमति दी जानी चाहिए।

जमा 2 के स्तर पर व्यवसायिकरण का उल्लेख किया गया है। इससे उन विद्यार्थियों जिनके परिवारों के लोग पढ़े लिखे नहीं है, के मन में यह संदेह है कि उन्हें व्यवसाय में लगा दिया जायेगा। और वे कालेजों की शिक्षा से वंचित रह जायेंगे। उनके मन से यह संदेह निकाल दिया जाना चाहिए।

तमिलनाडु के तंजौर जिले के सरस्वती महल ग्रंन्थालय, जो कि एक महत्वपुर्ण संस्थान है, को निकट भविष्य में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के लिए एक विधान पेश किया जाना चाहिए।

Shrimati Mrinal Gore : (Bombay North) : If we really want to make education an effective instrument for creating social system based on human freedom and social justice we will have to expand educational opportunities to our people. But it is regrettable that during the last 20 years while the allocation for higher secondary education increased from 15 to 20 per cent, the allocation made for primary education came down from 32 to 20 per cent. This must be looked into. It is a well known fact that nothing has been done to educate the children of poorer sections of the society. This fact has been admitted by Education Ministry also. So my submission is that steps should be taken to educate the children in the lowest strata of our society.

My other submission is that our programme for adult education too has not been a success. More than 40 crores of people are uneducated in this country but no positive steps have been taken by our Government during the last 30 years for promotion of adult education. On the other hand we see that China has made a Commendable success in the field of adult education. So, now it is high time for taking steps to organise literacy campaign and increase literacy.

In our country, two types of schools are functioning. On one hand we are having public schools whose benefit is being taken by a few privileged people. Only the students of these schools succeed in getting admission in engineering and other institutions. They get better jobs, On the other hand we find the students of primary schools who fail to get admission in good colleges. Consequently later on the students of those schools also fail to get good jobs. That way public schools are breeding disparity. These institutions are also helping in creating a class distinction. So if we are really keen to built a society based on justice and equality, steps must be taken to abolish these public schools. If we are keen to instil a feeling of patriotism and social justice we will have to lay more emphasis on elementary education. This should be our sincere endeavour to make the elementary education uniform for all children irrespective of their status I am pained to point out that we have failed to achieve the true aims of education. Many Commissions and Committees have been set to go into the question of our education system. But nothing worthwhile has come up.

There are a number of research centres and similar institutions in the country which are working under this Ministry. Now according to some latest research we have adopted 10 plus 2 system of education. As far as theory part of this system is concerned, it has promised vocational training after passing matric stage. It appears to be something good. But the fact remains that very few such vocational institutions have been opened. So this be looked into. More emphasis must be laid on vocational system of education so that students can be made capable of earning their livelihood as soonas they come out of schools. So what I want to emphasis is that our vocational system of education must be intricately linked with planning.

[Shrimati Mrinal Gore]

That way we will be able to provide employment to our students. The various institutions of Education Ministry are not functioning properly. Their functioning must be looked into. A similar institution which functioned and Education Ministry is responsible for preparing 'Time Capsule'. So necessary steps must be taken for improving the functioning of such like institutions.

The object of national integration can also be achieved through education. For achieving this goal, we must learn other languages of the country. This can be done during summer vacations by sending children from one state to another. This sort of practice may help a lot in achieving the object of national integration.

I am sorry to point out that today there is lot of discontentment among our students. The main reason for this dissatisfaction is that corruption and other mal practices are rampant in many colleges and universities. Effective steps must be taken to eliminate corruption from our educational institutions.

Lastly I may point out that even today the position of women in our society is not very good. No proper education is being given to girls. They are being ignored. This aspect must be looked into by the Janata Government. We must bear in mind that only good education can make them good house wives and educated mothers. Arrangements should also be made to give them proper education.

Shri Bhagat Ram (Phillaur) : Sir, today our education system is confronted with serious crisis for which the former Congress Government is fully responsible. During the last 30 years our country has moved towards capitalism and the sanctity and freedom of educational institutions has been destroyed. I am sorry to point out that during all these years our system of education has not changed to meet the demands of changing times. It is still continuing to produce clerks and Government servants. It is a matter of pity that although a number of changes in the system and procedure of education were suggested from time to time by our experts, but not was capable of meeting the requirements of our people. The main reason for this is that our approach towards education was thoroughly bureaucratic. Unless Janata Government changes this approach, the educational system cannot be effective.

Shri M. Satya Narayan Rao *in the chair*
श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए

The present allocation for education appears to be inadequate to meet the growing requirements of our education system. I feel that more funds be provided for the purpose.

My other submission is that the private schools and private educational institutions in the country rae working purely on commercial basis. They are exploiting the students and as well as teachers. It is high time that the Government may investigate the functioning of such institutions and if need be, they should be taken over by the Government.

I am pained to point out that Public schools and Model Schools are breeding class conscious society. These schools are primarily ment for a few priviliged people. It is be ensured by this Government that no discrimination was practised in the matter of education. It is my strong conviction that all public schools should be abolished.

The system of 10 plus 2 plus 3 is not serving any useful purpose. It is my contention that the system is causing unnecessary burden to the students. So feel that it should be discontinued. Similarly my other submission is that medium of instruction should be the mother tongue of the child. The number of scholarships available for Harijan students is inadequate and it sould be increased.

Lastly my submission is that our educational institutions must be made free from politics and corruptoin. There are certain Vice Chancellors against whom serious corruption charges have been levelled. These charges should be thoroughly investigated and action should be taken against those who are found to be corrupt. Attempts should be made to ensure that all our educational institutions function democratically. Lastly I may submit that if Janata Government failed to hold its promises, then people will not tolerate it.

Shri Janeshwar Mishra Allahabad : Sir, our present education system is completly crippled and despite all my sympathies, I doubt if Janata party will succeed in doing something concrete in this regard. I recollect the days of our freedom struggle. At that time Gandhiji said that when English people will leav India, we will structural changes in our educational system. But it is regrettable that even after 30 years of our independence, we have not succeeded in developing a national language of our own. English is still holding a dominating position. It is a sad commentary on this state of affairs. The education should be imparted in the mother tongue of the child.

It is my conviction that there should be no discrimination in respect of providing education to our children. Now-a-days there are two types of schools are functioning in our country *viz* public schools meant for rich and corporation schools meant for poor. It should be ensured by the Government that there should be uniform education for all. It has been rightly demanded by my other friends that public schools meant for privileged children should be abolished.

The age of attaining maturity in our country is 18 years. After attaining 18 years of age, a man can enter army. He can marry also. But it is strange that he cannot exercise his franchise. So I want to urge upon the Government that age for exercising franchise should be reduced to 18 years.

Now I would like to say something about Universities. My first submission is that Aligarh University statute passed by the previous Government needs modification because it affects the sentiments of Muslims. Similarly, the affairs of Kashi University need a thorough probe This university has become a centre for anti-social elements. At times it has been used for political purposes. So it must be looked into.

Just a short while ago, I referred to the two types of primary education institutions. To safeguard the interests of privileged class peoples children our Government planned a different type of University. Later on a proposal came for setting up Jawahar Lal Nehru University. Huge money has been pumped into this university. In this University there are only 1500 students while the number of teachers in this University is 250. This University received a grant of more than 6 crores during 5th Five Year Plan. The affairs of this University need to be looked into specially because Dr. Gopal and Shri Krishanmurti were responsible for finalising the draft of 'Time Capsule' which has distorted the history. So the affairs of this University must be looked into and guilty should be brought to book.

There are complaints that many Vice-chancellors and professors has misused their position during the emergency. Some of them have spied against their own colleagues. Such persons should be dealt with severely.

The rights of the students to form unions were taken away during emergency. The right to form Unions in Colleges and Universities is a democratic right which must be restored to them.

No student desirous of seeking admission to colleges should be refused admission. We should try our best to spread education in the entire country and this is possible only when admission to the students is easily avilable in Colleges and Universities. Every effort should be made to make all facilities available to those students who are desirous of having higher education.

श्री वी० अरुणाचलम (तिरुनेलवेली) : शिक्षा मूलत: राज्य का विषय है । मूल संविधान के अन्तर्गत केन्द्र को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को चलाने का अधिकार है । केन्द्रीय सरकार के पास यह अधिकार होने के बावजूद पिछली सरकार ने बिना किसी औचित्य के "शिक्षा" को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया है । पिछली सरकार का यह काम संघीय और लोक तांत्रिक सिद्धान्तों के विरुद्ध था । अत: शिक्षा को शीघ्रतिशीघ्र राज्य का विषय बनाया जाये ।

संविधान के अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार राज्य सरकारों को 10 वर्ष के अन्दर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए । दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ बड़े राज्यों ने संविधान में उल्लिखित शिक्षा के इस कार्य को लागू नहीं किया है ।

[श्री वी० अरुणाचलम]

6 से 11 वर्ष तक की आयु के 96 प्रतिशत छात्र भर्ती हुए, 11 से 14 वर्ष तक के 46 प्रतिशत तथा 14 से 17 वर्ष तक के बीच केवल 21 प्रतिशत छात्र भर्ती हुए हैं। लगभग 5.50 करोड़ छात्रों ने प्राइमरी के बाद शिक्षा बन्द कर दी। यह अच्छी बात नहीं है।

आज के युग में मात्र प्राइमरी तक की शिक्षा से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए सरकार एस० एस० एल० सी० तक शिक्षा अनिवार्य करने की दिशा में ठोस कदम उठाये। यदि इतना सम्भव न हो तो कम से कम 8वीं कक्षा तक तो शिक्षा अनिवार्य अवश्य की जानी चाहिए।

पिछले 15 वर्षों से कालेजों में शिक्षा के माध्यम का मामला अटका पड़ा है। शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने और शिक्षा की विभिन्न शाखाओं के ज्ञान के विकास के लिए शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। कोठारी आयोग ने भी इस सम्बन्ध में गहन अध्ययन करने के बाद इसी बात का समर्थन किया है। आयोग ने माध्यम के बदले जाने के लिए 10 वर्ष का समय रखा था किन्तु हम तो 10 वर्ष और भी ले चुके हैं और अभी तक हम इस योजना को लागू करने में असमर्थ हैं। जब तक इस बात को गंभीरता से नहीं लिया जायेगा और इसे लागू करने के लिए तुरन्त कार्यवाही नहीं की जायेगी तब तक कोई प्रगति नहीं हो पायेगी।

सरकार न केवल राज्यों के कार्यालयों में ही क्षेत्रीय भाषाओं का प्रचलन करे बल्कि राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में भी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करने के लिए आवश्यक कदम उठाये। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम या तो अंग्रेजी में होता है या हिन्दी में। हमारे लिए दोनों ही विदेशी हैं। अतः राज्यों में स्थित केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं में काम होना चाहिए।

केन्द्र सरकार भाषा के मामले को जिस प्रकार ले रही है वह दोहरी बात करना तथा धोखा देना है। सरकार आश्वासनों, वायदों, घोषणाओं आदि के बजाय अपने कार्य से लोगों के मन से इस सम्बन्ध में डर को निकाले। नई सरकार को लोगों में आत्म-विश्वास पैदा करना चाहिए।

Shri Manohar Lal (Kanpur) : We have been hearing for the past 30 years that steps will be taken to improve the system of education and that basic changes will be made therein but it has not been done so far. Now that the Janata Party has come to power, it is hoped that it will be done and the aspirations of the youth will be fulfilled.

It is regrettable that the number of educated unemployed has been going up in spite of the completion of many Five-years Plans. According to official statistics every year the number of educated unemployed goes up by 7 crores. It is high time, some concrete steps are taken to stop this trend.

We have seen that the private sector does not give any importance to the diplomas and degrees awarded by I.T.Is. and I.I.Ts. because the holders thereof do not have any practical knowledge. It is so because our education is not job-oriented. It is time that attention is paid to this aspect.

At present, we have two types of schools functioning in our country, the schools run by the Municipal and districts boards and the public schools meant for the children of the rich people. It is this system which is responsible for the widening of the gap between the rich and poor. If we really want to remove inequality this system of education will have to be changed. We should evolve a new system wherein the students coming out of the High Schools or Inter Colleges have not to run from door to door in search of jobs.

It is regrettable that most of the schools and colleges are nothing more than shops which are run for the sole purpose of making money. They do not care about the future of our youngmen. We want that such institutions, especially those which are unrecognised, should be closed down.

At. present there are different courses and curricula i different States. If a student from Uttar Pradesh after passing the High School examination wants to get admission in Delhi, he cannot do so because the courses differ in the two States. Therefore, it is necessary to have a uniform course throughout the country.

Government should also pay attention to the problem of admission in colleges because most of them do not have enough seats.

The Chairman of the I.I.Ts. should be appointed on the basis of qualifications and not on political considerations as is being done today.

The Social Welfare Board gives food to the poor children. But due to corruption the children do not get nutritive diet. This should be looked into.

श्री ए० ई० टी० बेरो (नामनिर्देशित–आंग्ल-भारतीय) : शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों में 20.73 करोड़ रुपये 1977–78 में संस्थाओं को अनुदान देने के लिए रखे गये हैं। मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि यह धन केवल शिक्षा पर ही व्यय हो न कि अधिक संस्थाएं खोलने, अच्छे भवनों के निर्माण, आदि पर।

मंत्री महोदय ने 10+2 पाठयक्रम के सम्बन्ध में अनिश्चितता सी पदा कर दी है। कई लोगों का कहना है कि पता नहीं 10+2 पाठयक्रम का भविष्य कैसा होगा? कोठारी आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं। मुझे विश्वास है कि 10+2 की प्रणाली हमारे देश के लिए उपयुक्त रहेगी।

संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। यह स्वीकृत प्रथा है कि 6 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बच्चों को स्कूल में प्रवेश कराया जाता है। अतः निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रथम चरण कम से कम 8 वर्ष का होना चाहिए। दूसरे चरण में यह समयावधि 2 वर्ष होनी चाहिए। फिर इसके बाद छात्र स्कूल छोड़ देते हैं और अपनी आजीविका कमाने के लिए क्लर्क आदि बन जाते हैं। अतः माध्यमिक शिक्षा के प्रथम चरण का यहां अन्त हो जाता है। इसलिए +2 चरण के लिए 2 वर्ष की अवधि होनी चाहिए। अतः मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि स्कूली शिक्षा का रूप क्या होगा क्योंकि अभिभावकों को अभी तक कुछ पता नहीं है। यदि इस वर्ष के बीच में परिवर्तित किया गया तो इससे हमारे बच्चों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

जहां तक माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, मैं इस बात से सहमत हूं कि इसका पाठ्यक्रम बहुत भारी है। हमें यह बात बुनियादी नीति के रूप में स्वीकार करनी चाहिए कि स्कूली शिक्षा अपने आप में पूरी होनी चाहिए और इसे शिक्षा के आगामी चरण से न जोड़ा जाये। स्कूली शिक्षा छात्रों को विश्वविद्यालय में भेजने के लिए सोपान बने। यह अपने आप में पूर्ण और पर्याप्त होनी चाहिए।

विश्वविद्यालय-शिक्षा रोजगार पाने का एक साधन है। अतः यदि स्कूली शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक सोपान हो और विश्वविद्यालय शिक्षा रोजगार प्राप्त करने का तो हमारी शिक्षा का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

मैं व्यवसायीकरण के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने यह ठीक ही कहा है कि रोजगार प्रधान शिक्षा देने मात्र से बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी। तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए सर्वप्रथम मूलभूत आर्थिक ढांचे को ही बदलना होगा।

[श्री ए० ई० टी० बेरो]

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नें यह ठीक ही कहा है कि उसने अंकों के बजाये ग्रेड देने का निश्चय किया है। इस निश्चय की अन्य शिक्षा संस्थाओं ने भी पुष्टि की है। किन्तु अचानक समाचार पत्र में देखा कि केन्द्रीय सरकार ने निर्णय किया है कि केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड को अंकों का ही उपयोग करना चाहिए। इससे स्थिति और खराब होगी और दिल्ली विश्वविद्यालय जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, अंकों के आधार पर ही दाखिले कर रहा है। इससे स्थिति और बिगड़ जायेगी। क्योंकि 39.9 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को कालेज में प्रवेश नहीं मिलता है जबकि 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाला छात्र प्रवेश पा लेता है। अत: केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालयों से अनुरोध करे कि इस प्रक्रिया का त्याग किया जाये। मंत्री महोदय को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और आगामी सत्र में इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ अवश्य ही किया जाना चाहिए।

Shri Kalyan Jain (I.d r) : I rise to support the demands. But the number of illiterates in our country during these thirty years of Congress rule has doubled. In order to make these people literate Janata Government shall have to bring radical changes in the present system of education. They should close down all public schools because they are responsible for discrimination and create inferiority complex in the minds of children of the poor masses. There should be uniformity in the field of primary education.

The three language formula is also responsible for keeping the people illiterate. This formula should not be made applicable at least upto the tenth class. Education should be imparted in the mother tongue of the student. In the name of national integration students are weighed down with the burden of three language formula and are forced to learn three languages. The medium of instruction at least upto the 10th class, must be the same all over country. Only because of the domination of English language, there is inequality and discrimination in society. It can be removed if the members oppose the English language and make a plea for their mother tongue.

So far as adult education is concerned, it should be made obligatory for all Government servants in the age group of 18 to 45 years to denote one hour for educating the illiterate people.

In order to impart primary education to larger number of children, it is desirable that school hours should be reduced to half.

The problem of drop-outs in the examinations in the country is very acute. There seems a conspiracy between higher officers and the previous Government not to allow all students to complete their education, so that they may not clamour for employment.

I am of the opinion that the hon'ble Education Minister should device a plan for the expansion of vocational education in consultation with the Chief Ministers of States and the educational experts. The existing colleges should be converted into vocational colleges. Emphasis should be laid on imparting education in agriculture from sixth standard onward.

The students and teachers in the universities should be entitled to participate in the administration. They should be given freedom to take part in politics. Attendance should not be made compulsory in Universities. It should be done away with. There should be parity in the pay and salary of Vice-Chancellors and teahers. teachers and Government servants should be allowed to take part in politics freely. Those teachers, who do tuitions, should be penalised with heavy fines etc., because they encourage corruption. Schools and colleges, being run on the basis of caste and community, must be closed down. The University Grants Commission should give grants to State Governments directly and not to educational institutions. I, however, support the demands for grants.

Shri Gev. M. Avari (Nagpur) : Sir, it is an admitted fact that education is indispensable for the development of the country. Education should be viewed from the national point of view and it requires radical changes. Education should be above party-politics.

[**Shri Sonu Singh Patil** in the chair
श्री सोनू सिंह पाटिल पीठासीन हुए]

We have not paid adequate attention to the Primary, Secondary and Higher Secondary education. School hours should be fixed at 8 hours for every school-going boy.

Our system of education is not job oriented. It has increased unemployment. Therefore, our educational system should be nationalised and there must be no private management in educational institutions. This is responsible for various malpractices and corruption. The educational institutions should be made completely autonomous.

There should be uniform education throughout the entire country. The pattern of education should not be different in different States The subject of education has been placed in the concurrent list in the Constitution. It should be included in the Central list and it should be taken away from the jurisdiction of the States. It would be helpful in bringing about national integration. Autonomous boards, free from the control of the States, should be set up to manage the affairs of educational institutions. These boards should include educational experts, teachers and parents and the decision of the board should be acceptable to the Government.

We are facing paucity of funds in the field of education. We should set up a poor students' fund. It will be helpful in meeting the requirements of providing better educational facilities to the weaker sections of society. This fund will help the poor students to continue their studies.

The budget allocation for education is very inadequate. It should be increased and more vocational guidance centres should be opened all over the country and the education should be linked with trade and industry so that the poor students may get jobs in industries immediately after completing their education.

Shri Ram Prakash Tripathi (Kanpur): Sir, I support the demands for grants of Education Ministry. People from all walks of life have been demanding that our education policy should be changed basically. But I observe nothing has been done in this regard. Even then, I hope our new Education Minister will give a serious thought to this matter.

It has repeatedly been said during the last thirty years that education needs some revolutionary changes but nothing concrete has been done by the Government in this direction. Some changes were not doubt, effected in the system but they only touched the fringe of the problem and resulted in lopsided development in some areas of education, which do not solve the basic problem. I hope the Education Minister will give a new direction and a new orientation to our education system.

We have to review our education policy. Our education must be job-oriented. Arrangements must be made to provide vocational training in the schools. There have been complaints of discontentment among the students. The reason is not far to seek. The student community today is a disappointed lot. Students know that when they come out of schools they will have to run from pillar to post to find a small job. This agitate their minds and when they embark on agitation they are suppressed by the brute force of police. Under no circumstances should police be allowed to enter the premises of an educational institution. The freedom and sanctity of our educational institutions must be respected. I will, therefore, suggest that Government should constitute an autonomous board including top educationalists, scholars and representatives of teachers and students to go into the whole problem of education and to suggest changes in the present policy of education.

So far as corruption and malpractices prevalent in educational institutions is concerned, in most cases private management is responsible for it. Government must, therefore, see that all educational institutions at present in the hands of private management must be taken over.

The students have great expectations from Janta Party Government. The Government must see that their hopes are fulfilled by giving a new direction and a new orientation to our education policy.

Shri Nathu Singh (Dausa): Every developing country reforms its education system on priority basis. Unfortunately, nothing has been done in this direction since independence. Some of the Hon. members have laid emphasis to make education job-oriented. While agreeing with it I will also suggest that moral education must form an integral part of our eudcational systeml. Unless we impart moral education to our child during formative years of their life there cannot be an all-around development of their personality.

Our students are lacking in discipline because they are not given moral education which inculcate in them a sense of discipline and a sense of character which cannot be brought by the use of force. It must also be remembered that education is not limited to schools and colleges. Education can be imparted in farms, in fields and in factories. This type of practical education have a lasting impact.

[Shri Nathu Singh]

Constitution provides for free and compulsory education. But even after 30 years of independence we could educate hardly 40 per cent of our people. Therefore, more attention should be paid towards imparting elementary education to our people specially in villages. It must be admitted that if we want democracy to survive in our country education of our people is a must.

No doubt Government paid more attention towards schools and colleges in urban areas but the schools in the rural areas languished for want of funds. Besides, proper attention has not been paid towards educating our women folk. In villages very few girls received any education. Steps must be taken to educate our women in villages.

English is still medium of instruction for higher education and English still continues to be the medium of examinatjons for appointment to I.A.S. and I.P.S. This results in disadvantage to a student of Hindi region. It must be looked into. There are different curricula in the universities in different states. That creates serious difficulties for students. There must be uniform standard and uniform curriculum in all the universities of the country.

There is discontentment among our students. Who is responsible for it ? The policy pursued by the previous Government in the field of education and planning has resulted in this discontentment among the students. Steps must be taken to see that more opportunities for employment are created and the present discontentment is removed.

There is too much interference by the Government in the affairs of educational institutions and universities during emergency Our universities were used for political purposes and the students and staff utilised for gaining party ends. This must be looked into.

A lot of money is spent in literacy compaigns without achieving any tangible results. Steps must be taken to re-organise such compaigns and to make them more effective.

Shri D.G. Gawai (Buldhana) : Too much has been said about the system of education and other educational reforms, but nobody talked about the condition of teachers in the rural areas. Government should provide for their amenities in the Budget.

I belong to a Marathi speaking region. I will suggest that both Hindi and Marathi should be tought in schools. But English also occupies a prominent place in our scheme of things of today. Therefore, English must find a place in our curriculum. Educational institutions must be kept above religion and politics. Secular outlook must prevail in our educational institutions. Only then we will be able to build a classless and casteless society.

In our country there are many private institutions. Many corrupt practices are prevalent in these institutions. They do not pay full amount of salaries to their teachers and even the fellowships amount payable to their students is not paid in full. Government must take immediate steps to take over all these institutions.

I think that students and teachers should not be allowed to take part in politics. Politics must be kept out of the purview of education. Only then we will be able to bring a desirable change in the atmoshere of our educational institutions.

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु (कटवा): कुछ दिन पहले सदन में वयस्क शिक्षा पर काफी चर्चा हुई थी। मंत्री महोदय ने बताया था कि दिये गये सुझावों का कार्यान्वियन करने हेतु बहुत अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। इंगलैंड, अमरीका, कनाडा और रूस जैसे पश्चिमी देशों में श्रमिक शाम को एकत्र होते हैं और संस्थानों और कारखानों में ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। वहां स्कूल और कालेजों तक की व्यवस्था है और उन संस्थानों के अधिकारी लगभग निशुल्क शिक्षा देते हैं। शिक्षा देने वालों को कुछ राष्ट्रीय भत्ता भी मिलता है। हमारे देश में निगम और नगरपालिकाओं, प्राथमिक स्कूलों तथा विभिन्न कारखानों और उद्योगों के माध्यम से वयस्क शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। इससे निरक्षरता की समस्या सुलझाने में भारी सहायता मिलेगी। बजट में इन संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से वयस्क शिक्षा देने के लिए बजट में 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री अ र० मोहनरंगम (चेंगलपुट्टु) : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा पर पर्याप्त व्यय नहीं किया जाता। पुलिस और रक्षा सेवाओं पर हम करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं।

परन्तु शिक्षा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन हमने उसके लिए पर्याप्त धन का आवंटन नहीं किया।

नगरपालिका क्षेत्र में स्कूलों का नियंत्रण नगरपालिकाओं द्वारा ही किया जाता है लेकिन धनाभाव के कारण वे स्कूलों में एक छोटा कमरा तक नहीं बनवा सकतीं। अतः शिक्षा के विकास और सुधार के लिए अधिकाधिक राशि का आवंटन किया जाना चाहिए। हमारे देश में शिक्षा का सुधार करने के लिए कमी दृढ़ निश्चय की है। भारत के संविधान के निर्माता प्राथमिक शिक्षा को अधिकाधिक महत्व देना चाहते हैं। वास्तव में सभी चाहते हैं कि 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बालक स्कूल अनिवार्य रूप से जायें। लेकिन हमारे देश में तो बच्चों की इतनी दयनीय स्थिति है कि उन्हें पशुओं की रखवाली करनी पड़ती है।

कई सदस्य अंग्रेजी के प्रयोग के विरोध में बोले हैं। हम ने आंग्ल-भारतीयों को देश के एक समुदाय के रूप में स्वीकार किया है। उनकी मातृभाषा अंग्रेजी है इसीलिए हम क्यों न अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लें। वह अन्तर्राष्ट्रीय भाषा भी है। यही राष्ट्र की राजभाषा हो सकती है। जब हम किसी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमें उसके लाभ या नुकसान को भी देखना होता है जिसे सारी जनता में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। आज तमिलनाडु के लोगों को नौकरी लेने के लिए न केवल अंग्रेजी बल्कि हिन्दी भी पढ़नी पड़ती है। इसके अलावा मेरे जैसे व्यक्ति को अपनी मातृभाषा तेलगु भी पढ़नी होती है। अतः मुझे तीन भाषाएं पढ़नी पड़ती हैं। जबकि अकेली हिन्दी जानने वाला समूचे देश का भ्रमण कर सकता है। इसलिए ऐसा हल निकाला जाये जो सभी को संतुष्ट कर सके अन्यथा हम देश में एकता नहीं ला सकते।

स्कूलों के भवन निर्माण कार्य को न केवल दिल्ली में बल्कि समूचे देश में प्राथमिकता दी जाये। केन्द्रीय स्कूलों में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के अलावा और किसी को प्रवेश नहीं मिलता। मेरा शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि आम जनता के बच्चों को भी इन स्कूलों में दाखला मिले।

Shri Raje Vishveshwar Rao (Chandrapur) ; Sir, I want to say something about the expenditure being incurred on social welfare in the country especially in Maharashtra.

Previously there were two welfare departments in Maharashtra—one was the Department of Social welfare and the othr the Department of Tribal welfare. But now they have been merged as a result of which Adivasis are being deprived of money. These departments should continue to have separate entity in all the states as well as at the Centre.

Education persons with urban background are employed in the Department connected with the tribal welfare. These people do not mix up with adivasis and remain aloof. So I shall request you to employ adivasi workers in these institutions.

Prohibition should be introduced in adivasi areas to increase small savings.

Tribal areas suffer due to lack of communications. There should be good pucca roads so that they are not cut off from the rest of the country during rainy season.

There should also be proper facilities for providing education. These days you can find a school but not a teacher. Some of the teachers who are sent by the District Council are not sincere at all. Unless you improve the standard of education, the adivasis will remain backward.

More attention needs to be paid towards adivasis because they are more backward even by the standard of harijans.

[Shri Raje Vishv shwar Rao]

I shall also request the Government to constitute separate Ministry of Social Welfare to make the work of welfare really effective.

Shri Shambhunath Chaturvedi (Agra): Sir, the usefulness of a tree is judged by its fruit. If we look at the tree of education from this point of view, we find the situation is extremely disappointing. The standard of education right from primary to university level is very poor. The treachers instead of teaching engage in other activities.

Certificates have become a saleable commodity. One has to pay something as bribe for obtaining a pass certificate.

The District Inspectors of Schools are the most corrupt lot. They amass huge amounts by way of bribe. The standard of everything except paper work has gone down. Previously middle class pass boy was considered to be an intelligent fellow and quite at home in all the subjects except in english.

Examinations have become fraud. The teacher politician has spoiled the whole system of education. I think the natinalisation of education will prove fatal to the nation. This will hinder the mental development of people. Gandhiji was not in favour of this rationalisation of education.

In a democracy there is no place for dictatorship in any sphere. I think three subjects—mother tongue, mathematics and crafts should form part of the course at the primary stage.

The secondary education should be job oriented. The atitude of a child should be studied to bring out the real intelligence in him. The trusts and temples can also help in the field of education because they have ample resources. We should develop a sense of duty in a student so that he may become a good citizen.

श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा) : महोदय, मैं बड़े स्पष्ट रूप से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या शिक्षा को उन लोगों तक पहुंचाया जायगा जो आर्थिक, सामाजिक और शक्षिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े हुए हैं ।

सभापति महोदय आप कल भाषण जारी रखें ।

सभा कल के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 6 जुलाई, 1977/15 आषाढ़, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock an Wednesday the 6th July, 1977/Asadha 15, 1899 (Saka)

म०प्र०धा स० मु० मि० रो० न० दि०—एल० एस०III—1976 एल० एस०—29-9-77—200